खण्ड-340, अंक-3
सोमवार, 14 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(4 जून, 1979 ई0)

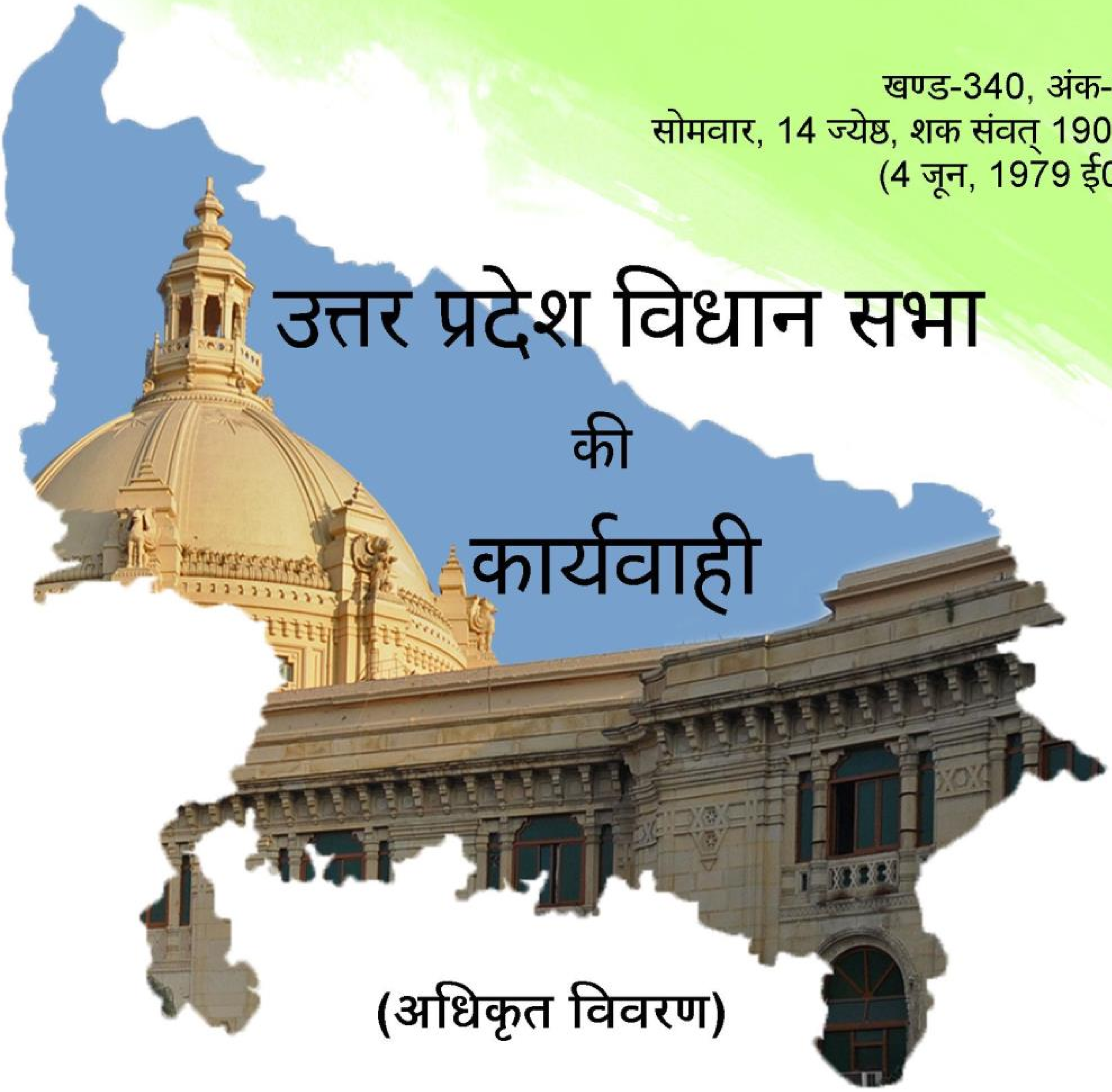

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९८०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	275–277
प्रश्नोत्तर	279–324
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के छटनी शुदा कर्मचारियों द्वारा शक्ति भवन के सामने क्रमिक अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	324
सीतापुर नगर के निकटवर्ती ग्राम नेरो कलां तथा कुचकापुर में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	324–325
देवरिया जिले के ग्राम तरकुलवा (बलहम पट्टी) में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	325
उद्योग निदेशालय स्टोर पर्चेज सेक्शन द्वारा मांगे गये टेन्डर में ड्राइंग का उल्लेख न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	325–326
बांदा नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सफाई कार्य बन्द हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	326
श्री मंजूर अहमद के सदन के निलम्बन के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग	327–332
प्रदेश में व्यापारियों की हड़ताल तथा मुख्य मंत्री से हुए समझौते के सम्बन्ध में जानकारी	332–338
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (1975–76) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	338
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	338
पशुपालन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	339
मैनपुरी के कुरावली कस्बे में श्री किशन लाल वर्मा की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य . ..	340
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	341
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग, अनुदान संख्या 85—स्वायत्त शासन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	341–369

विषय	पृष्ठ-संख्या
1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 66--वन विभाग, अनुदान संख्या 104--वन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 119--वन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	370-398
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	398-399
सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय में संगृहीत पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन	399
नस्थियां	401-418

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 4 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 225

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
डी० पी० वोरा, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री

धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्यारे लाल शाक्य, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बंचू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
मंगल राय प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाज, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे वर्मा, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
रामपति, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री

राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खो सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम नरायन तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भूलई भाई)
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मंत्री श्री क्रान्ति कुमार भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 4 जून, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल के भूतपूर्व राज्य मंत्रियों द्वारा आवास, साजसज्जा व टेलीफोन पर अध्यासन

**1—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्री राम नरेश यादव, मंत्री मण्डल के भूतपूर्व राज्य मंत्रियों से आवास व साज-सज्जा तथा टेलीफोन आदि की सुख-सुविधा कब वापस ली गयी ? क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के आवास पर लगी सुविधाओं को जारी रखने के आदेश राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने 24 अप्रैल, 1979 को अधीक्षण अभियन्ता 39वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के नाम पारित किये थे ? यदि हां, तो आदेश क्या थे तथा अधीक्षण अभियन्ता ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

माननीय श्री राम नरेश यादव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के मंत्रि-मंडल ने दिनांक 28-2-79 को त्यागपत्र दिया था। उक्त मंत्रि-मण्डल में 22 राज्य मंत्री थे। जिनमें से 2 राज्य मंत्री नव गठित मंत्रि मण्डल में कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गये हैं। शेष 20 भूतपूर्व राज्य मंत्रियों में से 5 ने दिनांक 12-2-79 को पद त्यागा था तथा शेष 15 ने दिनांक 28-2-79 को पद त्यागा। इन 20 राज्य मंत्रियों में से 5 विधायक निवासों में ही रह रहे थे तथा एक अपने निजी आवास में जिसे शासकीय आवास घोषित किया गया था रहते थे तथा शेष 14 भूतपूर्व राज्य मंत्री शासकीय बंगलों में अध्याषित हैं।

नियमान्तर्गत भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण को मंत्रि पद त्यागने से 15 दिन तक की अवधि के लिए आवास, साज-सज्जा व टेलीफोन आदि की सुविधा अनुमन्य थी। अभी तक उपरोक्त 14 भूतपूर्व राज्य मंत्रियों में से किसी ने भी अपना आवास नहीं छोड़ा है।

इन 14 भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण में से 5 की वैकल्पिक व्यवस्था विधायक निवास में कर दी गयी परन्तु 9 भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण की वैकल्पिक व्यवस्था अब तक सम्भव नहीं हो सकी है। राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 24-4-79 तथा इसी क्रम में पत्र दिनांक 7-5-79 द्वारा अनुरक्षण खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता को सूचित किया कि जिन भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण की वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है उनके द्वारा वांछित सुविधा कायम रखी जाये। परन्तु यह सुविधा निःशुल्क देने का आदेश पारित नहीं किया गया था। यह विषय अब तक भी शासन के विचाराधीन है।

उक्त भूतपूर्व 20 राज्य मंत्रियों में से एक ने पूर्ण सिविल साज-सज्जा लौटा दी है तथा चार ने अधिकांश सिविल साज-सज्जा लौटा दी है। इन बीस में से 5 भूतपूर्व राज्य मंत्रियों द्वारा पूर्ण विद्युत् साज-सज्जा लौटा दी है तथा शेष 12 ने अधिकांश रूप से लौटा दी है। उन्नीस (19) भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के आवासों पर अभी टेलीफोन लगे हुए हैं।

अधीक्षण अभियन्ता शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आज सदन की कार्यवाही 5 मिनट देर से प्रारम्भ हुई। यह संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है।

सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मंत्री 26-4-79 तथा 7-5-79 के दोनों पत्र तथा अधीक्षण अभियन्ता का 2-5-79 का जो पत्र है इनको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

आपकी अनुमति से, जो दो पत्र मेरे पास हैं मैं उनको पढ़ कर सुना देता हूं। मान्यवर, 7-5-79 का पत्र इस प्रकार है :--

"कुछ समय पूर्व भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण के आवासों में दी गई सुविधाओं को आगामी आदेशों तक वापस न लेने का निदेश भेजा गया है। इस विषय में शासन स्तर पर विचार हो रहा है। निर्णय शीघ्र ही होने की आशा है। जिन भूतपूर्व मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कर दी गई उनको पुरानी सुविधायें दिये जाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु जिन मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण को अभी तक वैकल्पिक सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, उन्हीं को इस प्रकार की कुछ सुविधायें कायम रखने का निदेश दिया गया था। साज-सामग्री तथा अन्य सुविधायें इसी अनुसार यथासम्भव वापस ली जायं और जितनी सम्बन्धित भूतपूर्व मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण रखना चाहें, उतना ही उन्हें दी जायं क्योंकि नियमान्तर्गत इस पर किराया भी देय होता है। कृपया इसी अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।" दूसरा 26 अप्रैल, 1979 का है जिसमें लिखा है कि "आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व मैंने मुख्य मंत्री जी के उन आदेशों से आपको अवगत कराया था, जिनके द्वारा उन्होंने यह निदेश दिये थे कि भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण के आवासों पर अभी सुविधायें समाप्त न की जायं और इस विषय में मुख्य मंत्री जी अतिशीघ्र ही उचित आदेश पारित कर रहे हैं। कुछ माननीय राज्य मंत्रीगण की ओर से यह बात कही गई है कि उनके आवासों से फरनीचर, माली आदि की सुविधायें वापस ले ली गई हैं तथा आवासों के किराये के बिल भी कुछ मामलों में भेजे जाने की बात कही गई है। शासन द्वारा इस समस्या पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि कुछ ही दिनों में निर्णय से आप को अवगत करा दिया जायेगा तब यह सुनिश्चित कर लें कि आवश्यक सुविधायें वापस न ली जायं और माननीय भूतपूर्व राज्य मंत्रीगण को किसी प्रकार की असुविधा न हो।"

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मंत्री जी ने जिन दो पत्रों को पढ़ा, उनमें विरोधाभास है। पहला पत्र राज्य मंत्रियों के सम्बन्ध में है और दूसरा मंत्रियों और राज्य मंत्रियों से सम्बन्धित है। दूसरा प्रश्न यह है कि उनके किराये आदि के सम्बन्ध में विषय शासन के विचाराधीन है। चौथा, हमारे यहां आपके जो मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और लेजिस्लेटर्स के रेसिडेन्स के 1974 के जो नियम हैं, उनमें मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर 15 दिन के अन्दर आवंटित नहीं होता है, तो वह ट्रेसपासर समझा जायेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत और क्या विचार हो रहा है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पत्रों में कोई विरोधाभास नहीं है । मंत्रीगण और राज्य मंत्रीगण दोनों के बीच में औब्लीक रखा गया है । दूसरी बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो भूतपूर्व मंत्रीगण हो चुके होते हैं, वे खाली नहीं करते हैं, यह परेशानी रहती है । ऐसे कई भूतपूर्व मंत्रीगण या राज्य मंत्री आज भी उन्हीं आवास गृहों में रह रहे हैं । मान्यवर, 1978 में शासन ने यह तय किया था कि जो भूतपूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार के हैं उनको एक वर्ष तक आवासों में रहने की सुविधा दी जाय । और जैसा कि मान्यवर, मैंने निवेदन किया उस दिन भी इस पर चर्चा हुई थी कि चूंकि विकल्प नहीं रह जाता है और जहां विधायकों के कक्ष कम हैं और उससे अधिक विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में 40 व्यक्तियों...(सदन की बिजली चली गई और कुछ सुनाई नहीं दिया) और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिये जो 40 बंगले हैं...(बिजली न होने से अंधेरे में कुछ लिखा नहीं गया) पहले भी समय-समय पर इस समस्या का सामना शासन को करना पड़ा है और हर बार शासन ने कुछ विचार किया है और निर्णय लिये हैं । इसी तरह इस बार भी शासन ने निर्णय लिया है कि जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो सके, की जाय । किन्तु अभी उसमें हम सफल नहीं हो पाये हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या श्रीमन्, बिना रोशनी के ही सदन चलेगा ? हम लोग बोल तो सकते हैं लेकिन न लोग सुन सकते हैं और न लिखा ही जा सकता है ।

(सदन में बिजली आ जाने पर)

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो बार-बार जोर दे रहे हैं कि विधायकों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था चूंकि नहीं हो पा रही है, तो मंत्री जी यह बता दें कि वैकल्पिक व्यवस्था में विधान सभा के सदस्यों के लिये एक निश्चित सीमा है, जिसके अन्दर फर्नीचर आदि मिलते हैं, मकान मिलता है । तो मकान तो रह सकता है लेकिन जो साज-सज्जा है जिसमें कि मंत्रियों को अधिक है, विधायक को कम है, तो क्या मंत्रियों से वह अधिक से अधिक साज-सज्जा क्यों नहीं वापस की गई ? उसी मकान को तब तक क्यों विधायक निवास नहीं बना देते जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है । ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, वहां तक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न है उसमें साज-सज्जा शामिल नहीं है । लेकिन साज-सज्जा के लिये अलग प्राविधान है । अगर साज-सज्जा कोई व्यक्ति रखना चाहता है, यह सवाल रेस्टोरेशन का है । कांटीनुवेशन में कोई चाहता है, तो किराये पर रखा जा सकता है । उसमें यह है कि इतने समय बाद इतने किराये पर रख सकता है, उसके बाद फिर इतने किराये रख सकता है । वह व्यवस्था है अगर वह बात होगी, तो वह भी की जायेगी ।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, शायद माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है बहुत से माननीय सदस्यों के लिए पहले आवास का 90 रु० मकान का किराया था फिर बाद में हम लोगों के जमाने में 150 रु० कर दिया

गया क्योंकि यह वैकल्पिक आवास देने के लिए किया गया, बहुत से माननीय सदस्यों को आवास सुविधा नहीं दे पाते थे इसलिए 90 रु० से बढ़ा कर 150 रु० मासिक किराया देकर हटा दिया गया ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

दोनों ही बातें हो सकती हैं जैसा नियमानुसार है । जिसकी जानकारी मुझे है। 150 रु० माहवार, यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा सकती है, तो दिया जायेगा । शासन यह विचार अभी कर रहा है कि अगर आवास की आवश्यकता होगी, तो यह किया जायेगा । और कोई अगर छूट देने की बात होगी, तो उस पर भी शासन ने विचार किया है और करेगा ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) --

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि 1974 में तत्कालीन सरकार ने इस प्रकार के मामलों में ऐसा निर्णय लिया था कि यदि मंत्रि परिषद के कोई भी सदस्य निश्चित तिथि के बाद किसी भवन में रहता है, तो उसको स्टैंडर्ड रेन्ट देना पड़ेगा और आगे चल कर दुगुना किराया चार्ज किया जायेगा, जो कि उस समय था क्या आज भी वह व्यवस्था कायम है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, यह व्यवस्था है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं उस समय भी यह व्यवस्था होने के बावजूद श्रीमती मोहसिना किदवई, श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री धर्म सिंह, श्री श्रीपत मिश्र, अभी तक ऐसे मकानों में रह रहे हैं और जो निर्धारित नियम हैं उनके मुताबिक किराया नहीं दे रहे हैं ।

(बिजली कुछ समय के लिए बन्द रही)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

इसमें आधे घंटे की चर्चा दे दीजिये ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

यह मामूली घटना नहीं है समझ लीजिये, इस पर आधे घंटे की चर्चा हो जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्रियों के जो आवास की नियमावली बनाई गई है उसके नियम 3 (ग) के तहत रेफरिजेरेटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि 15 दिन के बाद किसी भी कीमत पर नहीं रखे जा सकते । क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निदेश पर सभी भूतपूर्व मंत्रियों के पास वह सारे सामान रखे गये हैं और 20 हजार तक साज-सज्जा को बनाये रखने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो यह आदेश कहां तक उचित है और क्या रूल्स के अन्दर इसकी व्यवस्था की गई है ?

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर) --

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह सही नहीं है जो वह नियम का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी भूतपूर्व रखे हैं । मैं और श्री शारदा प्रसाद

रावत ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसके बाद सारी चीजें वापस करा ी म माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । यह मेरे ऊपर एक आक्षेप है, आप मुझे इसके स्पष्टीकरण की इजाजत दीजिए ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

ना तो यह बात सही है कि सभी लोग इस साज-सज्जा का उपयोग कर रहे हैं और न यह सही है कि नियम में यह व्यवस्था है 15 दिन बाद बिजली सम्बन्धी उपकरणों आदि की सभी सुविधाएं लाजिमी तौर पर वापस ही दे देना चाहिए या वापस ले लेना चाहिए । इस सम्बन्ध म नियम यह है कि यदि इन्हें कोई रखना चाहे वह 12 प्रतिशत के किराये के हिसाब से वह उनको रख सकता ह। इस हिसाब से उन पर किराया देय होता है जैसा मैंने बताया कई माननीय सदस्यों ने इसे वापस कर दिया है और कई ने रखा है...

(व्यवधान)

गांवों में शौचालयों के निर्माण की योजना

**2--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार ने वर्ष 1979 से गांवों में स्वच्छ पाखाना बनाने की कोई योजना बनाई है, या बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा और प्रति वर्ष लक्ष्य क्या रखा गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत राज मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

वर्ष 1979-80 से गांवों में पी० आर० ए० आई० टाइप शौचालयों के निर्माण की एक योजना बनाई गई है ।

इस योजना के अन्तर्गत उक्त स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु ऐसे व्यक्तियों को 100 रु० का सहायक अनुदान देना प्रस्तावित है जो शेष धन स्वयं व्यय करने को तैयार होंगे । इसके लिए वर्ष 1979-80 के बजट 50,000 रुपये की मांग की गयी है, जिससे 500 शौचालयों का निर्माण कराया जायगा । इस योजना मा दुर्बल आय के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी । प्राविधानित धनराशि क 20 भाग हरिजनों के लिए आरक्षित होगा ।

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष के ऊपर कथित बकाया ऋण

**3--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष नरायनपुर कलां समिति के पिछले दो वर्षों से लाखों रुपये के कर्जदार हैं और इन्होंने क्या आज तक एक पाई अदा नहीं की ? क्या यह भी सही है कि बैंक द्वारा कर्ज वसूल करने हेतु जारी की जाने वाली कुर्की उनको अब तक जारी नहीं की गयी ? यदि हां, परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध सरकार अविलम्ब कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जिला सहकारी बैंक लि० प्रतापगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध नरायणपुर कलां साधन सहकारी समिति का कोई ऋण बकाया नहीं है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जिला परिवहन सलाहकार समिति के गठन की रूप रेखा

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर परिवहन समितियों का गठन सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो रूप-रेखा क्या है?

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

जी हां।

इनकी रूप रेखा संलग्नक 'क' व 'ख' के अनुसार होगी।

देखिये नत्थी 'ख' आगे पष्ठ 401 पर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्रश्न के पहले म आपसे प्रार्थना करूंगा कि जरा आप नत्थी (क) व (ख) को देख लें, इनमें परस्पर विरोधाभास है? इन दोनों में डेट्स नहीं हैं। फिर नत्थी (क) के अनुसार जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होगा और (ख) के अनुसार जैसा लिखा है समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, यदि उसे इसके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, दो वर्ष का होगा और उसमें लिखा है कि अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। फिर नत्थी (क) के अनुसार प्रत्येक मास बैठक बुलाई जाएगी, किन्तु (ख) के अनुसार 3 माह में एक बार बैठक होगी। तो वस्तु स्थिति क्या है, इस पर मंत्री जी प्रकाश डाल दें? समिति का जो कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है, इस बारे में भी दोनों नत्थियों में काफी अन्तर है और साथ ही इसके गठन के बारे में यानी सदस्यों के बारे में भी बिरोधाभास है। तो सब-कार्यकाल, मनोनयन, अध्यक्ष और अच्छा हो कि इसको आप स्थगित करा दें और मंत्री जी से कहें कि वह इस संबंध में पुनः जांच करके सही जानकारी सदन को देने की कृपा करें?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं समझा सकता हूं, लेकिन किसी को समझ नहीं दे सकता हूं। नत्थी (क) के अनुसार जो समिति है, वह एक असरकारी समिति है और इसमें शासकीय अध्यक्ष और मेम्बर्स आदि हैं। किन्तु जिला स्तर पर ऐसी कोई समिति नहीं थी, जिसमें विधायकगण आदि शासकीय लोग उसके सदस्य हो सक। उसको दृष्टि में रखते हुए उसका प्राविधान नत्थी (ख) के अनुसार गठित समिति म किया गया है। इसके अनुसार जो समिति गठित की जाएगी उसमें निर्वाचन क्षेत्र के समस्त विधायक और संसद सदस्य होंगे। समिति का जो कार्य है, उसके संबंध में भी जो परिधि है, उसमें विस्तार से प्राविधान कर दिया गया है। नत्थी (क) वाली समिति की रचना इस दृष्टि से की गयी है कि अभी कुछ दिन पूर्व ट्रक आपरेटर्स ने एक हड़ताल की थी चुंगी और बैरियर्स समाप्त करने के लिए और उस समय भूतपूर्व मुख्य मंत्री के समक्ष एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि यातायात और परिवहन की समस्याओं के संबंध में विचार करने के लिए राज्यस्तर तथा जिला स्तर पर एक गैर सरकारी समिति बनेगी। तो इस समिति का कार्यकाल बिलकुल सीमित है, उसमें कोई विधायक आदि नहीं रखा गया है। उसमें केवल इस बात का प्राविधान किया गया है कि जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होगा,

पुलिस अधीक्षक और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि सदस्य होगा और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि उसम होगा तथा समिति म शासन द्वारा नामित 6 अशासकीय सदस्य होंगे, जिसम कम से कम एक सदस्य ट्रक आपरेटर्स यूनियन द्वारा दिये गये नामों की सूची से होगा तथा एक सदस्य स्टेट कैरेज आपरेटर्स द्वारा दिये नामों म से होगा। । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एक प्रतिनिधि सदस्य होगा।

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी उसका सदस्य होगा। परिवहन विभाग का एक अधिकारी सदस्य-सचिव होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या दो समितियाँ जिला स्तर पर होंगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, मान्यवर, दो समितियां अलग-अलग होंगी। दोनों समितियों का कार्य क्षेत्र अलग है। नत्थी (ख) में जो समिति है उसमें माननीय सदस्य और माननीय संसद सदस्य होंगे। नत्थी (क) की समिति का कार्य क्षेत्र सीमित है, आपरेटर्स से सम्बन्धित हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो शंका मैंने उठायी थी दो कमेटियां हैं, एक दूसरे का कार्य क्षेत्र ओवरलैप करता है। क्या माननीय मंत्री जी इस आशय की व्यवस्था करेंगे कि दोनों के कार्य क्षेत्र की एक सीमा रख दी जाय ? दूसरी बात यह है कि जिस समिति में विधायक और माननीय संसद सदस्य होंगे उनके द्वारा किये गये निर्णय यथा सम्भव अवश्य स्वीकार कर लिये जायेंगे शासन के द्वारा ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

मान्यवर, समिति का नाम ही है, सलाहकार समिति।

श्री उपाध्यक्ष--

वह कह रहे हैं, कि जो सदस्यगण और विधायक सुझाव देंगे, निश्चित रूप से पूरा विचार करके उस पर कार्यवाही की जायगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा जिला परिषद् के बारे में निर्देश हैं कि उसकी सलाहकार समिति द्वारा किये गये निर्णय वित्तीय मामलों को छोड़ कर यथासम्भव जरूर-जरूर स्वीकार करेंगे, मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं, क्या निर्देश देंगे उनके द्वारा किये गये निर्णय वित्तीय मामलों को छोड़कर अनिवार्य रूप से यथासम्भव स्वीकार किये जायेंगे ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

जिला परिषद् का अरेंजमेंट अस्थायी है। भूमि जिला परिषद् सुपरसीडेड है इसलिए काम चलाने के लिए अस्थायी रूप में समिति बना दी गयी है तब तक के लिए जब तक जिला परिषद् के चुनाव नहीं हो जाते हैं। यह समिति स्थायी समिति है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि जो सुझाव का प्रस्ताव समिति करेगी, उसकी मान्यता शासन की ओर से होगी और अगर होगी तो किस तरह से होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जैसा कि समिति का नाम है, वह सलाहकार समिति है। यथा सम्भव जो सलाह मिलेंगी उनको कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरदोई जिले की गन्ना समितियों द्वारा ऋण लेखा पुस्तिकाओं की खरीद

*1—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई गन्ना समितियों में ऋण लेखा पुस्तिकाओं की खरीद शासन द्वारा निश्चित फर्म से न कर मेरठ की किसी फर्म से वर्ष 1978-79 में विभागीय अदेशों की अवहेलना करके खरीदी गई जिससे समितियों को लगभग 50,000 (पचास हजार) रुपये की क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

प्रारम्भिक जांच के अनुसार वर्ष 1978-79 में जनपद हरदोई की दो गन्ना समितियों द्वारा मेरठ की 'मेसर्स राजवंश ब्रदर्स' नामक फर्म से 97,370 रुपये की 70,000 ऋण लेखा पुस्तिकाओं एवं प्लास्टिक कवर की खरीद विभागीय निर्देशों के विपरीत अनियमित ढंग से की गयी है। मामले की विस्तृत जांच गन्ना आयुक्त द्वारा मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी गयी है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही, हुई वास्तविक क्षति का पता चल सकेगा और तभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी ने यह उत्तर में साफ कर दिया है कि मेसर्स राजवंश ब्रदर्स नामक फर्म से 97,370 रुपये की 70,000 ऋण लेखा पुस्तिकाओं एवं प्लास्टिक कवर की खरीद विभागीय निदेशों के विपरीत अनियमित ढंग से की गयी है, तो एक तो मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रारम्भिक जांच से अनियमित ढंग से खरीद की बात स्पष्ट हो गयी है, तो अब तक वहां के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

दूसरी बात यह है कि जो पुस्तिकाओं की खरीद की गयी, वह किसानों में बांटी नहीं गयी और पैसा उनसे ले लिया गया। जो पैसा लिया गया वह पैसा कहां जमा हुआ और कब जमा हुआ और कब जमा हुआ यह मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, इस पर जांच चल रही है और उसके बाद पता चल सकता है कि कौन दोषी है और जब पता चल जायेगा कि कौन दोषी है, तो उसके खिलाफ

कार्यवाही की जावेगी । जहां तक रुपये के जमा होने या न होने का प्रश्न है, वह भी जांच के उपरान्त ही पता चल सकेगा ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

अगर प्रशासकीय आदेशों का पालन कोई अधिकारी नहीं करता है, तो वह दोषी है या नहीं अगर है, तो उस व्यक्ति ने प्रशासकीय आदेशों की अवहेलना की है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इसमें 2-3 अधिकारी हैं । जिला गन्ना अधिकारी आता है, सचिव आता है और एक और अधिकारी आता है । पहले हम निश्चित रूप से जांच करके पता लगा लें कि किसके द्वारा यह किया गया है और जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो खरीदारी की गयी है उसमें अनियमिततायें क्या-क्या हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

आदेश इस प्रकार के हैं कि जो पास बुक होती है, उसके लिए आदेश यह है कि संघ का जो प्रेस है, उसी से खरीद की जावे दूसरे से न की जावे । इसके अतिरिक्त केदार ब्रदर्स, मेरठ से कुछ खरीदारी की गयी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि प्रारम्भिक जांच के अनुसार दोष साबित हो गया और यह बात भी कहा कि अनियमित ढंग से खरीदी गयी, तो यह दोष साबित है । जिला गन्ना अधिकारी और सचिव के ऊपर दोष आता है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है और कितने दिनों के बाद कार्यवाही कर दी जावेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको दुहरा रहे हैं । उन्होंने कह दिया कि पता लगायेंगे । अब इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं उत्तर आपके सामने पढ़ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन कौन व्यक्ति दोषी है पहले इसका पता वह लगा लें तभी तो कोई कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

उन्होंने बताया कि जिला गन्ना अधिकारी ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि 3-4 अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति दोषी है, जब तक इसका पता न लगाया जाय तब तक कैसे कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

जिसके नाम से आदेश दिया जाता है वही दोषी होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। वह उसकी जांच करा रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप इसका जवाब दिलवा दें कि यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

जो खरीदारी हो गया है, उसका अगर पेमेंट हो गया है, तो उसकी रिकवरी क्या करायेंगे और अगर पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको स्थगित करायेंगे और शीघ्रातिशीघ्र रेसपान्सिजियलटी फिक्स करेंगे?

श्री शिव मंगल सिंह--

डिप्टी केन कमिश्नर ने इस प्रकार की शिकायत की थी और उसी के साथ-साथ 3-4 जिलों की गड़बड़ी मालूम हुई। चूंकि एक प्रारम्भिक सूचना मिली थी और उसमें 3 व्यक्ति, जिला गन्ना अधिकारी, सचिव श्री एस० एन० पान्डे तथा गन्ना समिति के श्री छोटे लाल गर्ग थे।

निश्चित रूप से कौन व्यक्ति किस प्रकार से दोषी है, जब तक इसकी जांच न करा ली जाय, तो सजा देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में यहां के अतिरिक्त गन्ना आयुक्त को जांच अधिकारी बना दिया गया है और उनकी रिपोर्ट आ जाने के उपरान्त ही उन व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही की जायेगी।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किये जाने की योजना

*2--श्री शम्भूनाथ चौधरी, तथा श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार ने वर्ष 1979 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

गत वर्षों की भांति 1979 में भी खाद्यान्न में वृद्धि की योजना बनायी गयी है, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

2—योजना में 226 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास कृषि विभाग द्वारा खरीफ, रबी तथा जायद अभियान चलाकर किया जायेगा। इन अभियानों में सिंचाई में वृद्धि, उन्नतशील बीज तथा उर्वरकों की उपलब्धता, पौध सुरक्षा, मृदा परीक्षण तथा भूमि संरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 405 पर)

प्रतापगढ़ जिले में सहकारिता समितियों के सचिवों की सेवा समाप्ति

*3—श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत सहकारी समितियों मे कितने और कौन सचिव (एकाउन्टेन्ट) विभाग द्वारा अनुमोदित हैं और कितने तथा कौन अनुमोदित नहीं हैं ? क्या उन सभी सचिवों को जो अनुमोदित नहीं है 1979 में सेवा मुक्ति हेतु नोटिस दे दी गई है ? क्या यह सही है कि उन सभी सचिवों की सेवायें जिनको सेवा मुक्ति की नोटिस दी गई है, 15 से 20 वर्ष पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन समस्त सचिवों को अनुमोदित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत सहकारी समितियों में 169 सचिव संलग्नक 'क' के अनुसार राज्य संवर्ग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं। 30 सचिव जो अनुमोदित नहीं हुए, की सेवा समाप्त कर दी गई। इनके अतिरिक्त चार सचिव—सर्वश्री कृष्ण नारायण पाण्डेय, राम दुलारे मिश्र, उमा शंकर पाण्डेय एवं कमला प्रसाद मिश्र अनुमोदित नहीं हैं। उक्त 30 सचिवों की सूची संलग्नक 'ख' पर है।

उक्त चार को छोड़कर जिन्होंने सेवा मुक्ति के आदेश के पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे, शेष सभी सचिवों को, जो अनुमोदित नहीं हुए, 1979 में सेवा मुक्ति के आदेश कर दिए गए हैं।

सेवा मुक्त सचिवों में से केवल 17 सचिवों की सेवा अवधि 15 से 20 वर्ष की रही है। इनके अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सचिव पद पर अनुमोदन हेतु केवल अनुभव ही स्क्रीनिंग के लिये आधार नहीं माना गया था, बल्कि उनकी शैक्षिक योग्यता, वसूली का प्रतिशत एवं आयु के सम्बन्ध में भी मानक निर्धारित किये गये थे। उनकी पूर्ति न होने के कारण ही उन्हें अनुमोदित न किया जा सका। अतः संवर्ग प्राधिकारी स्तर पर इन हटाये गये सचिवों का अनुमोदन अब नहीं हो सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 406 पर)

आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में राजस्थान के मवेशियों की चराई

*4—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान की मवेशी करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश सीमा में रबी की फसल कटते ही चरने को

आती हैं ? और फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा में चारे का भारी नुकसान करती है ? यदि हां, तो इसके रोक-थाम के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ?

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)--

रबी की फसल कटने के पश्चात् राजस्थान से भारी संख्या में मवेशी चरायी के लिए सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें फतेहपुर सीकरी (आगरा) भी सम्मिलित है, आते हैं। यह प्रथा काफी पुरानी है और यह देखा गया है कि कृषक इन मवेशी मालिकों को पैसा देकर अपने खेतों में मवेशियों को चरने व विश्राम करने देते हैं जिससे कि उन्हें खाद मिलती है। किसी भी कृषक से खेती की हानि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न कोई आंकड़े ही उपलब्ध हैं।

श्री बदन सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि फतेहपुर सीकरी (आगरा) तथा अन्य स्थानों पर राजस्थान से भारी संख्या में मवेशी चरायी के लिए आते हैं और यहां के किसान इन मवेशी मालिकों को पैसा देकर अपने खेतों में मवेशियों को चरने व विश्राम करने देते हैं, जिनसे उन्हें खाद मिलती है। लेकिन दिन म छोटे-छोटे काश्तकारों की वे फसल चरते हैं, तो क्या जिन किसानों की फसल दिन भर वे चरते हैं, उनको मवेशियों के मालिकों से पैसा दिलवायगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

यह तो मेरे अख्तियार में नहीं है लेकिन अगर कोई शिकायत वहां के किसानों की आयेगी कि उनकी फसलों को वे मवेशी चरते हैं और उससे उनकी हानि होती है, तो सोचा जायेगा कि उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या वहां के जिलाधिकारी ने इन मवेशियों को चरने की कोई स्वीकृति दी है और क्या उन किसानों ने जिनके खेतों में वे चरते हैं, उनसे कोई स्वीकृति ली है ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

इस सिलसिले में मेरे ख्याल से किसी जिलाधिकारी से इजाजत की जरूरत नहीं है और अगर ऐसा कोई नियम है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

भारी संख्या में जब इस प्रकार से पशु चरने के लिए आते हैं तो खड़ी हुयी फसलों को भी बड़ा नुकसान करते हैं, तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए और और हुई हानि को दृष्टि में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि किसी दूसरे प्रदेश के पशु इस प्रदेश की भूमि में चरने न आने दिए जायं ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

अगर कोई मवेशी किसी के खेत में चरने आते हैं और उससे उनकी फसल को नुकसान होता है, तो यकीनन सरकार विचार करेगी कि उस सम्बन्ध में क्या कर सकती है ।

श्री बदन सिंह—

हमारे प्रदेश के लोग राजस्थान में अपने रिश्तेदारों के यहां पशु चरने ले जाते हैं और जब वे पशु राजस्थान की सीमा में जाते हैं, तो उनके मालिकों से टैक्स लिया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उन पशुओं के मालिकों से भी जो राजस्थान से करोड़ों की संख्या में हमारी सीमा में चरने आते हैं, कोई टैक्स लेने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

ऐसा कोई मसला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति के मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

*5—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती) तथा श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति के मनोनीत गैरसरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के बढ़ोतरी के सम्बन्ध में नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव 1978–79 में परिषदों से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि परिषद् के सदस्यों को यात्रा भत्ता द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के बराबर तथा दैनिक भत्ता 3·00 प्रतिदिन दिया जाता है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां । कतिपय जिला परिषदों से परामर्शदात्री समिति के मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों के दैनिक भत्ते की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जिनको ध्यान में रखते हुए शासन ने दिनांक 23–5–79 को यह स्पष्ट आदेश जारी कर दिये हैं कि जिला परिषद् परामर्शदात्री समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को उतना ही दैनिक भत्ता देय होगा जितना कि 701 रुपये प्रतिमाह से अधिक पाने वाले द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य है । इस समय जिला परिषदों के अवक्रमित होने के कारण उनके कोई सदस्य नहीं है । अतः उन्हें द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर यात्रा भत्ता तथा 3 रुपये प्रतिदिन के दर से दैनिक भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबू राम वर्मा—

जो आदेश हुये थे कि द्वितीय श्रेणी के गजेटेड आफिसरों के बराबर यात्रा भत्ता दिया जाये तो उसमें दैनिक भत्ते की कोई चर्चा नहीं की गयी थी और इसलिये जिला परिषद् नियमावली के आधार पर ही दैनिक भत्ता 3 रुपये दिया जाता है । तो क्या सरकार यह भी आदेश करेगी कि उनको दैनिक भत्ता भी द्वितीय श्रेणी गजेटेड कर्मचारियों के बराबर दिया जाय ।

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने बताया अभी कि द्वितीय श्रेणी गजेटेड कर्मचारियों के बराबर इनको मिले, जो नियम उन पर लागू होते ह, इन पर भी लागू होंगे ।

परिवहन निगम, फैजाबाद डिपो के डीजल पम्प में खराबी

*6--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या यह सत्य है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय रोडवेज के फैजाबाद डिपो का डीजल पम्प दिनांक 9 मई, 1979 की शाम से ही खराब हो गया था और इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद सम्बन्धित अधिकारियों ने 10 मई, 1979 को प्रातः 7 बजे तक कोई कार्यवाही नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10 मई, 1979 को डीजल उपलब्ध न होने के कारण फैजाबाद से लखनऊ तथा बहुत से अन्य मार्गों के लिए प्रातः 7 बजे तक कोई बस नहीं भेजी जा सकी ? यदि हां, तो इस सारी कुव्यवस्था के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह सत्य है कि दिनांक 9-5-79 को शाम को फैजाबाद डिपो का डीजल पम्प खराब हो गया था । तत्काल ही भारतीय तेल निगम के सेल्स अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया गया और बस्ती तथा इलाहाबाद से मैकेनिक बुलाने का प्रयास उनके माध्यम से किया गया । इस प्रयास के साथ ही साथ निगम स्तर से भी इसे ठीक करने का प्रयत्न किया गया और इसे ठीक करके काम चलाया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 10-5-79 को प्रातः 7 बजे तक भिन्न-भिन्न मार्गों पर 9 सेवायें संचालित की गयीं । कोई सेवा निरस्त नहीं हुई ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

यह जो 9 सेवायें संचालित की गयी वह सेवायें फैजाबाद से कितने-कितने बजे शुरू होना थीं और जो यह देर से सेवायें शुरू हुईं उनका देर से चालू होने का कारण क्या था और 7 बजे कौन सी सहायता मिल गयी, जिसकी वजह से बस चालू की जा सकीं और किस वजह से पहले चालू नहीं किया जा सका ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इनमें 3 सेवायें तो डीजल तेल उपलब्ध न होने के कारण देर से चालू हो सकीं । इनमें दो फैजाबाद, हलियापुर, कानपुर मार्ग की थीं, इनको 5 बजे जाना था जो 6 बजे गयीं । एक फैजाबाद---कानपुर की थी जो साढ़े 5 बजे के बजाय सवा 7 बजे छूटी । दूसरी फैजाबाद---जौनपुर की थीं जो 6·45 पर जानी चाहिये थी और साढ़े 7 बजे गयीं । इसके बाद कोई भी गाड़ी डीजल के अभाव के कारण लेट नहीं हुई क्योंकि 6 गाड़ियां अपने समय से चल गयी गयीं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

जिन सेवाओं को देर से चालू किया गया उनको, अगर कर्मचारी थोड़ा सा जागरूक रहे होते, तो समय से चालू किया जा सकता था क्योंकि उस समय

डीजल और कहीं से उपलब्ध नहीं हुआ, वहीं से उपलब्ध हुआ। निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह देर से चलीं, तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे और ऐसे आदेश देंगे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो और बसें समय से चल सकें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

भविष्य में इस तरह की घटना न होने पाये इसके लिये वहां एक दूसरा पम्प लगा दिया गया है। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि उसके अनुसार किसी कर्मचारी—अधिकारी की लापरवाही तो प्रतीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी चूंकि माननीय तिवारी जी ने इस सम्बन्ध म ध्यान आकर्षित किया है, तो जांच करवाऊंगा और जो यात्रियों को असुविधा हुई है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री हरिशचन्द्र—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 5वें सोमवार में 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

[दिनांक 4 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कोआपरेटिव बैंकों में प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता

*1—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि शासन के सहकारिता विभाग से जो कर्मचारी कोआपरेटिव बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे मूल वेतन सरकारी चाकरी का तथा मंहगाई भत्ता बैंकों का एवं यात्रा तथा चिकित्सा भत्ता राज्य कर्मचारियों का प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो कैसे और किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। 5 बैंकों में 6 कर्मचारी निबन्धक के आदेशों के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर मूल वेतन सरकारी चाकरी का तथा मंहगाई भत्ता बैंकों का प्राप्त कर रहे थे। इन बैंको को आदेश दे दिए गये हैं कि वे स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार ही वेतन, यात्रा भत्ता व चिकित्सा सुविधा, आहरित करें और जो अधिक वेतन मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता व यात्रा भत्ता उन्होंने आहरित कर लिया है उसे उनसे वापस कराया जाये।

बफर गोदाम निरीक्षक, बस्ती के निवास स्थान से बरामद की गयी डाई अमोनियम-फास्फेट

*2—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13 अप्रैल, 1979 को बफर गोदाम निरीक्षक बस्ती के निवास स्थान से मजिस्ट्रेट द्वारा छापा डालकर 50 बोरी डाई अमोनियम फास्फेट खाद बरामद की गई और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज है ?

यदि हां तो उक्त कर्मचारी को अभी तक निलम्बित न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त चोरी में बस्ती के परियोजनाधिकारी (कृषि) का भी हाथ है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

परगनाधिकारी, सदर बस्ती द्वारा बफर गोदाम निरीक्षक, बस्ती के निवास स्थान की तलाशी लेकर 31 बोरी डाई-अमोनियम फास्फेट खाद बरामद की गई और दिनांक 14-4-79 को पुलिस में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज कराई गई। उक्त कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है। अभी तक ऐसा कोई आधार प्रकाश में नहीं आया है, जिससे यह विदित होता है कि इस मामले में परियोजनाधिकारी (कृषि) बस्ती का हाथ हैं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस कर्मचारी को निलंबित किया गया, उसका नाम क्या है और कब, किस तारीख को वह निलंबित किया गया है ? क्या यह सही है कि जो खाद छापे में पकड़ी गयी, मजिस्ट्रेट ने पकड़ा, उसकी सूचना उस कर्मचारी के परियोजना अधिकारी ने अपने उप निदेशक, निदेशक को दी ? यदि नहीं दी, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में जांच करवाने की ऐसी सूचना न देकर कोई घपला किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जिले कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, वह बफर गोदाम निरीक्षक, बस्ती, ए0 आई0, बस्ती। ये ही दो दोषी पाये गये और इन्हीं को निदेशक के आदेशानुसार 23-5 को निलंबित कर दिया गया है। जहां तक परियोजनाधिकारी का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में जाच की जा रही है, यदि वह दोषी पाये गये, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, इसमें स्पष्ट परियोजनाधिकारी, बस्ती का हाथ था, जब यह मामला मैंने शून्य प्रहर में उठाया, तब यह प्रकाश में आया। मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि यह मामला शून्य प्रहर में आने के बाद ही यह सूचना प्रकाश में आई। मान्यवर, यह देखते हुए कि परियोजना अधिकारी, बस्ती का इसमें हाथ है, जो लाखों का घोटाला कर चुका है। उसके खिलाफ अन्य भी बहुत से आरोप विचाराधीन हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि जिनके संरक्षण में बस्ती जनपद में लाखों रुपये का घोटाला किया जा रहा है, उस परियोजना अधिकारी का स्थानांतरण करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे और उसके बाद इन्क्वायरी करायेंगे, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले भी आप से निवेदन किया कि जब तक कि कृषि परियोजना अधिकारी के बारे में यह न मालूम हो जाय कि इनका भी इसमें हाथ है, तब तक कोई कार्यवाही करना अनुचित होगा।

यदि जांच के सन्दर्भ में यह पता चलेगा कि यह भी उसमें दोषी हैं, तो अवश्य ही उन पर कार्यवाही की जायगी । लेकिन बगैर दोष के आये हुए कोई कार्यवाही करना यह तो अनुचित होगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह जो मजिस्ट्रेट ने छापा मार कर खाद पकड़ा, तो मजिस्ट्रेट को कुछ लिखकर दिया गया होगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट साहब को लिखित क्या दिया गया था, जब मजिस्ट्रेट साहब ने छापा मारा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जरा प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा प्रश्न यह है कि एक मजिस्ट्रेट साहब ने छापा मार कर खाद को पकड़ा तो मजिस्ट्रेट साहब को लिखित दिया गया होगा, तो वह जो लिखित दिया गया खाद पकड़ने के लिए, तो क्या लिखकर दिया गया था ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वहां जो नवयुवक कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की जिलाधिकारी से और उन्होंने एस० डी० एम० को जांच के लिए भेजा था ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई वह क्या थी और पुलिस ने क्या तफ्तीश की ? दूसरी बात प्रश्नकर्त्ता महोदय ने पूछी कि इसमें जिलाधिकारी महोदय का हाथ था, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई । मेरी सूचना है कि फाइनल रिपोर्ट के बाद जुर्म नहीं था, उनके जो छोटे कर्मचारी थे, निलम्बित किया गया जो फाईनल रिपोर्ट के कितने दिन बाद कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

उच्चाधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

14-4-79 को दर्ज की गयी थी और इसके बाद जांच हो रही है । फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई, इसकी सूचना शासन को नहीं है । दूसरी बात प्रयोजनाधिकारी का अभी तक इसमें कोई हाथ मालूम नहीं पड़ता । जब तक जांच में उनका नाम न आवे कि वे दोषी हैं, उनपर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं होगा ।

श्री बाबू राम वर्मा--

जो बाद 31 बोरा बरामद हुई वह सुरेश सिंह, राजाराम चौधरी, रामकरन चौधरी, असमान सिंह, रामपाल सिंह, कमला प्रसाद पाण्डे की थी जो सहायक कृषि निदेशक....

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये । आप जानकारी दे रहे हैं ।

श्री बाबू राम वर्मा--

कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया, मुकदमे में फाईनल रिपोर्ट लग गई तो जो पूरी बातें कह आये हैं उसकी जानकारी मंत्री जी को है ? परियोजनाधिकारी नैनीताल गये थे और बस्ती में नहीं थे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

बहुत सी बातें कही गयी हैं । मैं समझ नहीं पाया ।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या बस्ती के परियोजनधिकारी के खिलाफ किसी भारी घोटाले की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

बी० जी० आई० के घर से खाद बरामद हुई तो वह निलम्बित हुआ । एक दूसरा कर्मचारी जो निलम्बित हुआ है, तो क्या यह सही है कि परियोजनाधिकारी के दबाव के कारण, जिसपर आरोप नहीं था, दबाव डाल कर निलम्बित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो काल्पनिक प्रश्न है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

जरवल रोड चीनी मिल, जिला बहराइच द्वारा जेनरेटर की खरीद

*3--श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जरवल बहराइच चीनी मिल में वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद तथा हाई कोर्ट के निदेशों के विपरीत कोई जनरेटर सेट करीब 2.50 लाख रुपये का लगा दिया है जो चालू होते ही खराब हो गया ? तथा क्या यह सही है कि रिसीवर ने 50 हजार रुपया कमीशन लेकर पुराना जनरेटर खरीद लिया था ? यदि हां, तो सरकार ने रिसीवर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या कोई ज्ञापन श्रमिकों तथा गन्ना कृषकों की ओर से वर्ष 1978 में प्राप्त हुआ था ? जिसमें गलत जनरेटर लगाने के सम्बन्ध में रिसीवर के विरुद्ध जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच कराई ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मिल की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु एक जेनरेटिंग सेट जरवलरोड चीनी मिल में दिनांक 17-11-48 को लगाया गया जिसकी लागत रु० 2,30,568·80 है इसमें कुछ खराबी 9-12-78 को आ गई थी जिसे सम्बन्धित कम्पनी द्वारा 6-2-79 को ठीक कर दिया गया । श्रमिकों तथा गन्ना कृषकों का कोई ज्ञापन गलत जनरेटर लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ । इसकी खरीद के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की शिकायत पर राज्य चीनी निगम द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायगी ।

सुल्तानपुर जिले में गोबर गैस संयंत्र लगाने हेतु दिया गया ऋण

*4--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर ब्लाक धनपत गंज, मुसाफिरखाना, कुंड़ेभार, प्रतापपुर कमइया काशीपुर, बल्लीराम, जगदीशपुर के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 1977-78 में गोबर गैस सयन्त्र लगाने हेतु ऋण दिया गया था ? उक्त ब्लाकों में बिना गोबर गैस संयन्त्र लगायें ही दिनांक 31 मार्च, 1178 को बिना कार्य पूरा किए ही फर्जी बाउचर बनाकर कम्प्लीशन रिपोर्ट देकर अनुदान की रकम आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्ष 1977-78 में बल्दीराय ब्लाक को छोड़कर अन्य प्रश्नगत ब्लाकों में गोबर गैस संयन्त्र लगाने हेतु ऋण दिया गया था ।

उक्त ब्लाकों में गोबर गैस संयन्त्र सम्बन्धी अनुदान का भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र दिए जाने के आधार पर ही किया गया है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में । मेरा प्रश्न साफ है कि गोबर गैस प्लांट लगाने के सम्बन्ध में फर्जी यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट लेकर अनुदान दिया गया है । मेरा कहना है कि कई जगहों पर ब्लाकों में गोबर गैस प्लांट बनाये ही नहीं गये हैं और फर्जी प्रमाण पत्र लेकर अनुदान दिया गया है । आप कहते हैं कि सक्षम अधिकारियों के प्रमाणपत्र पर ही अनुदान दिया गया है । मेरी जानकारी है कि बने ही नहीं हैं, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह--

शासन को ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, मैंने कहा है कि मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे, अगर शासन को जानकारी नहीं है, तो क्या आप इसकी जांच किसी अधिकारी से करायेंगे ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, इसमें सात ब्लाक हैं, इनके अंदर 60 गोबर गैस संयन्त्र लगे थे । इसमें से धनपतगंज में 6, मुसाफिरखाना में 8, कूड़ेभार में 6, प्रतापपुर कमैचा में 7, कादीपुर में 15, जगदीशपुर में 18 लगे हैं । 1977-78 में 55 का भुगतान हो गया है । पैसे की कमी के कारण 5 का भुगतान 79 के अन्दर कर दिया जायेगा । इसमें अगर कोई चीज उत्तर के संदर्भ में सही नहीं है, तो बतायें उसके बाद में जांच कराने की सोचूंगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

कोई भी विधायक गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए क्वेश्चन करता है । मेरी जानकारी को सही मानकर कि आज भी गोबर गैस प्लांट नहीं लगे हैं, आप जांच करवा लें ताकि गड़बड़ी दूर हो ।

श्री शिव मंगल सिंह--

यदि आपके कथनानुसार यह गोबर संयन्त्र नहीं लगे हैं या फर्जी हैं और फर्जी वाउचर दिखा करके पास किया गया है तो इनकी आर आर डिटेल सूचना दे दें, तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री हरिचरन यादव (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि सुल्तानपुर में सभी गोबर गैस संयंत्र लग चुके हैं और जिस अधिकारी ने गोबर गैस प्लांट लगाये थे, फैजाबाद कमिश्नरी में उसको पुरस्कार सबसे अधिक गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए मिला था ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं समझ नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इनका कहना है कि सब गोबर गैस संयंत्र लग चुके हैं और उस अधिकारी को पुरस्कार मिला है, जिस अधिकारी के बारे में माननीय जायसवाल ने चार्ज लगाया है । क्या इसकी जानकारी आपको है ?

श्री हरिचरन यादव--

उस वर्ष सुल्तानपुर, फैजाबाद कमिश्नरी में प्रथम स्थान पर गोबर गैस प्लांट लगाने के बारे में था और उस अधिकारी को पुरस्कार मिला और विशेष इंटरी भी मिली थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

फैजाबाद कमिश्नरी में सुल्तानपुर है, तो फैजाबाद में जब वह अधिकारी पोस्टेड थे, तो उनको पुरस्कार मिल चुका है । क्या इसकी मंत्री जी को जानकारी है ? यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मुझे मान्यवर, जानकारी नहीं है ।

*5--श्री बच्चा पाठक--

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित ।]

राम गंगा परियोजना, जिला फर्रुखाबाद की कतिपय क्षतिग्रस्त नालियां

*6--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत बनने वाली सिंचाई नालियों में जनपद फर्रुखाबाद तहसील कायमगंज की (1) कटिया माइनर, (2) ललई माइनर, (3) अल्लापुर माइनर की पक्की नालियां बनाने के

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

दो वर्ष बाद ही टूट गयी हैं ? क्या उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि अधिदर्शक ने अपने माह मार्च के निरीक्षण में यह रिपोर्ट दी है कि उन नालियों में 40 प्रतिशत ईंट द्वितीय और तृतीय श्रेणी की लगाई गई है ? इन नालियों पर शासन ने कितना रुपया व्यय किया है ? क्या शासन उसे किसानों से वसूल करने जा रही है ? यदि हां, तो कौन से मापदण्ड से किया जावेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कायमगंज की (1) कटिया माइनर (2) ललई माइनर (3) अल्लापुर माइनर की पक्की नालियों का निर्माण वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में किया गया है। इसमें से कटिया माइनर के कुलाबी संख्या 5 में वर्ष 1876-77 में बनाई गयी पक्की नालियों में 15 मीटर नाली 2 वर्ष बाद टूट गयी है।

वर्ष 1978-79 में कार्य सम्पादन के समय अधिदर्शक व भूमि संरक्षण अधिकारी ने निरीक्षण किया था तथा अपनी निरीक्षण आख्या में उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि निरीक्षण के समय कुछ कुलाबों पर द्वितीय व तृतीय श्रेणी का ईंटें मौके पर रखी पायी गयीं। इन ईंटों को पक्की नालियों के निर्माण में नहीं लगाया गया। निर्माण कार्य में प्रथम श्रेणी की ही ईंटें प्रयोग की गयी हैं।

कटिया माइनर के कुलावा संख्या 5 में जो पक्की नालियां बनाई गयी हैं उन पर कुल रुपया 6,907·38 व्यय हुआ है। प्रक्षेत्र विकास कार्यों में सम्पादित हुए व्यय की वसूली केवल लाभार्थी कृषकों से ही लाभान्वित क्षेत्र के अनुपात में मालगुजारी के बकाये के रूप में किश्तों में वसूल की जायेगी। इसमें आने वाले लघु व सीमान्त कृषकों को देय 25 प्रतिशत व 33 1/3 प्रतिशत अनुदान समायोजित करते हुए ही वसूली की जायगी।

*7—श्री ऊदल—

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के फलस्वरूप निरस्त।]

अनुभाग अधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय द्वारा इम्प्लाइज वेलफेयर फण्ड की धनराशि की वसूली

*8—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई), श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती), श्री मंजूर अली खां (जिला रामपुर), डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश,' (जिला कानपुर), श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर), श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद) तथा श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि कृषि सचिव शाखा के कृषि अनुभाग—1 अनुभाग अधिकारी द्वारा सारा भाई इम्प्लाइज वेलफेयर फण्ड की बुक नं० 45 में दिनांक 30 अगस्त, 1978 से कृषि सचिव शाखा के कर्मचारियों तथा कृषि सेवा संगठन के अधिकारियों से धन एकत्र किया ? यदि हां, तो क्या सरकार पद के दुरुपयोग के आरोप में अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा उनका तुरन्त शाखा से स्थानान्तरण करने का कष्ट करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

इस शिकायत की जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर उसके परिणाम के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

*9--श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री उदय नारायण सिंह तथा श्री बेनी प्रसाद माधवा--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

फिशरमैन कोआपरेटिव सोसाइटी, स्योहारा, जिला बिजनौर द्वारा लिया गया कोधम जलाशय, आगरा की मछली का ठेका

*10--श्री अब्दुल हफीज--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिशरमैन कोआपरेटिव सोसाइटी, स्योहारा, बिजनौर, कोधम जलाशय, आगरा से वर्ष 1965 से वर्ष 1972 तक और वर्ष 1976 से वर्ष 1978 तक मछली मारने की रायल्टी व लाइसेन्स के आधार पर कार्य करती रही है और शासन के जी० ओ० नं० 5591/12-ई-30-9(2)-77(220), दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 और पैरा नं० 7 पेज 2 के अनुसार आश्वासन दिया गया था कि यदि सोसाइटी का कार्य सन्तोषजनक रहा तो आगामी वर्षों के लिये ठेका बढ़ा दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

इस समिति के पास यह ठेका केवल 7-10-67 से 30-6-73 और फिर वर्ष 1976-77 व 1977-78 के लिये था ।

वर्ष 1977-78 का ठेका केवल उसी एक वर्ष के लिये स्वीकृत था । कार्यकलाप को देखते हुये यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती थी । किन्तु अन्य ठेकेदार एवं समितियों ने बढ़ी हुई दरों का 'आफर' दिया था अतः समितियों के बीच 'कम्पटीशन' होने के कारण टेन्डर मांगने पड़े ।

*11--श्री रामसिंह--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

ललितपुर जिले की पूरा करला धमटाघाट सड़क का निर्माण

*12--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् ललितपुर (पूर्व झांसी) द्वारा क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करला धमटाघाट सड़क कब बननी शुरू हुई थी और अब तक पूर्ण न बन सकने का क्या कारण है और अब कब तक पूरी बन जायेगी बीच में सड़क न बनने से आवागमन रुका पड़ा है ? जिससे लोगों को परेशानी हो रही है ?

श्री जमुना प्रसाद--

यह सड़क अप्रैल 1973 में बनना शुरू हुई थी । इस सड़क का केवल 310 मीटर का टुकड़ा सड़क निर्माण हेतु कृषकों से भूमि न मिल सकने के कारण अभी नहीं बन पाया है । कृषक अब 27 फुट चौड़ी भूमि सड़क निर्माण के लिए देने को तैयार है, परन्तु मिट्टी खेतों से देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी अलग से व्यवस्था की जा रही है ।

पशु बीमा योजना लागू किये जाने की मांग

*13--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में निरन्तर बढ़ते हुए पशु रोगों के कारण प्रतिवर्ष जो लाखों पशु मौत के शिकार हो रहे हैं, जिससे हरित क्रान्ति एवं स्वेत क्रान्ति को भीषण आघात पहुंच रहा है उसके लिए शीघ्र पशु बीमा योजना लागू की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

प्रदेश में प्रति वर्ष निरन्तर बढ़ते हुए पशु रोगों के कारण लाखों पशुओं के मरने की सूचना नहीं है। जहां तक सरकार की जानकारी है, पशु बीमा का कार्यक्रम विभिन्न कम्पनियों द्वारा लागू किया गया है। शासन द्वारा पशु बीमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कृषि विभाग के पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति

*14--श्री बाबूराम वर्मा, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती) श्री राम आसरे (जिला बस्ती), तथा श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

*14--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में पिछड़े वर्ग में राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति में प्रतिशत आरक्षण के शासनादेश का अनुपालन किया गया है ? पिछड़े वर्ग के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी एक, दो एवं विशेष में दिनांक 31 मार्च, 1979 तक वरिष्ठता को जोड़कर पदोन्नतियां की गई हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

कृषि विभाग में राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के सन्दर्भ में पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

आरक्षण सम्बन्धी आदेश जारी होने के दिनांक 13-1-78 से 31-3-79 तक पिछड़े वर्ग के निम्नांकित अधिकारियों की राजपत्रित पदों पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर केवल तदर्थ पदोन्नतियां की गई है :--

सर्वश्री--

1--राधेश्याम कटियार	..	श्रेणी दो, सेक्शन बी में शासनादेश संख्या 1572/12(1), 299(143)77, दिनांक 12-5-78 द्वारा पदोन्नत किये गये।
2--मिठाई लाल मौर्य	..	
3--शंकर लाल यादव	..	
4--राम नगीना राम	..	
5--हरि प्रसाद सिंह सचान	..	
6--माखन सिंह, तथा	..	
7--गणेश शंकर सचान और	..	
8--रामकृष्ण सिंह यादव व	..	भूमि संरक्षण प्रभाग में श्रेणी दो के पदों पर शासनादेश सं० 1399 12-1--413-73, दिनांक 8-3-78 द्वारा पदोन्नत किये गये।
9--जगदीश प्रसाद	..	

*15--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फर्रुखाबाद के इब्राहीमगंज में लगने वाला मवेशी बाजार

*16--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ), तथा श्री रामरतन सिंह (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में मवेशी बाजार इब्राहीमगंज, जो कि सौ सालों से मंगल व शनिवार को लगता चला आ रहा है के अलावा जनपद फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने किसी दूसरे व्यक्ति को मंगल व शनिवार को छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में बाजार मवेशियान लगाने की इजाजत 1978-79 में दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिलों से बकाया गन्ना मूल्य की वसूली के सम्बन्ध में भारत सरकार का आदेश

*17--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1975 के आस-पास केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देशन दिया है कि गन्ना किसानों के मिलों पर बकाया धनराशि की वसूली मालगुजारी वसूली के तरीके से की जाये और आवश्यकता हो तो बकाया रखने वाली चीनी मिलों को जब्त कर लिया जाये, यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस निर्देशन का कहां तक पालन किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

अप्रैल, 1975 में भारत सरकार का एक पत्र दिनांक 29-4-75 प्राप्त हुआ था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि गन्ने के मूल्य का भुगतान निर्धारित समय के भीतर तत्परता से कराने हेतु दोषी चीनी मिलों का शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर 1966 एवं आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत चालान किया जा सकता है और कुछ राज्यों ने अपने अधिनियमों में यह प्राविधान भी कर लिया है कि अवशेष गन्ना मूल्य भू-राजस्व की भांति वसूल किया जा सके । इसीलिए यदि इस प्रकार के प्राविधान जिन राज्यों में न हो वे यथाशीघ्र कर लें और तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

समय-समय पर दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु रिकवरी सार्टीफिकेट जारी किये गये हैं और कई चीनी मिलों को रिसीवरशिप के अधीन भी लिया गया है ।

*18--श्री मन्जूर अहमद--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*19-20--[नियम 47(4) के अन्तर्गत प्रश्न उल्लेख न होने के कारण रिक्त ।]

*21-श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी पर मन्डी शुल्क लगाने की मांग

*22—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सल्फर शुगर, सल्फर प्रोसेस द्वारा मैन्युफैक्चर तैयार करते हैं उन्हे मन्डी समिति को टैक्स अदा करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उसी प्रोसेस द्वारा तैयार करने वाले शकर मिल मालिकों को भी मन्डी समिति को टैक्स अदा करना पड़ता है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

खंडसारी कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उत्पाद निर्दिष्ट है, अतः उस पर मंडी शुल्क लागू है । मिलों द्वारा बनाई गई चीनी खंडसारी की परिभाषा में नहीं आती है, और उस पर मंडी शुल्क देय नहीं है । ऐसी चीनी पर मंडी शुल्क की दर का प्रश्न नहीं उठता ।

हाथरस से बस्ती जिले को खाद की आपूर्ति पर टोल टैक्स की अदायगी

*23—श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह नवम्बर, 1978 में हाथरस से बस्ती जनपद को खाद का कुल कितना स्टाक प्राप्त हुआ तथा कितनी खाद नौगढ़, तहसील को आवंटित की गयी ? क्या यह सही है कि नौगढ़ तहसील को आवंटित खाद सबसे कम दूरी के मार्ग बस्ती-बांसी नौगढ़ से न भेजकर 100 मील से भी अधिक दूरी के मार्ग बस्ती-गोरखपुर नौगढ़ द्वारा भेजना दिखा कर लगभग 32000 रु0 का घोटाला किया गया है ? जबकि टोल टैक्स की रसीद कम दूरी के मार्ग बस्ती-बांसी-नौगढ़ की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोटाले से सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवमंगल सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*24—श्री ऊदल—

[न्यायिक कार्य से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप निरस्त ।]

उप निदेशक, पशुपालन विभाग के पद का विज्ञापन

*25—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने जून, 1976 में उपनिदेशक, पशुपालन के पद का विज्ञापन किया था किन्तु अभी तक उक्त पदों का चयन क्यों नहीं कराया गया ? क्या सरकार तत्काल चयन की व्यवस्था करेगी जिससे विभाग के उच्च शिक्षित तथा योग्य अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर सेवा का अवसर प्राप्त हो सके और तत्सम्बन्धी तदर्थ व्यवस्था समाप्त हो जाय ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हां। वर्ष 1976 में उप निदेशक पशुपालन विभाग के पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन हुआ था। उक्त पदों के लिए अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा सेवा श्रेणी—1 की सेवा नियमावली म मौलिक परिवर्तन शासन के विचाराधीन ह।

*26—श्री बच्चा पाठक—

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित।]

मिर्जापुर जिले के गैपुरा रामपुर घाट मार्ग के निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट

*27—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या पंचायतीराज मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जिले में गैपुरा रेलवे स्टेशन के निकट गैपुरा से रामघाट 11 कि0 मी0 सड़क का 12 नवम्बर, 1965 को उद्घाटन उप मन्त्री भारत सरकार द्वारा किया गया था जिस पर अभी तक मिट्टी भी नहीं पड़ी है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण हेतु 13 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और सड़क पक्की बनी दिखा दी गई है ? क्या सरकार को तथा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को अप्रैल, 1678 से मई, 1973 के बीच तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उपमन्त्री द्वारा की गई कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके, मामले की जांच कराने तथा सड़क के निर्माण की मांग की गई थी ? यदि हां तो सरकार की जांच रिपोर्ट निरीक्षण रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह सत्य है कि प्रश्नगत मार्ग का उद्घाटन 12 नवम्बर, 1965 को किया गया था। गैपुरा रामघाट मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अधीन 4.80 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। वर्ष 1975-76 तक इस मार्ग को 4,25,800 रु0 व्यय करके उपयोगी स्तर तक बनाया गया था। इसके पश्चात् जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा इसके सुधार/मरम्मत पर जनवरी, 1979 तक 38,347 रुपये की धनराशि व्यय की गयी।

तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उपमंत्री की अप्रैल, 1978 से मई 1978 के बीच की निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है परन्तु उनकी दिनांक 20 सितम्बर 1978 की एक निरीक्षण रिपोर्ट अवश्य प्राप्त हुई है। जिस पर जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

श्री लेख राम सिंह परियोजनाधिकारी, कृषि, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री लेख राम सिंह, परियोजनाधिकारी (कृषि), बस्ती के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र आठ विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से शासन को माह नवम्बर, 1978 म प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां। शिकायती-पत्र में उल्लिखित मामलों की जांच कराई जा रही है।

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कार्यशाला, तालकटोरा, लखनऊ में कृषि यंत्रों का उत्पादन

2--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, तालकटोरा कार्यशाला में विगत तीन वर्षों में कितने मूल्य के कृषि यन्त्र बनाए गए तथा कितने मूल्य के अभी बेकार पड़े हैं? इस कार्यशाला की वार्षिक आय व व्यय विगत 1676-77, 78 अलग कितना है? इस कार्यशाला की रनिंग कास्ट क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 410 पर)

कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ द्वारा कृषि यंत्रों का आविष्कार

3--श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित चिनहट कर्मशाला ने विगत तीन वर्षों में कौन-कौन कृषि यन्त्रों का आविष्कार किया है? तथा इस कर्मशाला का वार्षिक व्यय कितना है? क्या सरकार वर्ष 1976-77, 1977-78 की बैलेंसशीट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री शिव मंगल सिंह--

कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ द्वारा विगत तीन वर्षों में जिन-जिन कृषि यंत्रों पर शोध कार्य हुआ है तथा जितना वार्षिक व्यय हुआ है, उसकी सूचना संलग्न है। जहां तक बैलेन्सशीट का प्रश्न है, कर्मशाला की बैलेंसशीट नहीं बनाई जाती है, अतएव उसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 411 पर)।

शाहजहांपुर की रोजा चीनी मिल के क्रय केन्द्रों के विरुद्ध थाने में लिखाई गई रिपोर्ट

4--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर में गन्ना खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में प्रश्नकर्ता विधायक तथा इसी जनपद के काश्तकार ओम प्रकाश अवस्थी की केन कमिश्नर, लखनऊ की शिकायत पर जून, 1978 में फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जांच के उपरान्त सहायक चीनी आयुक्त एवं गन्ना निरीक्षक, शाहजहांपुर ने जो रिपोर्ट थाने में लिखाई थी उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री सत्यपाल सिंह यादव, विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 16-6-78 तथा श्री ओम प्रकाश अवस्थी के तार दिनांक 15-6-78 के सम्बन्ध में मुख्यालय पर गठित एक जांच दल द्वारा सेजा चीनी मिल के कतिपय क्रय केन्द्रों पर की जा रही अनियमितताओं की जांच की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त जांच दल की रिपोर्ट दिनांक 25-9-78 के आधार पर सहायक चीनी आयुक्त शाहजहांपुर ने दिनांक 23-11-78 को थाना कोतवाली शाहजहांपुर में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की थी उसमें अन्तिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) दिनांक 22-5-79 को प्रेषित की जा चुकी है।

5—श्री राम नरायन वर्मा—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

6—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

मेरठ मण्डल के सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण

7—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जून, 1977 से मार्च, 1979 तक मेरठ मण्डल के अन्तर्गत कितने सहकारी पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं और कितने ऐसे हैं कि उनके स्थानान्तरण होकर पुनः रोक दिये गये हैं? क्या सरकार इस सारे मामले की जांच किसी उच्च एवं निष्पक्ष अधिकारी से करायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में 128 पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण किये गये तथा 12 पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण रोके गये।

जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

8—श्री रणवीर सिंह—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित।

सीतापुर जिले की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना का मूल्य

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की प्रत्येक चीनी मिलों पर दिनांक 28 फरवरी, 1979 तक काश्तकारों का कितना रुपया बकाया है? तथा इसके भुगतान के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री शिव मंगल सिंह—

जनपद सीतापुर की प्रत्येक चीनी मिलों पर काश्तकारों के बकाया गन्ना मूल्य (ब्याज सहित) 28-2-79 तक की स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	नाम चीनी मिल	अवशेष धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3
1	हरगांव	176.82
2	बिसवां	36.49
3	महोली	182.45

अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। महोली चीनी मिल को पुराने गन्ना मूल्य भुगतान हेतु एक करोड़ 65 लाख रुपये का ऋण भी प्रदान किया गया है।

लघु कृषक विकास अभिकरण सीतापुर द्वारा नलकूपों का निर्माण

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में एस० एफ० डी० ए० विकास खन्ड खैराबाद द्वारा कितने नलकूप वित्तीय वर्ष 1978-79 में लगना प्रस्तावित है तथा वह कब तक लगा दिए जायेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

लघु कृषक विकास अभिकरण सीतापुर ने वर्ष 1978-79 में विकास खंड खैराबाद में उ० प्र० नलकूप निगम के माध्यम से 13 सामूहिक नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन नलकूपों को लगाने के लिए उ० प्र० नलकूप निगम द्वारा स्थल चयन एवं सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। स्थल चयन के उपरान्त निगम द्वारा यथा शीघ्र नलकूप लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक उनके लग जाने की आशा है।

विकास खंड, अधिकारी, श्री रामायण सिंह, बृजमनगंज, जिला गोरखपुर का वेतन व यात्रा भत्ता

11—श्री ओम प्रकाश—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज ब्लाक के बी० डी० ओ० (श्री रामायण सिंह) ने 7 जनवरी, 1968 से 27 जनवरी, 1978 तक अवकाश पर रहते हुए उक्त अवधि का वेतन तथा 24 जनवरी, 1978 का यात्रा भत्ता प्राप्त किया है (वाउचर 257 हेड 314/11-2-78) तो उपरोक्त बी० डी०ओ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं, खंड विकास अधिकारी बृजमनगंज (श्री रामायण सिंह) 7-1-78 से 27-1-78 तक लगातार अवकाश पर नहीं थे वरन् 6-1-1978 से 12-1-1978 तथा पुनः दिनांक 17-1-1978 से 22-1-1978 तक स्वीकृत आकस्मिक अवकाश पर थे। उन्होंने माह जनवरी, 1978 का वही वेतन आहरित किया है जो उनको सामान्य रूप से देय था और दिनांक 24-1-78 का कोई यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं किया।

वाउचर 257 हेड 314/11-2-78 विकास खंड बृजमनगंज का आहरण नहीं है। इस प्रकार बी० डी० ओ० के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

12—श्री ओम प्रकाश—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित।]

बस्ती, कप्तानगंज बाजार में परिवहन विभाग का स्थायी बुकिंग आफिस खोलने की मांग

13—श्री ओम प्रकाश—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने बस्ती जिले के कप्तानगंज बाजार के अस्थायी बुकिंग आफिस को स्थायी करने तथा मेल बसों के रोकन के सम्बन्ध में दिनांक 20 मार्च, 1979 को पत्र लिखा था, जिस पर मन्त्री जी ने आदेश भी दिया था कि कप्तानगंज में स्थायी बुकिंग आफिस कर दिया जाये और वहां मेल बसें भी रोकी जायें ? यदि हां, तो मन्त्री जी के आदेशों का अब तक 19-4-79 तक क्यों नहीं पालन हुआ ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

कप्तानगंज बाजार में दिनांक 17-1-1979 से ही एक अस्थायी बुकिंग आफिस खोल दिया गया है जहां सभी आने-जाने वाली गाड़ियां रुक रही है।

स्थायी बुकिंग आफिस तभी खोला जाता है जबकि बुकिंग आफिस की आय 1,000 रु० प्रतिदिन हो। चूंकि कप्तानगंज बुकिंग आफिस की प्रतिदिन की आय 1,000 रु० से कम है, अतः वहां स्थायी बुकिंग आफिस खोले जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

14—श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित।]

15—श्री मित्रसेन—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित।]

बहराइच जिले में धान नर्सरी योजना के अन्तर्गत बीज का वितरण

16—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच—)

क्या शासन को यह जानकारी है कि सामूहिक धान नर्सरी योजना के अधीन बीज का वितरण 15 जून तक हो जाना चाहिए, लेकिन बहराइच जिले में

अनुदान अगस्त, 1978 में दिया गया जब कि धान बोवाई समाप्त हो जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच उपरान्त दोषी पाए गए अधिकारी को अब तक दन्डित न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ।

श्री श्याम बिहारी शिवहरे, परिचालक, नगर बस सेवा, कानपुर की सेवा समाप्ति

17--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर) तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 21 सितम्बर, 1977 एवं 29 जुलाई, 1978 को प्रार्थी श्री श्याम बिहारी शिवहरे, परिचालक नगर बस सेवा, कानपुर जिसकी सेवायें समाप्त की गई थी ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि श्री श्याम बिहारी शिवहरे द्वारा दी गयी अपील पर अभी तक किन परिस्थितियों म कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्री श्याम बिहारी शिवहरे के दिनांक 21-9-77 तथा 29-7-78 के कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुए ह । लेकिन इनके विभिन्न तिथियों के प्रत्यावेदनों पर चालकों/परिचालकों के प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु गठित समिति की दिनांक 10-5-79 की बैठक में विचार किया गया है, जिसका निर्णय अभी अपेक्षित है ।

18--श्री मुहम्मद रफी खां--

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित ।]

19--श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट--

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित ।]

बहराइच जिले की मकलानदी के घाट की गांव सभा मनकौरा कोडरी द्वारा नीलामी

20--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या यह सही है कि बहराइच जिले के इकौता से लक्ष्मनपुर बाजार सड़क के मकलानदी पर ककरा घाट की सीमा के अन्दर गांव सभा, मनकौरा कोडरी द्वारा दूसरा घाट अवैधानिक ढंग से नीलाम करने के सम्बन्धमें ककरा घाट ठेकेदार श्री कृष्णा व कई अन्य लोगों ने शिकायती-पत्र श्रीमान् जिलाधिकारी, बहराइच व श्रीमान् आयुक्त महोदय, फैजाबाद को दिसम्बर, 1978 में दिए ? यदि हां, तो क्या जांच करके उक्त अवधानिक नीलामी रद्द कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब तक रद्द न करने के लिए जिम्मेदार कौन-कौन हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

आगरा जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं के बीज का वितरण

21--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री यह बतायेंगे कि जनपद आगरा और फिरोजाबाद में जमुना नदी की बाढ़ से पीड़ित नष्ट काश्तकारों को राजकीय कृषि बीज भंडारों से क्या भीगा हुआ और घटिया किस्म का गेहूं का बीज वितरित किया गया और जो बीज का गेहूं नहीं था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार को प्रश्नकर्त्ता की ओर से वर्ष 1978 में कोई शिकायत गेहूं के बीज सम्बन्धी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या बीज में वितरित गेहूं की कीमत ज्यादा वसूली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

रबी 78-79 में आगरा एवं फिरोजाबाद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लघु एवं सीमान्त कृषकों को राजकीय कृषि बीज भंडारों से गेहूं का बीज वितरित किया गया था । बीज की शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता के परीक्षण के उपरान्त उच्च श्रेणी का पाया जाने पर ही उसे वितरित किया गया था ।

माननीय प्रश्नकर्त्ता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई थी और बीज उच्च श्रेणी का पाया गया था । वितरित गेहूं की कीमत 140 रु0 प्रति कुंतल शासन द्वारा निर्धारित की गई और इसी कीमत पर उसे वितरित किया गया था । अधिक कीमत वसूल नहीं की गई ।

22--श्री श्रीराम द्विवेदी--

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित ।]

लखनऊ जिले की ग्राम सभा अटेसुवा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा सम्बन्धी शिकायती-पत्र

23--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 27 फरवरी, 1979 को ग्राम सभा अटेसुवा, तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के उप प्रधान द्वारा ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा, भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध इसी ग्राम पंचायत के एक सदस्य का शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां, जांच परगनाधिकारी, मलीहाबाद द्वारा की जा रही है ।

बहराइच जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत दिया गया ऋण एवं अनुदान

24--कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में विकास खंडवार 'अन्त्योदय योजना' लागू होने के समय से अब तक लक्ष्य एवं पूर्ति विवरण क्या है तथा उक्त योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करके सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा

चुका है ? यदि हां, तो जिन विकास खंडों में अब तक लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पाई है, वह कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

बहराइच जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत विकास खंडवार निर्धारित लक्ष्य और 24-5-79 तक पूर्ति के विवरण संलग्न 'विवरण-पत्र'* में दिए गए हैं। जिन परिवारों को ऋण/अनुदान वितरित नहीं किया गया है उन्हें ऋण/अनुदान वितरित किए जाने हेतु जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए जा रहे ह। प्रयास किया जा रहा है कि वर्ष के अन्त तक जनपद को आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा लक्ष्यों की पूर्ति के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 412 पर।)

बहराइच जिले के सहायक कृषि निरीक्षकों का स्थानान्तरण

25--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को जानकारी है कि बहराइच जिले में पिछले डेढ़ वर्षों के अन्दर अब तक लगभग 16 सहायक कृषि निरीक्षकों को अकारण ही एक खाद व बीज गोदाम से हटाकर दूसरे गोदाम पर स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं तथा कब-कब, कहां से कहां स्थानान्तरित किया गया तथा स्थानान्तरण करने का आधार क्या था और क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उचित माध्यम से फरवरी, 1979 में जिला कृषि अधिकारी, बहराइच को मिला ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

26--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध गाली-गलौज देने की शिकायत

27--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या यह सही है कि बहराइच जिले में कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच ने मार्च, 1979 में अपने अधीन वरिष्ठ कर्मचारियों को मारने की धमकी तथा गाली-गलौज दी जिसकी सूचना डिप्टी डाइरेक्टर, कृषि, फैजाबाद को दी गयी ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा अब तक दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा लिया गया अनियमित टी० ए० बिल

28—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि वर्तमान कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध उप निदेशक कृषि, फैजाबाद ने बहराइच व गोंडा में अनियमित ढंग से टी० ए० बिल लेन-देन में वर्ष 1978-79 म जांच की और टी० ए० बिल में गम्भीर अनियमितताएं पायीं ? यदि हां, तो अनियमित टी० ए० बिल लेने व देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच जिले में पकड़ी गयी नकली कीट नाशक दवा

29—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि बहराइच जिले में कीट नाशक नकली दवाओं का पैकिंग का धंधा जोरों पर होने की शिकायत वर्ष 1978 में इंचार्ज जिलाधीश महोदय, बहराइच को करने पर उनके आदेश पर तत्कालीन एस० डी० एम०, बहराइच ने छापा मार कर नकली पैकिंग बरामद कर सील किया और कोतवाली शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच को भी सूचित किया ? क्या उक्त मामले को दबा दिया गया ? यदि नहीं, तो दोषी पाए गए व्यक्ति व अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

इन्चार्ज जिला मैजिस्ट्रेट, बहराइच को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर मेसर्स जनता कृषि भण्डार केवलगंज, बहराइच के यहां छापा मार कर कुछ दवाओं की पैकिंग एस० डी० एम० बहराइच ने बरामद करके सील किया तथा थाना कोतवाली नगर में जमा किया । कृषि रक्षा अधिकारी, बहराइच को भी इसकी सूचना दी गयी । कानूनी राय में मामला न्यायालय में वाद संस्थित करने योग्य नहीं था । अतएव कार्यवाही नहीं की गयी । मामले को दबाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर जिले के सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण

30—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के वर्तमान सहायक निबन्धक (सहकारिता) ने अपने कार्य ग्रहण करने के बाद जिले में कितने सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण किया एवं उसके क्या आधार है ? क्या यह सच है कि धुंधली में जिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है उसे इस आधार पर पहले वहां से हटाया गया था कि इसी विकास क्षेत्र के अन्दर उसकी रिश्तेदारी एवं भूमि है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

39 सहकारी पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण किये गये। उनके स्थानान्तरण के आधार जनहित, प्रशासनिक तथा निजी अनुरोध थे ।

धुंधली विकास खण्ड में कार्यरत तत्कालीन पर्यवेक्षक को जब आदेश द्वारा हटाया गया था तब वह विवरण उपलब्ध नहीं था कि उक्त पर्यवेक्षक की रिश्तेदारी तथा भूमि उसी विकास खण्ड में थी । अब यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त पर्यवेक्षक की रिश्तेदारी तथा उनके ससुर की भूमि इसी विकास खण्ड में है । पर्यवेक्षक के उक्त क्षेत्र से तत्काल स्थानान्तरण के आदेश दिये जा चुके हैं।

31—श्री रणजीत सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[28-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 58 द्वारा उत्तरित]

सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ द्वारा अर्जित लाभ

32—श्री रणजीत सिंह (जिला आगरा) तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना मन्त्री बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समितियां संघ लि०, लखनऊ ने वर्ष 1975-76, 1976-77 एवं 1977-78 में कितना-कितना लाभ अर्जित किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ ने वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में निम्नानुसार शुद्ध लाभ अर्जित किया :—

वर्ष	लाभ (रु०)
1975-76	23,82,213·19
1976-77	30,54,733·16
1977-78	39,11,051·24

बहराइच जिले के बघेल ताल एवं अन्य जलाशयों की सर्वेक्षण रिपोर्ट

33—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच के ब्लाक पयागपुर में स्थित 1101·74 एकड़ के बघेल ताल तथा उससे संलग्न 3400 एकड़ जल भराव क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षत्रीय विकास उप मन्त्री के दिनांक 4 दिसम्बर, 1978 के द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच संख्या मेमो/स०क० सात, दिनांक 17 दिसम्बर, 1978 की पयागपुर व बघेल ताल की सर्वेक्षण रिपोर्ट मय नक्शा के साथ प्रकल्प एवं प्राक्कलन रिपोर्ट ग्रामोदय प्रकल्प एक आदर्श किसान नगर के स्थापनार्थ दिसम्बर, 1978 या जनवरी, 1979 के बीच मुख्य सचिव, ए० पी० सी०, नियोजन सचिव, वित सचिव तथा विशेष सचिव क्षेत्रीय विकास को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो पूरी सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां, जिलाधिकारी बहराइच से प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 413 पर ।)

तराई विकास निगम, पन्तनगर के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित आरोप-पत्र

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तराई विकास निगम कर्मचारी संघ, पन्तनगर के अध्यक्ष द्वारा तराई विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक, डा० वी० पी० घिल्डियाल पर भ्रष्टाचार तथा अनेक अनियमितताओं से सम्बन्धित एक आरोप-पत्र अगस्त, 1978 के प्रथम सप्ताह में दिया गया ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं और अब तक इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

तराई विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अगस्त, 1978 के प्रथम सप्ताह में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता सम्बन्धी कोई आरोप-पत्र निगम के कर्मचारी संघ से प्राप्त नहीं हुआ ।

तराई विकास निगम, पन्तनगर के कर्मचारियों की हड़ताल

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि तराई विकास निगम कर्मचारी संगठन की ओर से संगठन के महामन्त्री श्री महातम सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक मांग-पत्र सितम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह में श्रम मन्त्री, कृषि मन्त्री, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी, नैनीताल आदि के नाम दिया गया ? जिसमें 14 दिन के अन्दर मांगें पूरी न होने पर 18 सितम्बर, 1978 से आम हड़ताल की सूचना भी दी गयी ? यदि हां, तो शासन की ओर से मांग-पत्र के सिलसिले में क्या-क्या कदम उठाए गए और हड़ताल की नौबत न आवे इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां । मांग-पत्र प्राप्त होते ही श्रम विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उभय पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया गया किन्तु निर्धारित तिथि (18-9-78) तक समझौता न होने के कारण हड़ताल आरम्भ हो गई । फिर भी श्रम विभाग का प्रयास जारी रहा और अन्त में 20-9-78 को उभय पक्षों में समझौता करा दिया जिसके फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई और सौहाद्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने का संघ के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया ।

एग्रो के माध्यम से बेरोजगार इंजीनियर्स एवं कृषि स्नातकों को दिया गया प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ताओं को दिया गया ऋण

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि सन् 1971 से राज्य सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा तथा यू० पी० एग्रो के माध्यम से बेरोजगार इंजीनियर्स एवं कृषि स्नातक की एक योजना स्वयं जीविकोपार्जन के अन्तर्गत चलाई गयी है जिसमें सन् 1977 तक लगभग 821 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था उनमें से कुछ उद्यमकर्ताओं ने निजी कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए और कुछ ने नहीं तथा कुछ उद्यमकर्ताओं को धन के वसूली के सम्बन्ध में कुर्की, जेल आदि यातनाएं सहनी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या कृषि मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने कृषि सेवा केन्द्र उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं तथा कितने उद्यमकर्ताओं को कुर्की व जेल आदि यातनाएं सहनी पड़ीं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां । सन् 1971 से राज्य सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा तथा यू० पी० एग्रो के माध्यम से बेरोजगार इंजीनियर एवं कृषि स्नातकों की योजनाएं स्वयं जीविकोपार्जन के अन्तर्गत चलायी गयी थी उनमें सन् 1977 तक लगभग 867 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया । उनमें से 525 उद्यमकर्ताओं ने निजी कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार बैंकों द्वारा 33 उद्यमकर्ताओं के विरुद्ध ऋण की वसूली के सम्बन्ध में राजस्व विभाग अथवा न्यायालय में कार्यवाही चलायी

जा रही है । इसके अतिरिक्त यू० पी० एग्रो के माध्यम से हायर परचेज पर वितरि ट्रैक्टरों की कीमत से सम्बन्धित बकाया की वसूली हेतु 4 उद्यमकर्ताओं के विरुद्ध राजस्व विभाग के माध्यम से जेल भेजने एवं कुर्की करने की कार्यवाही की गयी है ।

37--श्री राम आसरे वर्मा--

[19-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

38--श्री राम आसरे वर्मा--

[12-3-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 56 द्वारा उत्तरित]

फल संरक्षण संस्थान, लखनऊ का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ में फल संरक्षण संस्थान द्वारा 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स फ्रूट टेक्नालाजी का चलाया जा रहा है और उक्त डिप्लोमा कोर्स को एम०एस-सी० डिग्री में परिवर्तित करने का मामला भी क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त संस्थान को चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की एक शाखा फ्रूट फैकल्टी घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां, विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, इलाहाबाद के उद्यमकर्ता, श्री क्षत्रपाल सिंह गौतम का खाते के सम्बन्ध में पत्र

40--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, ब्रांच इलाहाबाद द्वारा उद्यमकर्ताओं का खाता रखने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उद्यमकर्ता, श्री क्षत्रपाल सिंह गौतम द्वारा तारीख 1 जनवरी, 1979 को प्रबन्ध निदेशक व ब्रांच मैनेजर को एक शिकायती-पत्र वाबत बीमा धनराशि का गलत समायोजन व ब्याज और फाइडेल्टी गारन्टी को गलत वसूली के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उद्यमकर्ता के खाते में अब तक सुधार न किए जाने के कारण क्या हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां । श्री क्षत्रपाल सिंह गौतम का दिनांक 1-1-1979 का पत्र निगम के प्रबन्ध निदेशक व ब्रांच मैनेजर इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है किन्तु उद्यमकर्ता का खाता सही होने के कारण उसमें सुधार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

41--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

ग्राम सभा त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी में किया गया निर्माण कार्य एवं उसकी पासबुक

42--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान, श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी, ग्राम सभा, त्रिवेदीगंज, वि० खं० त्रिवेदीगंज, बाराबंकी ने वर्ष 1972-73 से 1979-80 तक क्या-क्या निर्माण कार्य किए तथा पंचायत की पास-बुक पर कितना धन है और कितना धन उनके पास है ?

श्री जमुना प्रसाद--

विकास खंड त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी की ग्राम सभा त्रिवेदीगंज के प्रधान श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी ने वर्ष 1972-73 से अब तक खड़ंजा, एवं खड़ंजा, नाली तथा हैन्ड पाइप, के निर्माण का कार्य कराया । पंचायत की पास बुक में 3,822 रुपये 27 पैसे तथा प्रधान के पास 232 रुपये 60 पैसे जमा है ।

गोंडा जिले के विकास खण्ड पंचापेड़वा की कतिपय सहकारी समितियों का सत्यापन एवं फर्जी ऋण

43--श्री बिन्दू लाल (जिला गोन्डा)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे के गोण्डा जनपद के पंचपेड़वा, विकास खण्ड की सहकारी समितियों का सत्यापन कब कराया गया तथा कितने लोगों पर ऋण फर्जी पाए गए ऋण को समाप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद गोन्डा के पंचपेड़वा विकास खंड की तीन समितियों में वर्ष 1977 में सत्यापन का कार्य प्रारम्भ कराया गया था । उसमें से एक, हरखड़ी क्षेत्रीय सहकारी समिति का सत्यापन पूर्ण हो चुका है । सत्यापित समिति हरखड़ी में 6 सदस्यों के फर्जी ऋण के वितरण का मामला जो मुबलिग रु० 5,002·15 का है, प्रकाश में आया है । समीक्षा समिति द्वारा उक्त फर्जी ऋण को राइट आफ किये जाने का निर्णय लिया गया है । पंचपेड़वा तथा लौकहवा क्षेत्रीय सहकारी समितियों से सम्बन्धित सत्यापन प्रगति में है ।

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा प्लाट्स की खरीद

44--श्री राम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जनवरी, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने किस-किस स्थान पर कितने-कितने मूल्य के प्लाट खरीदे और विक्रय करने वाले व्यक्तियों ने कब-कब वह भूमि कारपोरेशन को हस्तान्तरित की है कृपया विक्रयकर्ताओं एवं उनकी जिले बार सूची भी बताने की कृपा करेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार माह जनवरी, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक उक्त निगम द्वारा जो प्लाट पट्टे पर लिये गए या खरीदे गये हैं उनकी सूची, मूल्य तथा विक्रेताओं/पट्टेदाताओं के नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं । प्लाटों को निगम के नाम हस्तान्तरित किये जाने की तिथि संलग्न तालिका में प्रत्येक प्लाट के सम्मुख इंगित की गयी है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 415 पर) ।

जिला बस्ती में बभनान बाजार मण्डी समिति के निर्माण की मांग

45--श्री ओम प्रकाश--

प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 व 74, दिनांक 19 मार्च, 1979 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिलाधिकारी, बस्ती से वह सूचना प्राप्त हो गयी जो शासन द्वारा मांगी गई ? यदि हां, तो अब बभनान बाजार, जिला बस्ती का कब तक सरकार कृषि उत्पादन मण्डी समिति के निर्माण की घोषणा कर देगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जी हां । बभनान बाजार को स्वतंत्र मंडी क्षेत्र घोषित करना उपयुक्त नहीं है ।

46--श्री बाबू लाल वर्मा--

[6 ठे सोमवार के लिए स्थगित ।]

प्रतापगढ़ जिले में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कथित पदोन्नति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण

47--श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)--

क्या ग्राम्य विकास मंजी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में जुलाई, 1978 में स्थानापन्न खंड विकास अधिकारी/प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी पद पर स्थायी सहायक विकास अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है, आरक्षित कोटे, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत कौन-कौन से सहायक विकास अधिकारियों की प्रोन्नति की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद--

प्रतापगढ़ जनपद में जुलाई, 1978 में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कोई प्रोन्नति नहीं की गई बल्कि प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के 2 पदों पर पहले से कार्यरत अधिकारियों का कार्यकाल नियमानुसार 4 माह के लिये बढ़ाया गया और वे पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं ।

48--श्री राम सिंह--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

उपभोक्ता सहकारी संघ के अध्यक्ष के दौरे का बिल

49--श्री राम सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रशासक उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ ने अपने कार्यकाल में किन-किन जिलों का दौरा कार से तथा रेल से कब-कब किया और इस दौरे पर जो व्यय हुआ उसकी विवरण सहित पूरी सूची क्या है ? क्या यह सभी यात्राएं संघ के कार्य से सम्बन्धित थीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के वर्तमान अध्यक्ष ने उपलब्ध सूचना के अनुसार अपने कार्यकाल में प्रदेश के अन्दर व प्रदेश के बाहर जिन स्थानों का दौरा किया है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है† । इन दौरों पर

†छापी नहीं गयी

दिनांक 14-9-77 से 30-4-79 की अवधि में 21,877·70 पैसा के यात्रा बिलों का भुगतान किया गया है। यात्रायें संघ के कार्य के हित में की गई हैं।

राज्य सड़क परिवहन निगम की मान्यता प्राप्त यूनियन और मान्यता प्राप्त करने के लिये श्रमिक संगठनों का प्रार्थना-पत्र

50--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक की सदस्य संख्या क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इस समय राज्य स्तर की तीन तथा क्षेत्रीय स्तर की दो यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :

1--राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त यूनियनें--

यूनियन का नाम	सदस्य संख्या
1--रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	12,713
2--यू० पी० रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन, लखनऊ।	7,305
3--रोडवेज मजदूर सभा, इलाहाबाद	6,230

2--क्षेत्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त यूनियनें--

1--सेन्ट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ, कानपुर	1980
2--मुख्यालय कर्मचारी परिषद, लखनऊ।	239

51--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में श्रमिक संगठनों को मान्यता देने हेतु किन-किन संगठनों के आवेदन-पत्र इस समय विचाराधीन हैं तथा उनकी सदस्य संख्या क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों को मान्यता देने हेतु, केवल उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज कर्मचारी संघ, वाराणसी, का आवेदन-पत्र परिवहन निगम के विचाराधीन है। इस संघ की सदस्य संख्या 15,725 है।

फैजाबाद जिले में जलालपूर सुरहुरपुर व धवरआ-नेमपुर मार्ग का निर्माण

52--श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कस्बा जलालपुर से सम्बन्धित खाद्य योजना के अन्तर्गत मण्डी सड़क निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अब तक कितना कार्य किया गया तथा कितना धन व्यय हुआ ? यदि नहीं, तो कब तक सड़क कार्य पूरा होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

खाद्यान्न के रूप में मजदूरी देने की योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के जलालपुर ब्लाक में जलालपुर-सुरहुरपुर तथा धवरआ-नेमपुर संपर्क मार्गों का निर्माण किया गया है ।

जलालपुर-सुरहुरपुर मार्ग के निर्माण पर 8,231 रुपया व्यय हुआ तथा मजदूरी के रूप में लगभग 222 कुन्तल गेहूं दिया गया । धवरआ-नेमपुर मार्ग के निर्माण पर 2,361 रुपया व्यय हुआ तथा मजदूरी के रूप में लगभग 85 कुन्तल गेहूं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिले की ग्राम सभा अटेसुवा के प्रधान का निलम्बन

53--श्री मन्नराम (जिला बलिया)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19 मार्च, 1979 को प्रधान, ग्राम सभा अटेसुवा, तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ को सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा निलम्बन किए जाने के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निलम्बन के पूर्व ही दिनांक 22 सितम्बर, 1978 को प्रधान के मुख्य कागजात जमा हो चुके थे जिनकी नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 1976 को जांच व दिनांक 22 सितम्बर, 1979 को आडिट भी हो चुका था, जिसमें प्रधान को निर्दोष पाया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54--श्री अब्दुल हफीज--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

फैजाबाद जिले के बसखारी गोकुला मार्ग का निर्माण एवं मजदूरों की बकाया मजदूरी

55--श्री अब्दुल हफीज--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के बसखारी ब्लाक में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बसखारी से गोकुला तक सम्पर्क मार्ग के मजदूरों की मजदूरी वर्ष 1978 से अब तक बाकी है ? या मजदूरों की ओर से बकाया मजदूरी के भुगतान की शिकायती दरख्वास्त सम्बन्धित बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध भू0 पू0 राज्य सूचना मंत्री को सन् 1978 में इनके जहांगीरगंज दौरे के समय दी गयी थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां ।

जी हां । मजदूरों के मजदूरी के भुगतान सम्बन्धी प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र देने के समय केवल रुपये 269.65 पैसे की मजदूरी का भुगतान अवशेष था, जिसका भुगतान मजदूरों को व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर किया जा चुका है ।

फैजाबाद जिले की साधन सहकारी समिति मंशापुर के भूतपूर्व सचिव, श्री सर्वजीत सिंह के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

56—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में सहकारी समिति मंशापुर में काफी गबन है और उक्त समिति को नसीरपुर समिति में मिला दिए जाने के बावजूद उसका चार्ज अभी तक केवल इसी कारण नहीं हो सका ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां मंशापुर साधन सहकारी समिति को नसीरपुर साधन सहकारी समिति में मिलाया गया है। तत्कालीन मंशापुर समिति के भूतपूर्व सचिव श्री सर्वजीत सिंह ने उक्त समिति के अभिलेखों का चार्ज नसीरपुर समिति के सचिव को नहीं दिया जिसके सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (सह0) कटेहरी द्वारा थाना अकबरपुर में दिनांक 12 1—78 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और अपराध संख्या 23 धार, 409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत श्री सर्वजीत सिंह पुत्र श्री रामदेव सिंह, अभियुक्त, के विरुद्ध दिनांक 22—8—78 से विशेष अनुसन्धान शाखा सहकारिता द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी और 26—12—78 को आरोप-पत्र भी प्रेषित कर दिया गया।

फैजाबाद जिले की साधन सहकारी समिति, मंशापुर के अभिलेखों के चार्ज दिये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

57—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 फरवरी, 1978 को ग्राम मंशापुर, ग्राम समसपुर तथा गांव सभा रघुनाथपुर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित मिला है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। प्रार्थना पत्र की जांच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी (सह0) अकबरपुर से कराई गई। सहायक निबन्धक द्वारा मंशापुर साधन सहकारी समिति से सम्बन्धित अभिलेखों को प्राप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 37(1) के अधीन दिनांक 2—12—77 को ही आदेश दिया गया था। परन्तु अभी तक समिति के अभिलेखों का चार्ज न्याय पंचायत स्तर पर गठित नसीरपुर साधन सहकारी समिति के सचिव को प्राप्त नहीं हो सका है जिस कारण अब अधिनियम की धारा 103(3) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

समिति में मंशापुर ग्राम के 26 नये सदस्य बन चुके हैं तथा अन्य को भी सदस्य बनाये जाने के आदेश जिला स्तर पर हो चुके हैं तथा सदस्य बनाये जाने के बाद ऋण सुलभ कराये जाने की व्यवस्था जिला सहायक निबन्धक द्वारा करायी गई है।

एटा जिले के शीत गृहों के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

58--श्री बाबूलाल सरोज--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के शीतगृहों में हुए भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के अनेकों शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, निदेशक तथा मंत्री जी को वर्तमान वर्ष में मिले ? यदि हां, तो जांचकर्ता कौन अधिकारी थे, जांच के परिणाम क्या हैं तथा जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जनपद एटा के शीतगृहों में भ्रष्टाचार व अनियमिताओं संबंधी चार शिकायतें प्राप्त हुयीं । शिकायतों की जांच परगना मजिस्ट्रेट, एटा व कासगंज द्वारा करायी गयी । जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित दर रु0 13.60 प्रति कुन्तल से अधिक धन वसूल नहीं किया है तथा अधिक धन वसूल करने वाली शिकायत निराधार पायी गयी। जांच के बाद कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रतापगढ़ जिले के शीत गृहों में क्षमता से अधिक आलू का भण्डारण

59--श्री बाबूलाल सरोज--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के किस-किस शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) में कितना-कितना आलू भरने की क्षमता है ? वर्तमान वर्ष में कितना-कितना आलू किस-किस शीत गृह में रखा गया है ? क्या यह सही है कि शीत गृहों में क्षमता से अधिक आलू रखा गया है ? यदि हां, तो आलू खराब होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ।

श्री शिव मंगल सिंह--

जिला प्रतापगढ़ में तीन शीत गृह कार्यरत हैं जिनके भण्डार का विवरण इस प्रकार है :--

शीतगृह का नाम	भण्डार क्षमता (कुन्तल में)	भण्डारित मात्रा (कुन्तल में)
1--प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री चिलबिला	28000	29972
2--अवध कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस प्लांट, जोगापुर	21542	22775
3--दिलीपपुर कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री	16230	14570

इस वर्ष आलू की रिकार्ड पैदावार होने के कारण कृषकों की सुविधा की दृष्टि से केवल दो शीतगृहों में क्षमता से अधिक आलू भण्डारित किया गया । उक्त तीनों शीतगृह निजी रूप में शीतगृह मालिकों द्वारा चलाये जा रहे हैं । भण्डारण क्षमता के अनुसार ही आलू भण्डारित करने का दायित्व शीतगृह मालिकों का है और उन्हें भण्डारित कृषि उत्पाद का बीमा कराना अनिवार्य है । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, यदि भण्डारित आलू खराब होता है तो शीतगृह स्वामियों को प्रतिकर देने का प्राविधान है ।

60--श्री भगवती सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

61--श्री भगवती सिंह--

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद के कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति

62--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद में संचालक मण्डल का चुनाव होने के बाद किस-किस पद के कर्मचारियों के स्थानान्तरण किन-किन कारणों से किए गए ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद में संचालक मण्डल के चुनाव होने के बाद 5 शाखा प्रबन्धक, 12 सहायक आंकिक, 4 लिपिक, 2 कोषाध्यक्ष एवं 5 चपरासियों के स्थानान्तरण किये गये। यह स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर एवं अध्यक्ष के आदेश से बैंक हित व जनहित में किये गये।

63--श्री रियासत हुसैन--

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि संचालक मण्डल के चुनाव के बाद कितने दैनिक मजदूरी (डेली वेजेज) के कर्मचारी रखे गए तथा उनकी नियुक्ति का क्या आधार था ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कुल 11 कर्मचारी जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद में संचालक मण्डल के चुनाव के बाद दैनिक वेतन पर रखे गये, पर यह नियुक्तियां रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु बैंक की दो नई शाखायें खोले जाने के आधार पर एवं बैंक मुख्यालय पर गेहूं-क्रय योजना के सम्बन्ध में की गई।

संकर बछिया के पालनार्थ स्वीकृत अनुदान

64--श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि संकर बछिया पर शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो यह अनुदान कब से और कौन-कौन जनपदों में दिया गया ? यह अनुदान वर्ष 1978 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्री अब्दुल हलीम खां--

जी हां। लघु/सीमान्त कृषकों एवं कृषक मजदूरों के पास उपलब्ध संकर बछियों के पालनार्थ जनपद मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली प्रतापगढ़, देहरादून, नैनीताल तथा अल्मोड़ा में क्रमशः दिनांक 28-10-77 व 1-12-76 से अनुमानित मूल्य पर संतुलित आहार उपलब्ध किया जाता है।

वर्ष 1978 में कुल 1019 व्यक्तियों को अनुदान दिया गया ।

ट्रैक्टर ट्राली पर आयद रोड टैक्स के विरुद्ध प्रत्यावेदन

65--श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा किसानों की ट्रैक्टर ट्राली पर रोड टैक्स आयद कर देने से प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र असन्तोष व्याप्त है और क्या जनपद नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र के किसानों की ओर से उपरोक्त नये कराधान के विरुद्ध जन आन्दोलन छेड़ देने के नोटिस अभी हाल में सरकार तथा जिलाधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां । ट्रैक्टर ट्राली पर आयद रोड टैक्स के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

बहराइच जिले की कैसरगंज व जरवल रोड बाजार के विकास हेतु प्रार्थना-पत्र

66---श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में कैसरगंज व जरवल रोड की बाजार में जिला परिषद् तथा गाँव सभा द्वारा सफाई, बिजली खड़ंजा, जल निकासी नालियां व सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु पत्र संख्या 2146, दिनांक 20 सितम्बर, 1977 (जिलाधिकारी बहराइच), पत्र संख्या 4230, दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 (जिलाधिकारी, बहराइच) तथा पत्र संख्या 758 दिनांक 12 अप्रैल, 1978 (जिलाधिकारी, बहराइच) प्राप्त हुए ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? वर्णित सन्दर्भों में निर्माणकार्य कितना हो गया तथा शेष कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

माननीय विधायक का केवल एक पत्र दिनांक 12 अप्रैल 1978, जिस पर कोई पत्रांक अंकित नहीं है, जिलाधिकारी बहराइच के पास उपलब्ध है ।

कैसरगंज बाजार में सफाई के लिए दो कर्मचारी नियुक्त हैं तथा बाजार में बिजली की व्यवस्था जिला परिषद् द्वारा कर दी गई है । नाली एवं खंड़जों के निर्माण के लिए 27,300 रु० का आयोजन तैयार किया गया था, जिसमें से 770 फिट खंड़जा एवं 359 फिट नाली निर्माण का कार्य कराया गया । शेष कार्य लगभग तीन माह में पूर्ण हो जायगा ।

जरबल रोड बाजार के स्वामित्व के बारे में जिला परिषद् तथा ग्राम सभा बम्भौरा के बीच विवाद होने के कारण कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ।

मुजफ्फरनगर के कतिपय मार्गों पर बस परमिट में वृद्धि की मांग

67--श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फर-नगर भोपा-विजोर रूट, मुजफ्फरनगर-बेसूमा रूट, मुजफ्फरनगर-चर्थावल रूट पर कितने समय से बसें नहीं बढ़ाई गई है जबकि जनपद के अन्य रूटों पर जनता की

[श्री बाबू सिंह—]

मांग पर बसें बढ़ती रही हैं ? क्या जनपद में इस सम्बन्ध में गत वर्ष कई स्थानों पर इस मांग को लेकर भूख हड़ताल तक हुई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्नगत मार्गों पर क्रमशः वर्ष 1962, 1973 एवं 1978 के पश्चात् बस परमिटों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है । कथित भूख हड़ताल की कोई जानकारी परिवहन विभाग को नहीं है ।

68—श्री बाबू सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फर-नगर-चर्थावल गढ़ी खाम रूट पर 1962 से केवल 11 गाड़ियां चल रही हैं जबकि इस रूट पर 40 गाड़ियों की आवश्यकता है ? क्या मंत्री जी इस रूट पर जनता की मांग को देखते हुए बसें बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्नगत मार्ग पर वर्तमान में 12 बसें चलाई जा रही हैं । जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त संख्या को 22 करने का आर० टी० ओ० मेरठ द्वारा निर्णय लिया गया है तथा रिक्तियों को भरने के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के छटनी शुदा कर्मचारियों द्वारा शक्ति भवन के सामने क्रमिक अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने पुराने श्रमिकों की सेवा समाप्त करके ठेकेदारी प्रथा आरम्भ कर दिया है जिससे गरीब असहाय श्रमिकों के समक्ष भीषण संकट उपस्थित हो गया है । दिनांक 21-5-79 से उक्त श्रमिक शक्ति भवन के समक्ष धरना दे रहे हैं तथा अनशन कर रहे हैं । स्थित कभी भी भयंकर हो सकती है । धरना कार्यक्रम का 15वां दिन है । धरना कार्यक्रम में विद्युत् मण्डल गोरखपुर तथा स्टोर डिवीजन गोरखपुर के छटनी शुदा श्रमिक हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि उक्त श्रमिकों को अविलम्ब कार्य को देकर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय तथा सम्पूर्ण मामले की जांच कराई जाय ।

सीतापुर नगर के निकटवर्ती ग्राम नेरो कलां तथा कुचकापुर में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, दिनांक 2 जून, 1979 को सीतापुर नगर के निकटवर्ती ग्राम नेरो कलां तथा कुचकापुर ग्राम में भीषण अग्निकाण्ड हो गया । सम्पूर्ण ग्राम भस्मसात हो गया । शासकीय सूत्रों से पुष्ट जानकारी के अनुसार 253 घर स्वाहा हो गये । फसल काट कर घर में जमा किया गया गल्ला तथा भूसा, कपड़े तथा गृहस्थी का सम्पूर्ण सामान जल गया । अनेक पशु भी जल गये । ग्राम का दृश्य अत्यन्त हृदय विदारक है । नन्हें-नन्हें बच्चे इस जल जलाती धूप तथा लू में पेड़ों के नीचे पड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । कल सायंकाल मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि अभी भी पेड़ तथा मलवा सुलग रहा है । खाने का भी सामान नहीं है ।

मान्यवर, सरकार के नियमों के अनुसार मात्र एक एकड़ से कम वाले काश्तकारों को 50 रुपया प्रति परिवार सर्वथा असहाय अर्थात् माताजी के नाम पर दिये जायेंगे । इससे क्या होगा । एक एकड़ से ज्यादा वाले काश्तकारों का क्या होगा, जिसके पास न गल्ला बचा है और न छप्पर । खेत में तुरन्त कोई फसल भी नहीं होती । अतएव, मान्यवर, नियमों में बदल आवश्यक है ।

तत्काल सभी परिवारों को अधिकतम गृह अनुदान दिया जाय । जिले में धन नहीं है, प्रदेश से भेजा जाय । क्षेत्र के महोली चीनी मिल को निर्देश दिये जायं कि वह फरवरी तथा मार्च की भी परचियों का इस गांव वाले के लिए भुगतान तुरन्त कर दें क्योंकि सामान्य व्यवस्था के अनुसार मात्र 15 जनवरी तक का ही भुगतान हो रहा है । समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी जाय तथा जिन काश्तकारों की उपज का समस्त गल्ला जल गया है, उनका लगान माफ किया जाय ।

मान्यवर, इस लोक महत्व की समस्या को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर मैं आशा करूंगा कि तत्काल समुचित सहायता की व्यवस्था करने की कृपा की जाय ।

देवरिया जिले के ग्राम तरकुलवा (बुलहम पट्टी) में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

मान्यवर, देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम तरकुलवा (बुलहम पट्टी) का पूरा गांव 2-6-79 को भीषण अग्निकाण्ड में जल कर भस्म हो गया है, लोगों के घर दुवार अन्न वस्त्र सब कुछ स्वाहा हो गया है आज वे भीषण तपती दुपहरी और धधकती लू में मैदान में संकट के दिन बिता रहे हैं दाने-दाने के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची है ।

अस्तु इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके सामने माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल लोगों को सभी प्रकार की सहायता दी जाय ताकि संकटग्रस्त लोगों को राहत मिल सके ।

उद्योग निदेशालय, स्टोर पर्चेज सेक्शन द्वारा मांगे गये टेन्डर में ड्राइंग का उल्लेख न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन की जानकारी में एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जिससे कि शासन को लाखों रुपये की क्षति से बचाया जा सकता है । उद्योग निदेशालय, स्टोर पर्चेज सेक्शन द्वारा टेन्डर नोटिस संख्या 468

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया ।

[श्री सन्त बख्श रावत—]

(आर) तथा 469 (आर) के अन्तर्गत 6-3-79 तक लकड़ी के फर्नीचर के रेट कान्ट्रैक्ट के लिए टेन्टर मांगे गये थे। टेन्डर में कहा गया था कि अमुक वस्तु अमुक कैटालाग संस्था के अनुसार हो किन्तु कोई कैटालाग या ड्राइंग टेन्डर के साथ सप्लाई नहीं किया गया। टेन्डरों के मांगने पर भी उद्योग निदेशक द्वारा वह ड्राइंग व कैटालाग नहीं दिया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप बरेली के टेन्डरों ने 16 अप्रैल, 1979 को होने वाली सेम्पुल पास करने के कार्यवाही का बहिष्कार किया बरेली के बाहर से सेम्पुल पास कराने के लिए आने वाली फर्मों को भी रोका गया, बिना कैटालाग अथवा ड्राइंग के मनोवांछित माल बनाना मुश्किल ही नहीं है वरन् उसका पास होना केवल अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर है। अनेकों पुराने टेन्डरों ने इतना कम रेट दिया है कि उस पर निर्धारित विवरण के अनुसार उत्पादन हो ही नहीं सकता है। उन दरों पर केवल निम्न स्तर का माल सप्लाई हो सकता है। यदि इन फर्मों को स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया तो शासन को घटिया माल तो सप्लाई होगा ही, शासन को लाखों रुपये की क्षति भी होगी और राज्य के उद्योगों का स्तर भी गिरेगा तथा ईमानदार फर्मों के साथ न्याय नहीं होगा अतः इस बार उक्त टेन्डर की दरों को स्वीकार करने से पूर्व विभाग द्वारा उत्पादन मूल्य निकाल कर, उससे कम दरों के टेन्डरों को अस्वीकार किया जाय और टेन्डरों को ड्राइंग आदि दिये जायें। इच्छुक टेन्डरों के सेम्पुल पास करने की प्रक्रिया भी की जाय।

बांदा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सफाई कार्य बन्द हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)—

श्री देव कुमार यादव और हरिपाल सिंह शास्त्री के नाम से एक नियम 301 की सूचना दी गई है। देव कुमार जी हैं नहीं, अतः मुझे पढ़ने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अगर आपका उनका नाम था तो उसको बढ़वा देना चाहिए था। देव कुमार जी आ गये। (श्री देव कुमार जी से) आप पढ़ दीजिये। आप सूचना दे देते हैं, उसके बाद उपस्थित नहीं रहते।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, बांदा नगर पालिका में व्याप्त अव्यवस्था, कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के कारण सफाई का काम लगभग बन्द हो गया है। शहर के हर गली कूचों में कूड़े, मलवे और गन्दगी के ढेर इकट्ठा हो जाने के कारण सुअरों का आतंक बढ़ गया है। कीड़ों और मच्छरों ने नागरिकों की नींद हराम कर दी है। जनता मलेरिया, फाइलेरिया, टी० बी० और विभिन्न रोगों का शिकार हो रही है। शहर में कई लोगों के कै-दस्त की बीमारी से बीमार पड़ने की सूचनायें मिली हैं। हैजा जैसी संक्रामक महामारी के फैलने की आशंका से जनजीवन ग्रस्त है। नगरपालिका प्रशासन के प्रति नागरिकों में गम्भीर आक्रोश और क्षोभ है।

इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मंजूर अहमद के सदन से निलम्बन के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं एक दो प्रश्न करना चाहता था। मैंने आपसे आज्ञा मांगी थी और मैं समझता हूं कि यह अवसर है जब मुझे आप आज्ञा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप खड़े नहीं हुए, मैंने समझा नहीं उठाना चाहते।

श्री श्यामधर मिश्र--

नियम 301 की 10-15 सूचनायें देते हैं इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न नियम 51 में स्वीकार कर लिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मैंने भी एक प्रश्न उठाया था, श्री मंजूर अहमद के निलम्बन के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मंजूर अहमद के बारे में है?

*श्री श्यामधर मिश्र--

जी हां, एक यह है और एक दूसरी भी है। यह खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये। मैं सोचता था कि वह रहें, संसदीय कार्य मंत्री जी रहें।

श्रीमन् एक प्रश्न तो यह उठाना चाहता हूं कि उस दिन जब हम लोग उठ रहे थे तो कांग्रेस (आई) के कुछ लोग यहां से वाक आउट कर गये एक मामले पर जिस पर माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य दे रहे थे। जब लोग जा रहे थे उस समय आपके विवेक में, सभी के विवेक में एक अशोभनीय बात आई और एक बोतल--मुझे बताया गया मैं तो चला गया था, मुझे मालूम हुआ--रख दी गयी और उस अशोभनीय घटना को लेकर माननीय मंजूर अहमद को नियमावली के अनुसार निलम्बित कर दिया गया।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

फेंक दी गयी, तथ्यों को सही बताइये।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने भी और कौशिक जी ने भी बहुत बार ऐसी चीजें सदन में देखी, कागज फाड़ कर फेंक दिये गये। मैंने तो बार-बार इसकी निन्दा की है कौशिक जी ने निन्दा की हो या नहीं की हो। मैं इसे निन्दनीय कह रहा हूं, एक अशोभनीय कार्य हुआ है। श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि जब वह जा रहे थे और निकल रहे थे, निकल गये और उन्होंने एक बात...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो निर्णय उस दिन हो चुका। इसके बारे में पुनर्विचार चाहते हैं तो...

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे कहूंगा कि पुनर्विचार करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लें...

श्री श्यामधर मिश्र—

यही तो मैं कह रहा हूं। इस समय तक मंजूर अहमद साहब जितनी अवधि के लिए रह गये हैं, बकिया वह प्रस्ताव द्वारा वापस ले लें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

आपके माध्यम से श्यामधर मिश्र जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं तो कृपा कर जो तथ्य हैं उनको ठीक से जान लें कि बोतल मेज पर रखी नहीं गयी बल्कि फेंकी गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके ऊपर अब चर्चा नहीं हो सकती। सदन का निर्णय तो हो चुका। इसके ऊपर आप चाहते हैं तो नेता सदन से बात कर लें तब प्रस्ताव लायें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सदन का निर्णय, श्रीमन, सर्वोच्च है, उसको चुनौती देने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरी भी तबियत खराब थी। इसीलिए आया हूं। सजा जो है लम्बी हमें मालूम होती है। सदन का निर्णय सर्वोच्च होता है लेकिन मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर पुनर्विचार करके उस सजा को माफ करने की कृपा करें। जो निर्णय है उसको चुनौती देने का सवाल नहीं है। इस तरह की घटना श्रीमन्...

(व्यवधान)

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

ठीक नहीं कह रहे हैं, फेंकी गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस तरह से खड़े होकर टोका न करें।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं उस दिन बीमार था। अखबार से पढ़ने को मिला। बहुत ही निन्दनीय घटना थी उसकी हम निन्दा करते हैं। उसके बावजूद मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सजा माफ कर देना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी उदारता का परिचय दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंजूर अहमद साहब के बारे में जो निलम्बन का प्रस्ताव यहां पास हुआ था उस निर्णय के बारे में कोई आदमी चुनौती नहीं दे सकता । अब हम देख रहे हैं कि एजेन्डे में माननीय मंजूर अहमद के नाम से रोज सवाल आ रहे हैं । सवालों का सम्बन्ध जनता से होता है । एक माननीय सदस्य को सजा दी गयी उसकी अनुपस्थिति में जनहित को आघात पहुंचता है । घटना की निन्दा हम भी करते हैं लेकिन जहां अनुरोध यह है कि माननीय नेता सदन इस निलम्बन के बारे में पुनर्विचार कर लें वहीं मंजूर अहमद साहब से भी यह अनुरोध है कि सदन की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुये उसी मुताबिक आचरण किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि निलम्बन का प्रस्ताव वापस ले लें ।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

श्रीमन्, इस सदन के किसी माननीय सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित करना अत्यन्त अप्रिय कार्य है परन्तु यह प्रक्रिया नियमावली और आचार संहिता भी इसलिए बनायी गयी है जिससे कि सदन की गरिमा बनी रहे और इस सदन के जो प्रतिनिधि हैं वे दो लाख जनता के प्रतिनिधि हैं और उनका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय हो । मंजूर अहमद साहब का यह पहला नहीं तीसरा वाकया है और वह ऐसा समझते हैं कि इस सदन को हास्यास्पद बनायें तथा सदन का अपमान करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह दूसरी घटना है । एक तो वापस ले ली गई थी ।

श्री बनारसी दास--

मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैंने यहां प्रस्ताव रखा और उनको निलम्बन की सजा हो गयी । सजा रोज होती है और सरकार क्षमा कर देती है लिहाजा सजा तो वह हुई ही । सजा उनको 7 दिन के निष्कासन की दी गयी क्योंकि सदन के लोगों का अनुरोध था इसलिए उसे मैंने वापस ले लिया था सदन का आदर करते हुए । लेकिन उनके कार्यकलापों में कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि उससे और उत्तेजना और प्रोत्साहन मिला जिसका नतीजा यह हुआ उनके द्वारा बोतल फेंकने का । मैं माननीय ऊदल, श्यामधर मिश्र तथा राम आसरे वर्मा जी का आदर करता हूं लेकिन इस प्रस्ताव को लाने से पहले आप मंजूर साहब से बातें कर लें कि उनको लिखित क्षमा याचना करनी होगी और भविष्य के लिए उनको आश्वस्त करना चाहिए कि उनका व्यवहार इस सदन की गरिमा के अनुसार होगा । जब तक लिखित क्षमा न मानेंगे तब तक मैं यह उपयुक्त नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, यह बात सर्वविदित है कि कई दिनों से व्यापारियों की हड़ताल से प्रान्त में एक तनाव का वातावरण पैदा हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं । यह अभी नहीं लिया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए मेरा कुछ अनुरोध है कि इस सदन में इससे पहले भी मंजूर साहब ने जितनी अव्यवस्था फैलाई है उससे कई गुना अधिक अव्यवस्था फैलाई है। सुन्दर लाल जी का मामला भी उनके सामने आया लेकिन उनको भी क्षमा कर दिया गया और अब हमारे सभी मित्र कह रहे हैं कि मंजूर साहब से बातचीत हो चुकी है। यह उन्होंने महसूस किया है कि जो आचरण किया वह ठीक नहीं था लेकिन फिर इस सदन में बुलाकर सबके सामने उनको एक ऐसी परिस्थिति में डालना मुनासिब नहीं है। मैं एक दफा फिर मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक दफा उनको मौका दिया जाय और आप भी उनको समझा दें कि यह अन्तिम मौका होगा और फिर उनके साथ कोई भी रियायत नहीं की जायेगी। जनमत की भावनाओं तथा हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं पुनः मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उनकी नेकनीयती पर बिना शुबहा किए उनको एक दफा फिर क्षमा प्रदान करने का प्रस्ताव करें और हमें विश्वास है कि अगली दफा वह जो भी व्यवहार करेंगे वह सदन की मर्यादा के अनुरूप होगा। उनसे क्षमा मांगने के लिए न कहा जाय बल्कि अपने प्रस्ताव के जरिये ही क्षमा प्रदान किया जाय तो यह ज्यादा उचित होगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम हो कि मैं ऐसी बातों पर जो यहां पर होती हैं, उनमें ज्यादा हिस्सा नहीं लेती हूं। मेरे ख्याल में मैं सबसे ज्यादा पुरानी सदस्या हूं जिसने एक तरह से कौंसिल का, पार्लियामेंट का, कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली का, और विधान सभा का रवैया देखा है कि वहां क्या प्रोपराइटीज, क्या-क्या आदेश, क्या-क्या प्रिंसिपल हमेशा सदन में बरते गए हैं और मेम्बर साहिबान के क्या-क्या हक्क हैं और उनके ऊपर क्या-क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं क्योंकि वे सदन की मर्यादा को कायम रखें। हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात से वाकिफ हैं कि वे बहुत पुराने मेम्बर रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको मालूम है कि एक जमाना था कि किस तरह से वे इस सदन में और दूसरे सदन में बोला करते थे और कभी किसी तरह की बदउनवानी इस सदन में नहीं की जाती थी। मैं मुख्य मंत्री जी इजाजत मांगती हूं और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मैं बहुत कम हिस्सा लेती हूं मैं हैरान होती हूं कि यहां पर मेम्बरान का जो रवैया रहता है वह कैसा है। मुझे अफसोस होता है कि डिसिप्लिन की बात हर वक्त कही जाती रही है लेकिन हम जो सदन में आये हैं इतनी बड़ी संख्या को रिप्रिजेन्ट करने के लिए, अगर हम अपने रवैये से अपने अमल से, अपने ऐक्शन से उस तरह से न चलें तो फिर हम किस मुंह और किस तरह से अपने तालिके-इल्मों तथा कर्मचारियों को डिसिप्लिन के लिए कह सकते हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम नये सिरे से।

श्री उपाध्यक्ष--

मंजूर अहमद साहब के निलंबन के बारे में अपने खयाल अदा करें।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जी हां, मैं उसी पर आ रही हूं। जैसा मैंने कहा, मैं बहुत कम बोलती हूं इसलिए मैं अपने को मिस-फिट देखती हूं क्योंकि मैंने देखा है और कई दफा

देखा है कि कई बातों पर डिसकशन नहीं होता था मैंने यह भी देखा है कि नेता सदन कुछ कहते थ उनकी पार्टी वाले किसी मेम्बर को हक नहीं होता था मजाल नहीं होती कुछ कह सकें । इसी तरह से नेता विरोधी दल कुछ कहते तो उनके पार्टी के लोग वही डिसिप्लिन करते थे । लेकिन आज जो मैं इस सदन में देख रही हूं वह बहुत अफसोसनाक है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

आप मुझे कहने की इजाजत दें कि मंजूर साहब ने जो कुछ किया है वह सही नहीं है और उन्होंने यहां पर 3/4 बार गलत तरीके से काम किया है और उनको माफ कर दिया गया उसी तरह से एक दफे फिर उनसे कह दें कि अगर इस तरह का काम करेंगे तो जैसा कि माननीय राज मंगल जी ने कहा कि उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सदन की मर्यादा कायम रखने के लिए उनको एसे तरीके अख्तियार करने चाहिए, ऐसी मिसालें पेश करनी चाहिए जिसके जरिए से जितने हय जो बैठने वाले हैं उनकी बातें अखबारों में छपती हैं। इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री जी के सुझाव का सम्मान करती हूं।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा असर उन पर पड़े या न पड़े, लेकिन बेगम साहिबा का असर उन पर जरूर पड़ेगा और उनकी बात वे नहीं टालेंगे ।

श्री बनारसी दास--

मैंने पहले भी निवेदन किया था । मुझे माननीय सदस्यों की भावना का बड़ा आदर है । मैंने 29 तारीख को उनके अनुरोध पर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

30 तारीख को वापस लिया ।

श्री बनारसी दास--

30 तारीख को । उसके बाद उन्होंने यह बोतल फेंकी यह एक ऐसा कांड है जिससे पूरी सदस्यता से उनको सदन से निष्कासित किया जा सकता है। मैं सब नताओं से अनुरोध करूंगा पहले सब मंजूर साहब से बात करके आए कि उनको इस बात का कोई दुख है कि नहीं । उनको इस बात के लिए लिखकर क्षमा मांगनी चाहिये । इसलिए मैं समझता हूं कि यह इस वक्त प्रस्ताव वापस लेना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग आपस में बात कर लें, मंजूर साहब से बात कर लें और उसके बाद आपस में बैठकर बात कर लें ।

(व्यवधान)

अब इसको न बढ़ायें ।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से स्वतः निवेदन किया और हमारे मित्रों ने इस बात का आश्वासन दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मर्तबा क्षमा कर दें। उनके इस व्यवहार से सारा सदन दुखी है अगर फिर दुबारा करेंगे तो उनको आप निकाल दें तो हम उनके साथ रहेंगे। यह उनकी गरिमा के अनुरूप भी होगा कि एक दफा उनको और मौका दें अगर उनके व्यवहार में सुधार नहीं होता है तो फिर जो सजा देंगे हम उनका साथ देंगे। उनसे बात कर ली जाय। सारा सदन उनसे इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा है। एक दफा मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि सदन में क्षमा याचना करें। उन्होंने यह कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। नेता लोग बात करें। उनको इसके लिए अफसोस है कि नहीं यह केवल कहा। आपस में बात कर लें उसके बाद नेता सदन से बात कर लें फिर नेता सदन प्रस्ताव ले आयेंगे।

प्रदेश में व्यापारियों की हड़ताल तथा मुख्य मंत्री से हुए समझौते के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)--

पिछले कई दिनों से व्यापारियों की हड़ताल चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, ग्राह्यता के सम्बन्ध में बात सुन लें।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय मुख्य मंत्री जी के बार-बार एलान करने के बाद भी हड़ताल वापस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बंद किए गए हैं, मुट्ठीभर लोग जेल में पिकनिक मना रहे हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार जी यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

हमलोगों ने लिखित दिया है। इनको क्या अधिकार है इसे उठाने का ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री श्यामधर मिश्र तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने लिखकर दिया है।

श्री मुख्तार अनीस--

मैं वही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। श्री मिश्रा जी ने और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस सम्बन्ध में एक सूचना दी है।

श्री मुख्तार अनीस—

आप इस तरह से बुलवा रहे हैं मैं एक बुनियादी बात उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर यहां दो मर्तबा चर्चा हो चुकी है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा लेकिन बताना तो पड़ता ही है ।

एक सदस्य—

प्रदेश के सारे व्यापारी आज हड़ताल पर हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मुझे ज्ञात हुआ है कि हड़ताल समाप्त हो गई है । यह इत्तला कहां तक सही है, यह खुशी की बात है अगर हड़ताल वापस हो गई है । यह मालूम हुआ है कि व्यापारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और उनकी किसी रैली को माननीय मुख्य मंत्री जी संबोधित करने वाले हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वह सदन में बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा नाम आपने पुकार लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बारे में मुझे दो माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, श्री श्यामधर मिश्र और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने । तो यदि कोई समझौता हुआ होगा तो वह सदन में सूचित कर देंगे, मैं मुख्यमंत्री जी को बुला रहा हूं । मैंने इसको उठाने की इजाजत नहीं दी, आप कृपया बैठ : यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि शासन ने यदि इस पर कोई कार्यवाही की हो तो उन्हें सदन को उसकी सूचना देनी चाहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

पहले मुझे सुन तो लें, उनको कैसे मालूम कि मैं क्या कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर दो बार चर्चा हो चुकी है, अब इस पर कोई बात नहीं होगी ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

आप इसके ऊपर चर्चा की कोई इजाजत न दीजिए, सिर्फ मुख्य मंत्री को सुन लीजिए ।

श्री बनारसी दास (मुख्य मंत्री)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि व्यापारियों से हड़ताल के सम्बन्ध में पहले विचार-विमर्श हुआ था और उन्होंने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था कि वह अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं और मैंने उसकी यहां घोषणा भी की थी । लेकिन उसके बाद कुछ व्यापारियों ने इसके विरोध में वक्तव्य दिया और कहा कि हड़ताल जारी रहेगी और वह जारी रही । कल रात्रि को श्री लालजी टण्डन, सदस्य, विधान परिषद् और कुछ सदस्य मेरे पास आए और

[श्री बनारसी दास--]

उन्होंने कहा कि उस रोज व्यापारियों ने भूल की फैसले को तोड़कर और अब वह चाहते हैं कि समझौता होकर सामान्य स्थिति पैदा हो। इस पर रात को मुझ से विचार-विमर्श हुआ, लेकिन जैसा स्वाभाविक था, मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि आपलोग इस पर अमल करेंगे। रात में उन्होंने फिर आपस में विचार-विमर्श किया और सुबह आज पुनः मेरे निवास-स्थान पर 10 बजे आए, जिसमें व्यापारियों के यहां के अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री और दूसरे व्यापारी लोग भी थे, उन्होंने कुछ अपनी मांगें मेरे सामने रखीं। तो अब व्यापारियों ने यह निश्चय कर लिया कि आज जाते ही वह लखनऊ में बाजार खुलवायेंगे और कलेक्टर से मिलकर कहा कि वह अपनी हड़ताल तमाम प्रदेश में वापस ले रहे हैं। उनकी कुछ बात को मानकर सर्वेक्षण दल को मैंने निलम्बित कर दिया है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण दल की क्या आचार संहिता हो, जैसा पहले भी निवेदन किया था, उस पर बात होगी। दूसरी उनकी मांग न्यायिक जांच की थी, उस पर मैंने कहा कि न्यायिक जांच से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है, इस समय कमिश्नर लखनऊ मंडल इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। तीसरी बात वह यह चाहते थे कि सिटी मैजिस्ट्रेट और सेल्स टैक्स अधिकारी को निलम्बित किया जाए, इसको मैंने स्वीकार नहीं किया। वह चाहते थे कि उनका यहां से स्थानान्तरण कर दिया जाए, उसे भी मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि कमिश्नर-जांच के दौरान यदि मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि निष्पक्ष जांच में कोई बाधा पड़ती है तो मैं उनका स्थानान्तरण करने पर विचार कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। सरलीकरण कमेटी बनी हुई है, उसमें उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि व्यापारियों के प्रतिनिधि हों। इसमें मुझे पहले ही कोई आपत्ति नहीं थी, उसके प्रतिनिधि पहले भी थे, उसको मैंने स्वीकार कर लिया और उसको मैंने स्वीकार कर लिया कि सरलीकरण समिति में उनके प्रतिनिधि हों और उनकी मांग थी कि सबको छोड़ दिया जाय। तो मैंने कहा कि हिंसा, लूट, आगजनी में जिनके खिलाफ अभियोग हों, उनको छोड़कर सब व्यक्तियों को कल छोड़ा जायगा, जब कि मैं यह देख लूंगा कि हड़ताल खत्म करने पर अमल किया गया। यदि हड़ताल समाप्त रही रैली की अनुमति देना मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि रैली की इजाजत देने से शान्ति भंग होने का अन्देशा है। हड़ताल आज समाप्त होती है, तो मैंने जिलाधीश को इस बात के आदेश दे दिए हैं कि अगर स्थिति समान्य हो हड़ताल पूर्णतया समाप्त हो जाय, तो कल बेगम हजरतगंज महल पार्क के अन्दर अपनी सभा कर सकते हैं और उस सभा में व्यापारियों ने मुझ को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया है। अगर आवश्यकता हुई, तो व्यापारी अभी तक यह पूरा निश्चय नहीं कर पाए हैं कि सभा करेंगे या नहीं। अगर वे सभा करना चाहेंगे, हड़ताल समाप्त होने पर, तो सभा करने की अनुमति दे दी जायगी। इस प्रकार मुझे आशा है कि जो जन-जीवन त्रस्त रहा, लोगों को कठिनाइयां रहीं, वह सब बातें दूर होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश में फिर सामान्य स्थिति पैदा हो जायेगी।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला बलिया)--

मैंने जो कहा, अगर कल बिलकुल सामान्य स्थिति रही, व्यापारियों ने माननीय मुख्य मंत्री को आमंत्रित किया उस रैली को सम्बोधित करने के लिए, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी है सामान्य स्थिति हो जाने पर ?

श्री उपाध्यक्ष--

पांडेय जी पूछ रहे हैं, क्या आपने स्वीकृति, अनुमति दे दी थी, सम्बोधित करने की ?

श्री राज मंगल पाँडेय--

मैंने कहा कि अगर सामान्य स्थिति हो जाय और व्यापारी अगर माननीय मुख्य मंत्री को आमंत्रित करें तो माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकति दे दी है, इस प्रत्याशा में कि सामान्य स्थिति हो जायगी ?

श्री बनारसी दास--

मैंने निवेदन किया। रैली का प्रश्न नहीं पैदा होता। रैली की अनुमति नहीं दी। उसके लिए आग्रह किया था। मने कहा, रैली की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री राजमंगल पाँडेय--

सभा की।

श्री बनारसी दास--

सामान्य स्थिति होने पर हजरतमहल पार्क में मीटिंग की अनुमति, दी है। यह भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सेल्स टैक्स को समाप्त करनें का प्रश्न सुदूर भविष्य...।

श्री राजमंगल पांडेय--

मेरा प्रश्न यह था। अगर कल यहां व्यापारी सामान्य स्थिति करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री को सादर निमंत्रित करें कि हजरतगंज महल पार्क में जो सभा होने जा रही है, उसको यह सम्बोधित करें तो माननीय मुख्य मंत्री ने इस सभा को सम्बोधन की प्रार्थना स्वीकार कर ली या नहीं ?

श्री बनारसी दास--

मैंने कहा अगर सभा होगी, उन्होंने जैसा आमंत्रित किया, तो मैं उनका आमंत्रण स्वीकार करूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने यही वक्तव्य दिया था कि उनको अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हड़ताल वापस हो जायगी। उसके बावजूद भी नहीं हुई। उसी तरह से आज दस बजे सुबह जो तय हुआ इस सम्बन्ध में कल जो पांच बजे हड़ताल होने वाली है, उन मुद्दों को लेकर, क्या माननीय मुख्य मंत्री और व्यापारियों के बीच में लिखित एग्रीमेन्ट हुआ है या नहीं ? यह बताएं स्पष्ट। कि कल जो हड़ताल होनें वाली है, उसके सम्बन्ध में निश्चयात्मक ढंग से उनको क्या आश्वासन दिया है।

श्री बनारसी दास--

मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई लिखित एग्रीमेन्ट का प्रश्न नहीं है और न मैंनें लिखित एग्रीमेन्ट किया। जैसा कहा उससे जाहिर है, मैंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा कल किया जायेगा यह देखने के बाद कि हड़ताल समाप्त हो गई है कि नहीं। व्यापारियों ने इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वासन

[श्री बनारसी दास---]

दिया है और यह भी कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उस रोज उस फैसले को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हड़ताल को हम वापस ले रहे हैं और हड़ताल नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। अगर वह वापस नहीं लेते हैं तो सरकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बड़े सन्तोष की बात है कि जो तनावपूर्ण वातावरण था वह समाप्त हो गया। यह भी सही है कि दोनों ओर से ही उदारता का परिचय दिया गया, लेकिन मैं दो स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं। एक तो यह कि उन्होंने यह कहा कि जिन पर हिंसा, आगजनी आदि के आरोप हैं उनको छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया जायेगा तो रिहा करने के बाद जो उन पर मुकदमे कायम कर दिए गए हैं क्या मुख्य मंत्री जी उनको वापस लेने की कृपा करेंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि एक कमेटी बना दी जावेगी क्या कोई बनी कमेटी रिकान्स्टीट्यूट कर दी जायेगी जो सरलीकरण के बारे में भी विचार करे। क्या उस कमेटी को यह भी काम दे दिया जायेगा वह सरलीकरण के साथ ही साथ सेल्स टैक्स के वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार करें। अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन के सामने आ जाती है तो क्या शासन सेल्स टैक्स को समाप्त करने के लिए तैयार है?

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट किया। कुछ लोग इस आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार हैं। जिनके ऊपर आगजनी हिंसा के आरोप हैं, वह जमानत पर जा सकते हैं। उनको छोड़ने का वचन मैंने नहीं दिया है। सरलीकरण समिति जो है उसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि और शामिल कर दिए जायेंगे उनका जो सुझाव है उन पर हम विचार करेंगे। जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है यह सरलीकरण से सम्बन्धित नहीं है। सर्वेक्षण के बारे में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बात करेंगे जिससे उनको आपत्ति न हो। सर्वेक्षण दल का उद्देश्य यह नहीं था कि किसी प्रकार का हैरेसमेंट व्यापारियों का हो या उनको परेशानी हो। इसके सम्बन्ध में आचार संहिता बनायी जायेगी। सर्वेक्षण दल को मैंने सस्पेंड कर रखा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन से बाहर और अन्दर भी माननीय वित्त मंत्री जी अनेक बार कहा कि सर्वेक्षण किसी भी हालत में बन्द नहीं किया जायेगा और अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि सर्वेक्षण जारी रखा जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने जो समझौता किया है उस में क्या वित्त मंत्री जी भी शामिल थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास—

जो प्रश्न मोहन सिंह जी ने किया है वह उपयुक्त नहीं है। वह शामिल हैं या नहीं हैं इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मैं निर्णय करने के लिए सक्षम हूं। सब दल को समाप्त नहीं किया गया है। जो निर्णय दिया वह सदन के सामने है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा। मेरी जानकारी है कि उस प्रतिनिधि मंडल के साथ लाल जी टंडन आये थे। आन्दोलनकारी 2 दलों में बंट गये है। कुछ लोग तो हड़ताल को तुड़वाने के पक्ष में और कुछ हड़ताल जारी रखवाना चाहते हैं। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एक राजनैतिक ग्रुप है, जिसमें श्री लाल जी टंडन हैं, उनसे ही बात हुयी है या दूसरे दल के लोगों से भी बात हुयी है ?

श्री बनारसी दास—

मैं तो समझता नहीं हूं कि कौन किस दल में है लेकिन यहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष आये थे।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मुख्य मन्त्री जी इतने मासूम नहीं हैं।

श्री बनारसी दास—

इसमें महा मंडल के श्री अरोरा, उनके प्रतिनिधि, भी शामिल थे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस क्षेत्र की रिप्रिजेन्टेटिव होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा इसकी खुशी हुयी कि व्यापारियों ने अपनी हड़ताल वापस करने की घोषणा की है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए मुबारकबाद भी देती हूं लेकिन ऐसी सिचुएशन 3–4 दिन पहले शायद 29 व 30 तारीख को भी हुयी थी जबकि माननीय मुख्य मन्त्री जी के घर पर एक मीटिंग हुयी थी जिसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि भी आये थे और प्रेस कान्फ्रेंस भी हुयी थी। उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बयान दिया था कि व्यापारियों ने हड़ताल वापस ले ली है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो पुरानी कहानी दुहरा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जहां तक मुझे जानकारी है इन हड़ताल करने वालों में एक ग्रुप ऐसा है, चाहे वह कोई भी हो, यह चाहता है कि हड़ताल वापस न हो और वह चाहता है कि दंगा फसाद हो और मामला आगे बढ़े। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस ग्रुप ने भी आपको आश्वासन दिया है कि वे भी समाप्त कर देंगे। यदि नहीं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ? प्रदेश में शांति रखने के लिए उनकी क्या योजना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब तो वे पहले ही दे चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

कल तक माननीय मुख्य मंत्री जी की नजरों में जो मक्कार थे बेईमान और फरेबी थे, उन्हीं लोगों के साथियों को सम्बोधित करने के निमंत्रण को आज इसी सदन के सामने स्वीकार करने की जब घोषणा करते हैं और सहयोग किए जाने की अपेक्षा करते हैं, तो इसका औचित्य क्या है ? दूसरी बात कल के मुख्य मंत्री कोई और हैं और आज के मुख्य मंत्री के स्वभाव में परिवर्तन है तो इसकी प्रदेश की जनता पर क्या छाप पड़ेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री बनारसी दास--

श्री वर्मा ऐसा लगता है वैसे तो व्यस्क हैं....

श्री राम आसरे वर्मा--

बालिग होता तो यहां पर न आता ।

श्री बनारसी दास--

वे यह जानते हैं कि मुख्य मन्त्री को दस्युओं को भी सम्बोधित करना पड़ता है उनका समर्पण भी स्वीकार करना पड़ता है ।

श्री कुदल (जिला वाराणसी)--

क्या टैक्स चोरों को भी सम्बोधित करना ठीक है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 1975-76*

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 1975-76 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उप-धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977-78*

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1977-78 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं ।

*छापा नहीं गया ।

पशुपालन मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदस्य विधान सभा ने 1 जून, 1979 को माननीय पशुपालन मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह कहा कि वे 19 मई 1979 को नियम 301 के अन्तर्गत एक विषय सदन के संज्ञान में लाये थे जिसका अन्तरिम उत्तर उन्हें 29 मई, 1979 को उपसचिव उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन 1 अनुभाग के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ। माननीय सदस्य का कहना है कि यह पत्र 7 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर माननीय पशुपालन मन्त्री के हस्ताक्षर से उन्हें भेजा जाना चाहिये था। ऐसा न करके नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं की प्रक्रिया को विनियमित करने के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा जो आदेश जारी किये गये हैं उनकी अवहेलना की गयी है।

मैंने इस संबंध में माननीय पशुपालन मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अन्तरिम उत्तर उनके ही हस्ताक्षर से जाना चाहिये था और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुये कहा है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि भविष्य में ऐसे प्रश्नों का उत्तर उनके हस्ताक्षर से ही समय के अन्दर भेजा जाय और ऐसे उत्तरों को भेजने में विलम्ब न किया जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मुझे एक मिनट सुन लें अपना निर्णय देने के पूर्व।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय में सुनना आवश्यक नहीं समझता।

माननीय पशुपालन मंत्री ने इस संबंध में जारी किये गये आदेशों की एक प्रति भी अपने स्पष्टीकरण के साथ संलग्न की है।

ऐसी स्थिति में मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अभिसूचित प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, फिर किस रूप में आप स्वीकार करेंगे। व्यवस्था आपकी शिरोधार्य है, पर इस मामले को सदन में कैसे कहा जाय यह आप कृपया बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने खेद व्यक्त किया है इसलिए इसको मैंने समाप्त किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हम यहां उसे किस रूप में उठा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, उसे हम देख लेंगे।

मैनपुरी के कुरावली कस्बे में श्री किशन लाल वर्मा की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, जी0 टी0 रोड, कुरावली, मैनपुरी न थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी पर सूचना अंकित कराई कि उनके पिता श्री किशन लाल वर्मा दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को 8 बजे रात्रि जब अपने मकान के पूर्वी चबूतरे पर बैठे हुए थे तब 3-4 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या की गई। उक्त सूचना के आधार पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया। घटनास्थल से थाना लगभग 200 गज की दूरी पर है। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचे और बताई गई दिशा में अपराधियों का पीछा किया, परन्तु सफलता नहीं मिल सकी। वादी ने विवेचना के मध्य अपने बयान में 7 अमुक व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया। एक अभियुक्त ने दिनांक 1 मई, 1979 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसे जेल भेजा गया।

अब तक की विवेचना से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि यह हत्या राजनैतिक कारणों से की गई है। यह कहीं नहीं है कि मृतक श्री किशन लाल वर्मा को पहले कई मामलों में फंसाने की कोशिश की जाती रही है। विवेचना से कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उक्त हत्या में कुरावली कस्बे के एक दल का हाथ है जिसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यह सही है कि थाना कुरावली के थानाध्यक्ष इससे पूर्व थाना करहल (मैनपुरी) पर तैनात थे परन्तु यह कहना सही नहीं है कि थाना करहल पर उक्त थानाध्यक्ष के कार्यकाल में इस प्रकार की हत्यायें हुई जिन्हें दबा दिया गया। मृतक द्वारा घटना से पूर्व पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाना नहीं पाया गया कि थानेदार उनकी हत्या करा सकता है।

शासन द्वारा उपरोक्त मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई।

जहां तक अलीगढ़ में जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कुशलपाल सिंह की हत्या किये जाने की घटना का संबंध है प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त घटना के संबंध में दिनांक 13-4-79 को थाना हसायन (अलीगढ़) पर नामजद तथा 2 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396 भा० दं० वि० का अपराध पंजीकृत किया गया। चारों नामजद अभियुक्त उसी दिन बन्दी बनाये गये जो जेल भेजे जा चुके हैं। मृतक की माऊजर पिस्तौल एवं कुछ कारतूस, जो अभियुक्त ले गये थे, भी बरामद किया जा चुका है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, क्या इसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें प्रश्न पूछने की परम्परा नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत डा० कृष्णवीर सिंह कौशल ने दिनांक 30 मई, 1979 से आगरा नगर में महापालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में सूचना दी है। श्रीमती स्वरूप कुमार बक्शी तथा डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल ने लखनऊ के व्यापारियों को दिनांक 5 जून, 1979 को जनसभा के लिए शासन द्वारा आज्ञा न दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया है। इन दोनों को मैंने अस्वीकार किया।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, 30 मई, 1979 से आगरा नगर में महापालिका के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। नालियां तथा घर के पाखाने साफ करना भी बंद कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सरकार के पास कार्यवाही के लिए भेज दूंगा।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल--

आज वक्तव्य दिलवा दें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में इसको देना चाहिए था।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल--

आज ही वक्तव्य दिलवा दें, मान्यवर।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मैं यह चाहता हूं मान्यवर, कि जो आगरा महापालिका के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगें हैं, उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी कम से कम उनको निर्देश दे दें कि जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं उन्हें स्वीकार करें, वरना वहां पर महामारी फल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे मैं शासन के पास भेज दूंगा और की गई कार्यवाही की सूचना आपको भी मिल जायेगी।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 9-स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग, अनुदान संख्या 85-स्वायत्त शासन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 113-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम

श्रम मन्त्री (श्री क्रांति कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान

[श्री क्रान्ति कुमार—]

संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,85,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की शिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 113—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,83,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं बहुत ही नम्र निवेदन के साथ इन तीनों ग्रांटों के संबंध में आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि मान्यवर, जहां तक अनुदान संख्या 9 और अनुदान संख्या 113 का संबंध है यह दोनों ही वाटर सप्लाई और ड्रेनेज से संबंध रखते हैं और यह विभाग कार्य कर रहा है । मान्यवर, टोटल प्राविधान अनुदान संख्या—9 में 28,30,41,000 रुपये का है इसमें 6,45,32,000 रुपये लेखानुदान द्वारा लिया जा चुका है और 21,85,09,000 रुपये का प्राविधान प्रस्तुत किया गया है । इसी तरह से अनुदान संख्या 113 में 5,08,11,000 रुपये का है इसमें 2,24,69,000 रुपये लिया जा चुका है और 2,83,42,000 रुपये का प्राविधान प्रस्तुत किया गया है । इसके अन्तर्गत विभाग की ओर से काफी काम किया जा रहा है । इस संबंध में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा ।

जो शहर 20 हजार की आबादी से अधिक के हैं वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है । इसमें विश्व बैंक से भी सहायता मिल रही है । इस वक्त 14 शहरों में व्यवस्था का लक्ष्य है । जिन पर सुधार किया जा रहा है । 70.74 लाख रुपये का ऋण और 35.55 लाख रुपये अनुदान विश्व बैंक से मिल रहा है और टोटल ऋण 149·83 लाख रुपये और अनुदान 35·55 लाख रुपये का है अर्थात 185·38 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

इसी तरह से जो शहर 20 हजार से कम के हैं उनमें व्यवस्था की गई है और 29 ऐसे शहर हैं जो 20 हजार से कम हैं । 337 लाख रुपये का प्राविधान है । 29 स्थानों पर यह काम नये प्रोपोजल के रूप में शासन के विचाराधीन है । 11 वह स्थान हैं जहां पहले से काम चल रहा है । इन सब की व्यवस्था की जा रही है । अण्डर ग्राउन्ड सीवरेज के मद में 40 स्थानों में काम पहले से किया जा रहा है ।

डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन एक अभूतपूर्व विषय की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 1979-80 के कार्य क्रम की रूप रेखा व बजट की किताबें व सारणी वितरित नहीं की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वे बीमार हैं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

विभाग तो बीमार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

2 जून, 1979 को यह वितरित हो चुका है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जो वितरित किया गया है वह 1978-79 का है । यह पुराने वर्ष का है। हम इतने करोड़ रुपये खर्च हेतु सुपुर्द करने जा रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं है इस किताब में ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह छापे की गलती हो सकती है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

यह काटा गया है इसमें मोहर लगी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आखरी पन्ना आप देखिये । इसमें अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ लिखा है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

1979-80 में हम क्या करने जा रहे हैं इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री क्रांति कुमार--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जलोत्सारण योजनायें जो इस समय प्रदेश में चल रही है, 40 योजनायें ऐसी हैं जो 31-3-79 तक पूर्ण हो चुकी हैं और इस समय 24 योजनायें शहरों में शासन के विचाराधीन हैं । यह भी आशा है कि 3 योजनायें इसी वर्ष पूरी हो जायेंगी । इन योजनाओं पर 112·94 लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया और मुझे विश्वास है कि अण्डर ग्राउन्ड सीवरेज की व्यवस्था काफी शहरों में हो जायेगी ।

मान्यवर, इस विभाग की ओर से एक काम और किया जा रहा है वह यह कि बहुत सी जगहों पर खासतौर से कवाल टाउन्स, लखनऊ, कानपुर और अन्य जगहों पर शौचालय बनाने के लिये अनुदान देने की व्यवस्था की है, ताकि लोग अपने शौचालय ऐसे बनाये जो सीवर से कनेक्ट हो जायं और जो हाथों से टट्टी उठानी पड़ती है वह व्यवस्था न रहे । इस दिशा में लगभग 50 लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है । यदि इस प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज की ओर से अनुदान की मांग आयेगी तो शासन विचार करेगा ।

श्री क्रान्ति कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था इस विभाग की ओर से की गयी है कि मलोपयोगी योजनायें बनायी जायं। इस वर्ष लगभग 62 योजनायें बनायी जा चुकी हैं और काफी बड़े रकबे म ऐसी व्यवस्था की है कि जो लैटरिन वगरह का पानी होता है उसमें और पानी मिला कर खेतों को दिया जाय ताकि उपज बढ़ सके। इस व्यवस्था के लिये इस वर्ष लगभग 11 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसमें से 7·34 लाख ऋण के रूप में और 3·66 लाख अनुदान के रूप में दिया जायगा।

मान्यवर, जहां तक पीने के पानी का सवाल है वह भी जिम्मेदारी इस विभाग की है और विभाग ने काफी प्रयत्न किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। लगभग 650 गांवों में जो पहाड़ के हैं वहां इस प्रकार की स्कीमें फिलहाल चलायी जा रही है। और 950 मैदानी क्षेत्र के गांवों में यह स्कीम चलायी जा रही है। मान्यवर, विश्व बैंक की ओर से ऐसे कार्यक्रमों में विभाग को सहयोग मिला है। पहाड़ी और बुन्देलखन्ड क्षेत्र में लगभग 104·29 लाख रुपये ऋण के रूप में और 78·21 लाख रुपया अनुदान के रूप में, कुल मिला कर 182·50 लाख रुपये विश्व बैंक की ओर से मिला है। इसी प्रकार से प्रदेश में भी अपने स्रोतों से लगभग 47 लाख रुपया ऋण और 1261·15 लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था इस बजट में की गयी है ताकि उन सभी स्थानों में पीने का पानी मिल सके। इन बीस जिलों के अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों की जल योजनाओं के सम्बन्ध में कोशिश है कि 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाय।

यह मैंने संक्षेप में बताया, इसके अतिरिक्त मान्यवर, नान-प्लान के अन्तर्गत स्थानीय निकाय निदेशालय के लिए 16 लाख 17 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। इस निदेशालय का काम होगा कि सभी म्यूनिसिपिल बोर्ड की व्यवस्था देखें कि वहां पर जो आमदनी होती है उसका 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों पर व्यय न हों और 50 प्रतिशत पैसा सड़क, सफाई आदि पर खर्च होना चाहिये। शासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि नगर महापालिका, पालिका तथा टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया समितियों को अधिष्ठान का क्रमशः 22 प्रतिशत 27 प्रतिशत तथा 31·5 प्रतिशत व्यय भार सहायता के रूप में दिया जाय। इस वास्ते भी बजट में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, राम नवमी का मेला, अयोध्या, कुंभ मेला हरिद्वार, माघ मेला इलाहाबाद का प्रोविंशियलाइजेशन हो गया है। उनमें ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वहां पर सुचारु रूप से सब काम चल सकें। पिछले दिनों अयोध्या में मेला हुआ उसमें लगभग डेढ़ करोड़ रुपया पानी आदि की व्यवस्था पर खर्च हुआ। हरिद्वार में अर्द्ध कुंभ मेले के लिये मेला अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है और पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि वहां मेला सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सके।

मान्यवर, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षत हो जाने के बाद शासन ने अंशदान देना प्रारम्भ किया है। अनुदान संख्या 9 में एक लाख रुपये का प्राविधान रीजनल सेन्टर फार अरबन एन्ड इन्वायरमेन्टल रिसर्च को दिया जाना है ताकि यह केन्द्र नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर सके।

मान्यवर, जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण परिषद् का गठन किया गया है जिसके लिये 6 लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। आप देखेंगे कि जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सी फैक्टरियों का गन्दा पानी

नदियों में डाला जा रहा है जिससे पानी खराब हो जाता है और उससे बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए इस परिषद् का गठन कर जल प्रदूषण की समस्या हल की जा रही है।

मान्यवर, अनुदान संख्या 85 में छोटा सा प्राविधान किया गया है। मान्यवर गाजियाबाद म भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, लखनऊ म एच० ए० एल० और नैनी में कुछ इस प्रकार की स्कीमें बनायी जा रही है जिससे वहां के बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था हो सके। इसमें कितना इस्टीमेट होगा, इसका अभी पता नहीं इसलिए इसमें टोकेन प्रविधान किया गया है।

मान्यवर, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज में जो बैरियर्स थे उनको समाप्त कर दिया गया है जिससे 6 करोड़ रुपये का घाटा बैठेगा। इसलिये प्राविधान किया गया है कि कुछ पैसेन्जर टैक्स, कुछ गुड्स टैक्स और कुछ बाहरी गाड़ियों से टैक्स वसूला जाय यह धनराशि तीन महीनों में एक बार एकत्रित होता है इसलिए प्रारम्भिक दिनों में जो घाटा होगा उसको पूरा करन के लिए दो करोड़ रुपया का प्राविधान नान प्लान में किया जा रहा है जिससे टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज को पैसा मिलता रहे।

मान्यवर, विभाग द्वारा प्रस्तावित मांगों की मदों में एक करोड़ आठ लाख पिच्चासी हजार सात सौ रु० का एक और अनुदान शामिल है। यह अनुदान प्रत्येक स्थानीय निकाय के सभी कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है। यह धनराशि एल० आई० सी० को अग्रिम के रूप में दी जाती है और फिर साल भर में इसे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से काट लिया जाता है। चूंकि बहुत सी म्युनिसिपल्टीज और टाउन एरियाज जितनी संस्थायें थीं वह अपना अंशदान इस योजना के अन्तर्गत नहीं दे पाती थी जिससे एल० आई० सी० से पैसा मिलने में दिक्कत होती थी, इसलिए इस बार बजट में इसकी व्यवस्था की गयी है। हर तीन महीने में बीमा का पैसा टाउन एरियाज और म्युनिसिपलटीज से कलेक्शन हो कर आता रहेगा। इसलिए शासन को यह धनराशि पुनः प्राप्त हो सकेगी और कोई वास्तविक व्यय भार इस मद में निहित नहीं है।

मान्यवर, मैंने यह कुछ सुझाव माननीय सदन के सामने रखे और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने विचार और सुझाव रखेंगे।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या––9 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करतः हूं कि अनुदान संख्या––85 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या––113 संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कितना समय लेंगे ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

45 मिनट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब पूरे दिन का बजट होता है तो 25 मिनट देते हैं, इसलिए आप 20 मिनट में समाप्त करें ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, 30 मिनट ही दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कोशिश करें कि 20 मिनट में समाप्त हो जाय ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मुझे बताया गया था कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी बीमार हैं इसलिए उनकी जगह भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री मालवीय जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । लेकिन उन्होंने बहुत ही अकलमन्दी का काम किया कि आज बजट प्रस्तुत करने से मना कर दिया वरना उनकी स्थिति बड़े धर्मसंकट में पड़ जाती । वे इस सदन में सन्तोषजनक जवाब न दे पाते । यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अभी तक चार बार स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित हो चुके हैं । विगत वर्ष एक मन्त्री जी ने यहां तक कह दिया था कि यदि मैं स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । इस्तीफा तो नहीं दे पाये, लेकिन बर्खास्त जरूर कर दिये गये । मौजूदा मन्त्री जी ने भी कहा था कि स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित नहीं होंगे, मेरे पास अखबार है, विधान परिषद् में उन्होंने आश्वासन दिया था 9 मई, 1979 को । लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह चुनाव फिर स्थगित कर दिये गये और इस दो वर्ष में प्रदेश की 11 करोड़ जनता को अधिकारियों की "मरसी" पर छोड़ दिया गया । मैं समझता हूं कि इनके वायदों की जनता के बीच अब ज्यादा कीमत नहीं रह गई है । इनकी साख जनता में एक "दिवालिया फर्म" की तरह हो गई है । हमारे भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने 1978-79 का बजट पेश करते समय 5 घोषणायें की थी । सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की चेष्टा थी । पहली घोषणा थी कि हम 3 वर्ष के अन्दर 614 लोकल बाडीज में, अर्थात् सब जगह पेयजल की व्यवस्था पूरी कर देंगे । एक वर्ष पूरा हो गया और आप ताज्जुब करेंगे कि वित्त मन्त्री जी ने 1979-80 के बजट में कहा है कि 1978-79 में केवल 6 नगरों में पेय जल उपलब्ध कराया गया और 1979-80 में 77 अन्य नगरों में पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । इस हिसाब से 3 वर्ष में यह काम कैसे पूरा हो जायगा ? दूसरी घोषणा थी कि एक वर्ष के अन्दर सभी कवाल टाउन्स में फ्लश लैटरीन्स लग जायेंगी । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रगति हुई है, पांचों कवाल टाउन्स में आप कितनी फ्लश लैटरीन्स बनवा पाये ? आपने जल निगम के माध्यम से, जो एक सफेद हाथी है, करोड़ों रुपया कर्ज ले कर सीवर लाइन डाल दी । लेकिन वह सीवर लाइन काम करने की स्थिति में नहीं है । आप जनता को पीने के लिए ही पानी नहीं दे पा

रहे हैं। आज सीवर उफन रहें हैं और जीवन नारकीय हो रहा हैं। आप ग्राउन्ड फ्लोर पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। मैं आगरे की बात कर रहा हूं, सुबह 8 बजे नहाने बैठें तो एक बाल्टी आधे घन्टे में भरेगी। जिस तरह से छोटा बच्चा पेशाब करता है, उस तरह से पानी आता है। तो बिना पानी के फ्लश लैटरीन कैसे कार्य करेगी ? इसके अलावा एक वायदा किया था कि जो हमारे बाल्मीकि भाई हैं, जो मां बहनें सफाई का काम करती हैं, वे सिर पर मैले को नहीं ढोयेंगे। आपने कहा था कि एक वर्ष में इसे समाप्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी जगह यह खत्म करा दिया। आज भी वही प्रथा चली आ रही है। सदन में पुराने मन्त्री मालवीय जी आ गये हैं, उनको कुछ पुरानी बातें याद आ जायेंगी अभी तो मैं बाजपेयी जी के वादे याद दिला रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित से शुरू करिये। वही सबसे पहली स्वायत्त शासन मन्त्री थीं।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल––

इन्होंने चौथा वादा किया था कि हम 383 टाउन एरियाज और 49 नोटीफाइड एरियाज में "सरफस' ड्रेनज की व्यवस्था करा देंगे। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितने सरफेस्ड ड्रेनज उन्होंने बनवा दिये। जब आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो ऐसे वायदे क्यों करते हैं ? पांचवीं घोषणा थी कि बड़ी उदारता के साथ गांवों को नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार घोषित कर देंगे। कितने आपने कर दिये ? माननीय मन्त्री जी ने पेयजल के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, अब मैं उस पर आ रहा हूं। आपने जल निगम की व्यवस्था कर दी और आप देखें कि जो मौजूदा स्वायत्त शासन मन्त्री हैं, उन्होंने स्वयं जल निगम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह जल निगम बिल्कुल निकम्मा, अक्षम और किसी मतलब का नहीं है। इसने बजाय जनता के कष्ट कम करने के उनके कष्टों को बढ़ा दिया है, उन पर व्ययभार लाद दिया है। आप ताज्जुब करेंगे कि इस जल निगम ने करोड़ों रुपये की कीमत से पानी के बड़े–बड़े पाइप डाल दिये पानी की सप्लाई के लिये। दो–तीन वर्ष हो गये लेकिन आज तक किसी पाइप में पानी नहीं पहुंच पाया। आज यह हालत है कि पानी की बूंद–बूंद के लिये जनता तरस रही है। गर्मी की बात नहीं कहता, जाड़े में लोग पानी की दिक्कत महसूस करते थे। इस जल निगम ने केवल इस प्रदेश के पैसे की बरबादी की है। यह जरूर है कि कुछ इंजीनियरों को काम मिल गया, कुछ अफसरों की पदोन्नति हो गई, लेकिन आम जनता का काम नहीं हुआ। आज जनता को पानी चाहिये, रोज चाहिये और आवश्यक मात्रा में पानी चाहिए। जल निगम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया इस जल निगम का एक और काम है सीवर का। विगत वर्ष आगरा में इसने 25 लाख रुपये के सुलभ शौचालय बनाये। महापालिका प्रति शीट पर दो हजार रुपया खर्च करती है और जल निगम ने आठ हजार खर्च किया है। सिवाय इस प्रदेश के गाढ़ी कमाई लुटाने के इसके पास कोई काम नहीं रह गया है। इन्होंने क्या किया कि शौचालयों की एक कालोनी बना दी। कायदा यह होता है कि इतने आदमियों पर एक शौचालय की व्यवस्था होती। आगरा में एक जगह इन्होंने शौचालयों की कालोनी बना दी। आदमी कम हैं शौचालय ज्यादा पूरे आगरे में इन्हें वितरित कर

डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल—

देते, हरिजन मोहल्लों में, गरीब मोहल्लों में बना देते 25 लाख रुपये इन के पास थ उनका सदुपयोग करते लेकिन श्रीमन्, इन्होंने कुछ नहीं किया। श्रीमन्, पैसा कमाने का एक बहुत आसान तरीका इनका है सीवर सफाई करने का। श्रीमन्, अधिकारियों ने मस्टर रोल के नाम पर खुदवायी करने हेतु अनगिनत लेबर मस्टर रोल पर रखे गये। पैसा खुदवायी करने पर खर्च करने के बजाय जेब में चले गये। बहुत से सीवर ऐसे पड़े रहते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं कभी बन्द होते ही नहीं। श्रीमन्, इस प्रकार सफाई हो, मरम्मत हो या सीवर लाइन डालने के लिए खुदवायी का काम है, मस्टर रोल के नाम पर लाखों रुपये प्रति वर्ष अधिकारियों की जेब में चले जाते हैं।

आगरे के अन्दर कई-कई हजार रुपयों के पानी के बिल अब दस साल बाद पब्लिक को दिये जा रहे हैं। मीटरों की रीडिंग नहीं हुई लेकिन दो-दो हजार, पांच-पांच हजार के पानी के बिल दे रहे हैं दस साल पुराने। इसमें घपलेबाजी क्या होती है यह बताता हूं डबल रिकार्ड रखते हैं, एक रिकार्ड म्युनिसिपल बोर्ड के यहां और दूसरा जल संस्थान में, दोनों के रिकर्ड अलग-अलग हैं। इसके बाद क्या होता है बातचीत होती है। जिसका बिल पांच हजार को होता है वह 500 का ही रह जाता है जिसका 500 का होता है वह 50 का रह जाता है। इसकी वजह से पब्लिक वहां पर परेशान है। कम से कम इसकी जांच तो करा लें। यह एक धन्धा वहां पर बना है। मैंने कई बार प्रशासक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

अब मलिन बस्तियों की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करूंगा। श्रीमन् मलिन बस्तियों में पूरे प्रदेश के अन्दर हरिजन लोग, गरीब लोग रहते हैं, जहां आप आज तक कोई नागरिक सुविधा नहीं दे पाये, पानी, बिजली, खड़न्जा, शौचालय कोई भी सुविधा न दे पाये। आपको ताज्जुब होगा कि इस वर्ष पुराने हाउस टैक्स के बिल उनके पास भेजे जाते हैं। नागरिक सुविधायें कुछ भी नहीं लेकिन हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बिल भेज दिये जाते हैं। मजदूर, हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, जो रोज कुंआ खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, उन्हें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को हजारों रुपयों के बिल दे दिये जाते हैं। इसके पीछे बदमाशी क्या है, राज क्या है। अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब एसेस्मेन्ट होता है पांच साल बाद तो एसेसमेन्ट में आप स्टाफ रखते हैं। वह स्टाफ पैसे वाले आदमियों का तो ज्यादा एसेस करता नहीं, उनका टैक्स तो बढ़ता नहीं, पैसों का लेन-देन होता है, पांच हजार का साढ़े पांच सौ ही रह गया, लेकिन जो गरीब है, जो पैसा नहीं सकता, उसका पचास का पांच सौ कर देते हैं। रजिस्टर में आमदनी के आंकड़े दर्ज कर दिये कि नगरपालिका को इतनी आमदनी हुई एसेस्मेन्ट से, इतने लाख रुपये बढ़ गये, लेकिन वास्तव में बढ़े नहीं। जिन से पैसा वसूल होना चाहिए था, जो ज्यादा टैक्स देने की स्थिति में हैं उनसे कम लिया गया और जो पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं उन पर ज्यादा लगाया गया। वह कहां से वसूल होगा। गरीब है, हरिजन है, पैसा देने की स्थिति में नहीं है उनसे वसूल नहीं होना चाहिए। उनका टैक्स माफ होना चाहिए। फिर कम से कम नागरिक सुविधायें मानवीय आधार पर आप मुहैय्या तो करायें। सुविधायें कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं लेकिन टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स माफ होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि मकान कम से कम 5-6 साल से खाली पड़े हुए हैं। कर्जे पर ब्याज भी चढ़ रहा है। चूंकि कबूतरखाने और दरबे जैसे वह बने हुये हैं इसलिए कोई रहने को

तैयार नहीं होता । जिस वर्ग के लिये बनाये गये वह उन्हें ले नहीं सकता । जो टाउन प्लानर है वह देखें कि जो काम वह करने जा रहे हैं उससे सम्बन्धित वर्ग विशेष को फायदा होगा या नहीं ? आगरा में छीपी टोल में 12 दूकान डेढ़-दो साल बने हुये हो गये लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है । 5 बार नीलाम हो चुका है । 4 हजार पगड़ी मांगते हैं । किराया इतना अधिक रख दिया कि गरीब आदमी जो विस्थापित दुकानदार हैं वह उसे ले नहीं सकता । कनाट प्लेस तथा हजरत गंज जैसा किराया रख दिया और गरीब आदमी को देने जा रहे हैं ? अधिकारियों को आप आगाह कर दें । इसके अलावा महापालिका द्वारा 200 दूकान सदर मन्डी आगरे में विस्थापितों के लिए बनाई गयी हैं । वे दूकाने खाली पड़ी हैं जिन पर आप लाखों रुपया व्यय कर चुके हैं । दूकानें बिलकुल कबूतरखाना है । उनको कोई लेने को तैयार नहीं । कर्जा आप पर बढ़ रहा है । इसी तरह अनाधिकार निर्माण की 5 कबाल टाउन्स में एक बाढ़ सी आ गयी है । यह अधिकारी वर्ग करवाता है । जिससे पैसा मिल जाता है उससे वह कुछ नहीं कहते । लेकिन गरीब आदमी पर नोटिस भेजा जाता है और फिर जुर्माना किया जाता है । इसी तरह से 6 मास से रिपेयर के लिए दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं लेकिन उनकी इजाजत नहीं मिलती । बिना इजाजत रिपेयर किया ही नहीं जा सकता और अगर करवा लिया तो अनाप सनाप जुर्माना होता है । गंदगी की बात सुन लें । कानपुर, आगरा नरक बना हुआ है । अभी हड़ताल हो चुकी है । आगरे में अभी भी हड़ताल चल रही है । कोई सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आता । गर्मी के मौसम में क्या हालत होगी वहां की ? यहां अधिकारी वर्ग जो एयर कन्डीशंड कमरों में बैठते हैं वो अन्दाजा नहीं लगा सकते गलियों में रहने वालों की क्या हालत होगी ? कड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले उफन रहे हैं और संडास एक एक हफ्ते से साफ नहीं किए जा रहे हैं । प्रशासक की सेक्रेटरी से इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए मंत्रि मंडल सक्षम है । हरिजनों से, गरीबों से पैसा वसूल नहीं होना चाहिए । मैं नहीं कहता कि टैक्स उन से न लें लेकिन नागरिक सुविधा दीजिए । मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं । मेरे ही क्षेत्र में 66 नगले हैं जहां गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, नालों के किनारे रहते हैं, वे कहते हैं कि नागरिक सुविधाएं दें हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं । यह एक समस्या है मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर गौर करें ।

श्रीमन्, मलिन बस्तियों में स्लम क्लीरियेन्स स्कीम के अन्दर बहुत कर्जा हडको से मिला । आगरे में मंगली मनहार योजना' के अन्तर्गत पलेट्स बहुत ही निर्बल वर्ग के लिए बनाए गए थे टेलीफोन पर बातचीत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । नतीजा यह है कि जो जायज मांगें हैं उन पर भी अमल नहीं हो रहा है, हड़ताल जारी है । एक बाल्मीकी पर तीन पुलिस वालों ने पेट्रोल डाल कर जिन्दा जला दिया । उन पर लाठी चार्ज किया और उनकी औरतों को घरों में घुस कर बेइज्जत किया । शिकायत करने पर अधिकारियों तथा शासन ने कोई सुनवाई नहीं की । इसके अलावा अब चुंगी को लीजिये । इसमें भ्रष्टाचार का बोल-बाला है । जितना आर्गनाइज्ड, भ्रष्टाचार चुंगी में मिलेगा उतना कहीं नहीं मिल सकेगा । 5 कबाल टाउन्स हैं । एक लाख रुपया रोज अधिकारियों की जेबों में जा रहा है । हर एक का परसेन्टेज बंधा हुआ है चपरासी, मोहर्रिर से ले कर एडमिनिस्ट्रेटर तथा इंजीनियर तक । कानपुर में कम से कम 40 हजार रुपये की प्रति दिन चुंगी की चोरी होती है । (इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती सुनीता चौहान पीठासीन हुईं ।) आगरे के अन्दर 25-30 हजार रुपये प्रतिदिन चोरी हो

[डा० कृष्णवीर सिंह कौशल--]

रही है। जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री रस्तोगी हैं उन्होंने कानपुर के सम्बन्ध में इस तरह की बात सदन में पिछले मर्तबे रखी थी। उस सम्बन्ध में इन्क्वायरी भी हुई थी लेकिन अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया कोई कार्यवाही नहीं हुई। वही इस चोरी की बात को आप देख।

मैं भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन कर रहा था। हमारे भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री जो थे उन्होंने चार्ज लेते ही पहला काम यह किया कि एक कलम की नोक से तीन भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोट कर दिया। चीफ इंजीनियर बना दिया गया। माननीय भूतपूर्व स्वायत, शासन मंत्री जब विरोध पक्ष में थे तो उन पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाये थे। इलाहाबाद में उनका घिराव किया गया था लेकिन जब वे मंत्री हो गये तो इन्हें प्रमोट कर दिया। वे सिर्फ डिप्लोमा होल्डर थे। इदेश का बच्चा-बच्चा उन्हें जानता था कि वे कैसे हैं उनको एक्जी-क्यूटिव इंजीनियर से चीफ इन्जीनियर बना दिया। इससे बढ़कर लज्जा की और क्या बात हो सकती है। श्रीमन्, मन्त्रियों द्वारा कवाल टाउन्स में टोल टैक्स सुपरवाइजरों की सीधी नियुक्तियां हुईं। हमारे यहां भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने टलीफोन द्वारा ऐसे व्यक्ति को पी० आर० ओ० के पद पर नियुक्त करा दिया जिसके पास हाई स्कूल का सार्टिफिकेट नहीं था। उसने अपनी सर्विस बुक गायब कर दी। वहां के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बारे में पुलिस लिखा भी था किन्तु प्रशासक ने उस आदमी को विजास प्राधिकरण में पी० आर० ओ० बना दिया।

श्रीमन्, इस तरह से कई और मिसालें हैं। एक भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर श्री एस० गुप्ता, थे जिन्होंने लाखों रुपये का गबन किया था उनके ऊपर विजीलेन्स की इन्क्वायरी भी हुई किन्तु उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसके सम्बन्ध में क्या हुआ। इसके अलावा हमारे यहां विगत वर्ष बाढ़ आयी थी और उससे बाजारों में रेता एकट्ठा हो गई थी उसको हटाने के लिए जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर असरानी साहब थे अपने भाई और दामाद को ठेका उन्होंने दे दिया जिस पर साढ़े तीन लाख रुपया स्वाहा कर दिया। उसके लिए मिनिमम कोटेशन 48 रुपया प्रति ट्रक का आया था किन्तु 68 रुपये में उसे दे दिया गया। 11 रुपये प्रति गधे के बजाय 14 रुपया तथा लेबर का 7 रुपये के बजाय 11 रुपया दिया गया। इस तरह से उसमें साढ़े तीन लाख रुपये स्वाहा किए गए। उसके सम्बन्ध में बार-बार खटखटाने के बावजूद आज तक इन्क्वायरी नहीं हुई। इसमें एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की ही नहीं बल्कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है। इसके अलावा श्रीमन्, लखनऊ में तालकटोरा कलोनी में 5 करोड़ रुपये का घोटाला है जमीन खरीदने का। कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से कृष्णानगर में 12 लाख का घोटाला डेवलपमेन्ट मारबेज का है। उसमें मालूम हुआ है कि जनता पार्टी के किसी नेता का हाथ है आज तक वसूली नहीं हुई। इसी तरह से कलेक्टरगंज में नहर की पटरी पर दुकानें बनाई गई हैं मिनी बस स्टैंड बनाया गया उसका किराया नहीं दिया गया है। आगरे में भी सत्य प्रकाश अग्रवाल भूतपूर्व स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जब गये स्थानीय निकाय के चुनावों की चर्चा चल रही थी, उन्होंने साढ़े चार सौ ट्यूब लाइट लगाने के आदेश दे दिये, किन्तु एक भी ट्यूबलाइट नहीं लगी। जब जनता ने शोर किया कि घोटाला हुआ है तो फौरन ट्यूब लाइट खरीद कर स्टोर में जमा की गई। बाद में कहा गया कि इन ट्यूब लाइट्स की आवश्यकता ही नहीं थी, तो खरीदी क्यों गई? क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करायेंगे? आगरे में ताजगंज में बालकों का तथा बालिकाओं का हावर सेकेन्डरी स्कूल जो

ताज के पास है वह आगरा शहर से 3-4 कि0 मी0 दूर पड़ता है...।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कौशल जी आप समाप्त करें ।

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं चाहूंगा कि इसको प्रोन्नत कर दें । स्नातकोत्तर स्तर तक । अब मैं सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा कि आगरे के अन्दर 9 लाख रु० केवल तीन महीने के अन्दर खर्च कर दिया गया । सड़कों में जहां पर साढ़े 9 इंच की लेयर बनानी चाहिये थी वहां पर दो इंच की बनाई गई । इस प्रकार तीन महीने में यह रुपया खर्च कर दिया गया जब कि 4-5 लाख रु० एक साल में कुल खर्च हुआ। आप ताज्जुब करेंगे कि 1978 में 25 निर्माण कार्यों की लिस्ट मैंने प्रशासन को जानकारी कराने के लिए दी उनमें काम ही नहीं हुआ और अगर हुआ है तो स्पेसीफिकेशन के मुताबिक नहीं हुआ और भुगतान कर दिया गया वह सब पैसा लोगों की जेब में चला गया । प्रशासक से अनुरोध किया था कि जो मैंने बताये थे कि ये 25 काम हैं इनकी आप जांच करायें कि वह कार्य स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हुआ या नहीं । उसका कुछ पता नहीं है आज तक कोई जवाब नहीं, कार्यवाही दूर की बात और पैसा ठेकेदार की जेब में चला गया, और जो अधिकारी थे उनकी जेब में चला गया । मैं आपसे चाहूंगा कि जांच करा कर इसका जवाब आप दिलवा दें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध होगा कि इसे तीन बजे तक हमें समाप्त करना है तो 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें तो अच्छा होगा।

* श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । समय केवल 5 मिनट का आपने दिया है इसलिए मैं जिस नगर महापालिका से आया हूं उसकी समस्याओं की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कानपुर नगर महापालिका प्रदेश की सबसे बड़ी नगर महापालिका है जिसका 12 करोड़ रु० प्रतिवर्ष का बजट है, 10 हजार कर्मचारी इसमें काम करते हैं जिनको 40 लाख रुपया प्रतिमास वेतन बांटा जाता है । इस 40 लाख रुपया में से लगभग 7 लाख रुपया उन लोगों को दिया जाता है जो मस्टर रोल पर हैं । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस 7-8 लाख रु० में से जो प्रति-मास बंटता है इसमें से आधा से अधिक पैसा लोगों की जेब में चला जाता है । अधिकांश मस्टर रोल फर्जी बने हुए हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करा लें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी फौज कर्मचारियों की होने के बावजूद कानपुर नगर महापालिका की दशा क्या है इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अगर कोई माननीय सदस्य कानपुर जायेंगे तो उनको दीख पड़ेगा कि मार्गों पर जगह-जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सीवर जाम हैं, पेय जल का अभाव और रोशनी का अभाव है । इस प्रकार कानपुर नगर महापालिका की दुर्दशा हो रही

* वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू राम शुक्ल—]

है । कानपुर नगर महापालिका 1960 में बनी थी और इसमें 160 गांवों को लिया गया था लेकिन आज उन गावों की दुर्दशा हो रही है और टक्स उनसे वसूला जा रहा है । इन गांवों की गलियों में आज तक खड़ंजे नहीं लगे हैं, रोशनी का प्रबन्ध नहीं किया गया है और न ही गांवों से मुख्य सड़कों तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ है जिससे वर्षान्त के दिनों में वहां पानी भर जाता है और इन इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है । लेकिन उन लोगों से टैक्स बराबर लिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह गांवों के लिए विशेष व्यवस्था करें ताकि नगर महापालिका के अन्दर गांव उपेक्षित न रहे ।

मेरे क्षेत्र मे एक सीवेज फार्म है उससे किसानों की सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है । इसमें 8 मशीनें लगी हुई हैं जिनसे पानी लिफ्ट किया जाता है । इनमें से 5 तो काम करती हैं और तीन बन्द पड़ी हैं । जो पांच काम करती हैं वह भी पुरानी होने के कारण पूरा लिफ्ट नहीं कर पाती है उसकी शक्ति घट कर 50 प्रतिशत रह गई है । उसका परिणाम यह है कि किसानों को पानी नहीं मिलता है उनके फार्म और फसलें नष्ट हो जाया करती हैं । जब नगरपालिका 1960 में बनी थी, तो उस समय 50 एकड़ जमीन गांव समाज की महापालिका को मिली थी, जो कि विकास प्राधिकरण के बनने पर उसको स्थानान्तरित कर दी गयी, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग उस पर अब तक अपना अनधिकृत कब्जा किये हुये बैठे हैं । उस पर हजारों मकान बन गये हैं, जिन्हें विनियमित नहीं किया गया है । या तो उनको विनियमित कर दिया जाए या उस पर अनधिकृत कब्जा हटाकर अन्य कोई निर्णय शीघ्र लिया जाए । वहां के लोग अपने बने मकानों का रेगुलाराइजेशन कराना चाहते है, लेकिन आपकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

कानपुर में पेय जल की समस्या बहुत ही विकट है । इसको इस सदन में कई बार उठाया गया है । यहां के नागरिकों को प्रदूषित जल मिलता है और जल सप्लाई की क्षमता बहुत ही कम है । जल सप्लाई हेतु यहां पर 24 मशीनें लगी हुई हैं लेकिन 15 ही काम करती हैं । पानी सप्लाई की जो क्षमता सन् 76 में 50 मैट्रिक गैलन प्रति दिन की थी, वह अब घटकर 36 रह गयी है । बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं, जहां एक बूंद पानी नहीं मिलता है । एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं । कुछ दिन पहले नगर महापालिका कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और उसमें उनके साथ कोई समझौता हुआ था, मंत्री जी उसे उठा कर देख लें, उसका अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है ।

चुनाव की बात डाक्टर कौशल ने कही है, मैं भी श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महापालिकाओं के चुनाव शीघ्र से शीघ्र होने चाहिए । लेकिन जब तक नहीं हो पाते हैं, उस समय तक, जैसे विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न विभागों में सलाहकार समितियां बना दी गयी हैं, उनके लिए भी उसी प्रकार की जनप्रतिनिधियों की सलाहकार समितियां बनाई जायें, जिससे नौकरशाही पर कुछ अंकुश लग सके और जनहित के कुछ ठोस कार्य हो सकें ।

* श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । इन अनुदान की मांगों को समर्थन देने के लिए समय केवल पांच मिनट का है, इसलिए मैं मुख्य रूप से बुलन्दशहर नगर की ओर माननीय मंत्री जी और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसकी आबादी एक लाख है तथा इस नगर के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिए एक सीवेज सिस्टम की स्कीम पास हुई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही अच्छे ढग से नहीं चल पा रही है, सुस्त काम हो रहा है और समय निकलता जा रहा है । इस लिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह उस पर ध्यान देकर शीघ्र पूरा कराने की कृपा करें ।

शहर के अन्दर जो आबादी बन रही है, उनकी ओर नगरपालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । किसी योजना के अन्तर्गत वह नहीं बनती है और जो आबादी की बढ़ोत्तरी हो रही है, वह कोई वैज्ञानिक तरीके से न होकर ऐसे बेढंगेपन से हो रही है कि आने वाले समय में वह स्वास्थ्य की दृष्टि से एक खतरा बन जाएगी । इसलिए अधिकारियों को निदेश दें कि इसके आगे बनने वाली बस्तियां वैज्ञानिक ढंग से बनें, मनमाने तरीके से न बनें । मेरा शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है । एक ऊंची आबादी है, जिसे ऊंचाकोट कहते हैं । इसमें खासतौर से मुसलमानों की आबादी है, इस हिस्से की बहुत ही उपेक्षा आजतक की गई है । उसमें नगरपालिका के कर्मचारी जाते ही नहीं हैं वहां स्थान स्थान पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं । यही हालत शाखा की और सरांय लोधियान की भी है और इस तरह की बदतर हालत काली नदी के सहारे के मोहल्लों कुम्हार सरांय और कसाई बाड़ा की सी है । हमारे शहर में सब्जी मंडी थी, उसके पास ही मलवे का खता पड़ता था । हम लोगों ने आन्दोलन किया, तो सब्जी मंजी वहां से आ गयी, लेकिन दुख: इस बात का है कि सब्जी मंडी के साथ साथ खत्ता भी आ गया है । इस तरह से जहाँ होटल या हलवाइयों की दुकानें हैं, वहाँ पर एक मलवे का खत्ता है । इनके कारण शहर की जिंदगी नरक बनी हुई है । आप इस स्कीम में वहां शीघ्र से शीघ्र कुछ काम करायें ।

यहां पर चीनी उद्योग का जबरदस्त काम चल रहा है । मैं इस माननीय सदस्य के माध्यम से माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं कि खुरजा शीघ्र ही तपेदिक के हिसाब से उत्तर प्रदेश का दूसरा कानपुर बन जायेगा । इतनी भट्ठियां नगर के अन्दर चलायी जा रही हैं कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर जो कार्बन डाई-आक्साइड निकलती है, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । नयी बनने वाली जितनी भी फैक्टरियां हैं कम से कम उनको नगर से बाहर लगवाया जाय, जिससे नगर का भविष्य खतरे में न पड़े । मेरे क्षेत्र में एक बुलाकी कस्बा है । इसकी तबाही वहां के गंदा नाला के कारण भयंकर रहती है । शहर के अन्दर जो सड़क है, उसका नाला कभी भी ठीक से नहीं चलने देती है । उसको ऊंचा कराया जाय और इस नाले की सफाई की जाय । उम्मीद है कि मेरी बातों पर गौर करेंगे । इन शब्दों के साथ आपके अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

*श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं । साथ ही साथ मैं गोरखपुर नगर की समस्याओं की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गोरखपुर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत प्राचीन नगर है, जिसका विकास पिछले वर्षों में बड़ी तेजी के साथ हुआ है और उसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है । लेकिन जितनी तेजी के साथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव—

वहां की आबादी बढ़ी है, उतनी तेजी के साथ वहां के नागरिकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं किया गया। आज गोरखपुर में जल आपूर्ति की समस्या बड़ी गम्भीर है। नीचे मंजिलों में रहने वाले लोगों को शायद सुबह के वक्त एक घंटा पानी मिल पाता हो जब कि वाटर वर्क्स मैनुअल में यह प्राविधान है कि जिन क्षेत्रों में जलकर लगाया गया है, उन क्षेत्रों में पानी का दबाव 25 फीट तक होना चाहिए। अगर 25 फीट ऊंचाई तब दबाव नहीं है तो ऐसी स्वायत्त शासी संस्थाओं को जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं होता है। माननीय मन्त्री जी गोरखपुर नगर की जल आपूर्ति की व्यवस्था उचित ढंग से करवाने की कृपा करें।

दूसरी समस्या जो आज गम्भीर रूप से गोरखपुर के लिए है वह सीवरेज की समस्या है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व जो सिवरेज का कार्य प्रारम्भ किया गया, वहां के जिम्मेदार नागरिकों ने लिखा कि यह कार्य दोषपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। उसी समय बार-बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया कि यह सिवरेज का काम स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हो रहा है, यह दोषपूर्ण है, आगे चल कर समस्या उत्पन्न करेगा। लेकिन शासन के कान में जूं नहीं रेंगी। आज गोरखपुर की सिवरेज की समस्या गम्भीर रूप धारण करके सामने आयी हुई है और सिवरेज का गन्दा पानी जो सड़कों पर भरा रहता है नागरिकों का जीवन उससे बिलकुल नारकीय हो गया है। जल निगम जो स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग का रिवाइज्ड एडीशन है, उसने मांग की है, उसकी समस्या दूर करने के लिए 29 लाख रु० की और आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह रुपया उन्हें दिया जाये, परन्तु इस पर नियन्त्रण रखा जाये कि उसका ठीक ढंग से उपयोग हो और गोरखपुर की यह समस्या दूर की जाये।

मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जन शौचालयों की हालत बहुत खराब है। आप जन शौचालयों को ठीक ढंग से बनवाने की व्यवस्था करें। इसी के साथ में जल निकासी के बारे में भी आप से निवेदन कर देना चाहता हूं। जल निगम की ओर से जो नाले बनाये गये हैं, वह दोषपूर्ण ढंग से बनाये गये हैं, उनमें हर वर्ष जल भर जाता है और बरसात में वहां के नागरिकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां पर 3 वर्ष पहले विकास प्राधिकरण कायम हुआ है। उससे केवल भवन निर्माण के नक्शे पास कराये जाते हैं, इसके अतिरिक्त वह कोई भी काम अभी तक नहीं कर सकता है। इस ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

माननीया अधिष्ठाता जी, माननीय मन्त्री जी और जनता सरकार ने यह घोषणा किया था कि हम पूरी तरह से लोकतन्त्र और विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, लेकिन मान्यवर, यह लोक तन्त्र का उपहास है। लोक तन्त्र की बुनियाद कोई है तो वह ग्राम सभा, नगर समितियां, नगर पालिकायें और महापालिकायें हैं। उनको आपने अतिक्रमण कर रखा है और उनके बारे में आपने घोषणा की है कि आप निर्वाचन करायेंगे, लेकिन उनको आप टालते चले जा रहे हैं। अभी माननीय डा० कौशल ने कहा कि इतने गम्भीर वादे करने के बावजूद भी सदन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर और अन्दर कि निश्चित रूप से चुनाव कराये जायेंगे, लेकिन तब भी चुनाव नहीं कराये गये और उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी कि इनकी पार्टी की वही साख है जो एक दिवालिया व्यापारी की होती है। आपके वादों में जनता यकीन नहीं करती। मैं आज भी माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज इस बजट के दौरान कोई वादा आप कर कि आप कब तक चुनाव करायेंगे और इनमें भरोसा नहीं है। आप कब चुनाव करायेंगे, आपको भी कुछ पता नहीं है। माननीया अधिष्ठाता जी मैं ज्यादा वक्त आपकी नीतियों के सम्बन्ध में नहीं खराब करना चाहता हूं। मैं अपने बांदा जनपद की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज ही मैंने नियम 51 में सूचना दी। बांदा नगरपालिका सफाई का कोई इन्तजाम नहीं कर पा रही है। मैं कल ही वहां से आ रहा हूं। वहां के नागरिकों ने मुझे बताया कि वहां की नगरपालिका से सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। हर गली में कूचे में मलवा इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण शहर म पीलिया, मलेरिया और टी० बी० की बीमारियां फैल रही ह। एक डाक्टर ने बताया कि हर 10 मरीज पर एक मरीज टी० बी० का आ रहा है। मान्यवर, वहां की सफाई की स्थिति बड़ी शोचनीय ह। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वे वहां पर सफाई का तुरन्त प्रबन्ध करावें।

जैसा कि पहले भी यहां सदन में कई बार कहा जा चुका है हमारे यहां पाठा में एक पेयजल की योजना बनी थी। उन दिनों माननीया इंदिरा जी के समय में बड़े शोर गुल के साथ बांदा में यह पेयजल योजना बनायी गयी। इसमें 3 करोड़ रुपया लगा है। इसके द्वारा 250 या 300 गांवों में पेयजल योजना की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके 10वें हिस्से में भी पानी नहीं दे पा रही है। हमारे जिले में केन नदी के पार हर साल नदी से पम्प करके पानी दिया जाता था। यह हर वर्ष मई के महीने में आरम्भ हो जाता था, लेकिन इस बार जून भी आरम्भ हो गया है, लेकिन पता नहीं वह योजना कब चालू होगी। उस इलाके में जितने भी तालाब और कुए हैं, वे सब के सब सूख गए हैं। वहां पर लोग 10-10 मील पर अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बांदा जिले में और बांदा शहर में पेयजल का प्रबन्ध शीघ्र किया जाय। बुन्देलखंड विकास निगम के मैनेजर वहां पर शायद गए थे। मैंने उनसे लिखकर आग्रह किया है कि कम से कम इन 2 महीनों के लिए वहां पर पानी की कुछ व्यवस्था करा सकते हैं तो करा दें। शहर में एक-एक नल पर जहां पर घनी आबादी है, सारे दिन भीड़ लगी रहती है। दिन के 3 बजे से रात्रि के 7-8 बजे तक आदमियों और औरतों में झगड़े होते रहते हैं। अगर आप रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पीने के पानी की तो व्यवस्था करा दें। इसके लिए मेरे क्षेत्र की जनता आपकी बड़ी कृतज्ञ होगी।

अभी यहां पर माननीय कौशल जी ने एक समस्या का उल्लेख किया कि इस माननीय सदन ने एक बड़ी पवित्र भावना से एक अधिनियम पास किया था कि अब कोई भी सफाई मजदूर अपने सिर पर गन्दगी नहीं ढोयेगी, लेकिन हमारी नगरपालिकाओं में, हमारे जिले में, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे इस समस्या से उनको मुक्ति मिल सके और ऐक्ट में यह भी प्राविधान था कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका प्रोसिक्युशन होगा, मुकदमा चलेगा, लेकिन मैं

श्री देव कुमार—

माननीय मन्त्री जी से पूछना चाता हूं कि क्या आज तक एक भी चालान उत्तर प्रदेश में हुआ है ?

माननीय मन्त्री जी ने कुछ मेलों के प्रान्तीयकरण की बात कही है । हरिद्वार में और माघ मेला आदि लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्रकूट में भी एक मेला हर साल लगता है, जिसमें लाखों जनता इकट्ठा होती है । अगर उसका प्रान्तीयकरण भी कर दिया जाय तो सफाई आदि का अच्छा प्रबन्ध हो सकता है । न वहां पर सफाई की व्यवस्था है, न वहां पर ठहरने की ही व्यवस्था है । वहां पर सारे देश और प्रदेश के लोग आते हैं और मारे-मारे फिरते हैं और उन्हें नाना प्रकार की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं । मैं चाहूंगा कि आप वहां पर युद्धस्तर पर कार्य करायें ताकि वहां पर आने वाले लोगों को गन्दगी से मुक्ति मिल सके ।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं, उनका समर्थन एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

आज से कुछ वर्ष पहले हमारी नगरपालिकायें लघु नगरपालिकायें और टाउन एरियाज स्वच्छ जल, सफाई, शिक्षा और रोशनी का प्रबन्ध करती थीं । कुछ वर्षों से हमारी प्रान्तीय सरकार ने कुछ निगमें बना दिए । जल निगम बना दिया और जल संस्थान बना दिया । जहां कहीं पेयजल की समस्या होती है तो जल निगम जल संस्थान पर और जल संस्थान जल निगम पर उत्तरदायित्व समझता है । नतीजा यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है ।

मान्यवर, पूरे गढ़वाल, कुमायूं व नैनीताल डिवीजन की कुछ घटनाएं बताने के पहले, पहले मैं अपने यहां देहरादून की कल की ही घटना बताना चाहता हूं । जल संस्थान को कल यह पता था कि विधायकगण भी यहां मौजूद हैं । कल सवेरे साढ़े 6 बजे से पानी आना बन्द हो गया । मैंने टेलीफोन किया तो पता चला कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर छुट्टी पर हैं, यह बात सही है कि वे छुट्टी पर थे । कल दिन भर 12 घंटे तक पानी शहर में नहीं आया । कल रात 8-10 बजे मैं वहां से चला । वहां पर शहर में कई बारातें आई हुई थीं । पानी के कारण 4 घंटे बरातों को रोके रखना पड़ा । 12 घंटे तक जनता पानी के लिए तरसती रही । जो अधिकारी यहां जल निगम के लाबी में बैठे हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाये कि पानी सप्लाई क्यों नहीं हुआ जब कि हमारे यहां पानी की कोई कमी नहीं है । उनका स्पष्टीकरण लेकर मुझे बताया जाये कि पानी न आने का क्या कारण था ।

आज से कुछ दिन पहले मेरी कुमायूं जल संस्थान के जनरल मैनेजर से बात हुई थी और उन्होंने यह स्वीकार किया था कि जो योजनायें दो साल पहले स्वीकार हुई थीं, उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाने के कारण आज 50 प्रतिशत ही पानी दिया जा रहा है । जो हमारी योजनायें हैं पानी सप्लाई की वे केवल 25-30 प्रतिशत ही पानी दे पा रही हैं, यह मेरी अपनी जानकारी है । 70 फीसदी योजनायें टूटी फूटी पड़ी हैं । हमारे यहां प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जिनसे जनता दूर-दूर से पानी लाती है । उसको भी आपने बन्द कर दिया है । गरीबों पर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने टैक्स लगा दिया है। गरीब इस स्थिति में नहीं हैं कि टैक्स दे सकें। पहले नगरपालिका ने धार्मिक स्थानों, स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जलकर नहीं लगाया था, अब जल निगम और जल संस्थान ने इन स्थानों पर भी जल-कर लगा दिया है। जल-कर लगाने के बाद भी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में हरिजन बस्तियों पर भी टैक्स लगा दिया है जब कि वे गरीब हरिजन लोग टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। हम विश्व बैंक की योजनाओं में इसे ले रहे हैं। फिर भी इन पर वह टैक्स लगना ठीक नहीं है। जो लोग प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाया करते थे, 2-2 मील से लाते थे, उनके सामने भी आज कठिनाई पैदा हो गई है, वे नहीं ला पा रहे हैं।

मन्त्री जी आज आप स्वायत्त शासन मन्त्री जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारे ही क्षेत्र से आते हैं, वहां की जनता ने आपको वोट दिया है, वे हमको कोस रहे हैं, यदि आपने पानी की व्यवस्था को न सुधारा तो आपको वहां घुसने नहीं दिया जायेगा। इन जल निगम और जल संस्थान आदि को आप समाप्त करके एक ऐसी संस्था बनायें, जिससे वहां के लिए पानी की समस्या को हल किया जा सके और धार्मिक, स्कूल तथा सार्वजनिक स्थानों पर टैक्स भी माफ किया जा सके तथा गरीबों को भी टैक्स से मुक्ति दिलाई जा सके। कुछ नगरपालिकाओं में सरकार ने टैक्स समाप्त किया है और उनको अनुदान भी दिया गया है। यह खुशी की बात है, पर देहरादून में आज एक चौथाई भाग में सफाई की बिलकुल व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से कहूंगा कि यह ठीक है कि वे गांव का विकास करें, गांव की ओर ध्यान दें, पर इन विकसित शहरों की ओर भी ध्यान दें और जरूरत समझें तो देहरादून शहर को ही कई गांवों में बांट दें। हमारे यहां जिस नगरपालिका को आपने अनुदान दिया है, उसके लिए निश्चय ही आप बधाई के पात्र हैं और उसका मैं स्वागत करता हूं। पर जो नगरपालिकायें आज दीवालिया हो गई हैं, उनको भी अनुदान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इन बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर नगर)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं दुःखी मन से स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत 24 करोड़, 68 लाख 5.3हजार रुपये के अनुदान का समर्थन करता हूं। कानपुर का कारपोरेशन करप्शन का अड्डा है। भ्रष्टाचार खुलकर पनप रहा है। नगर प्रशासक सरल सीधे हैं, मगर कानपुर की समस्या के समाधान के आयोग्य हैं। उन नगर प्रशासक कौशिक जी तथा उनके सहयोगी कानून के दायरे में भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट रहे हैं। सन् 78 में मिस्टर रुद्र शेखर, डिप्टी डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 62 अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गए हैं। 70 निलम्बित किए गए हैं और 55 आज भी मौजूद हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुनने में आया है कि शायद 25 हजार रुपये ने उनकी फाइलों को दबा दिया है। यह जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कानपुर जाकर दो दिन रुकें और सभी अधिकारी और विधायकों के साथ बैठकर मंत्रणा करें और कानपुर को खुली आंखों से देखें, केवल दावत के लिए न जायें। अगर वहां जाकर देखें, तो भारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रेवती रमण रस्तोगी]

वर्ष की 5 महा नगरों में एक कानपुर जो कि नर्क की नगरी बनी हुई है, स्टेशन से उतरते ही अगर आप परेड जाएंगे, तो आपकी बादशाही नाके पर कूड़े का ढेर मिलेगा, जिस पर सुअर लोटते मिलेंगे, परेड तक बिजली के खम्भों के नीचे कूड़े का ढेर मिलेगा, पीने के पानी की पाइप लाइन जो ब्रेक हो गई है, जहां से गन्दे नालियों का जल रसोई घर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से पीलिया रोग फैल गया था। इस विषय पर जल निगम ने यह कहा था कि जो पाइप लाइन ब्रेकेज हैं, उन्हें आप चेक कर लें, जब कि यह जिम्मेवारी कारपोरेशन की है।

जी0 टी0 रोड से लेकर गंगा कैनाल से माल रोड तक खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है। नहर खुली है। उसमें मल-मूत्र लोग त्यागते हैं एवं बन्द पानी में मलेरिया के कीड़े भरे पड़े हैं। कैनाल पटने की कानपुर नगर में अनेकों वर्ष से योजना चल रही है, नहर पाटी जायगी, नव निर्माण की योजना है, नहर विभाग स्वायत्त शासन विभाग और परिवहन विभाग के तीनों मन्त्रियों, एक साथ बैठकर उसका निर्णय करें। पिछले वर्ष यह चेष्टा कुछ हुई थी, जब मालवीय जी इस विभाग के मन्त्री थे, परन्तु दुःख का विषय है, किसी भी मन्त्री की राजनीति के कारण फुरसत नहीं मिलती। क्या कारण है कि अनेकों वर्षों से योजना चली आ रही है, परन्तु अभी तक क्यों नहीं पाटा गया ? जी0 टी0 रोड से माल रोड तक अतिक्रमण को देख लीजिए और कारपोरेशन के अधिकारियों से पूछ लीजिए कि ऐसा क्यों है और स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें दंडित कीजिए। भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश करना चाहता हूं। पनकी रेलवे कैरियर में सन् 78 सितम्बर और अक्तूबर के बीच में 45 हजार, 554 रु० 62 पैसे का गोलमाल हुआ है और यह आडिट रिपोर्ट में है। केवल दो महीने का यह नमूना है। इस तरफ गौर कीजिए। मैंने पिछले सत्र में यह कहा था कि यहां की आमदनी 1 करोड़ बढ़ चुकी है और 1 करोड़ 82 लाख अभी बढ़ सकती है, अगर यहां के ये भ्रष्टाचारी अधिकारी एवं उप नगर प्रशासक कौशिक को हटा दिया जाय। नगर प्रशासक और उप नगर प्रशासक और जो 55 हैं, उन्हें अवलम्ब हटा दिया जाय एवं जांच करा कर दंडित किया जाय। हमारे मन्त्री जी को कुछ परेशानी होगी। अगर सत्य, न्याय पर चलना चाहते हैं तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, कष्ट उठाना होगा, तपश्चर्या करनी होगी।

पानी-पानी के लिए कानपुर हाहाकार कर रहा है, 10 वर्ष बाद त्राहि-त्राहि कर उठेगा। गंगा बैराज के लिए कारपोरेशन के अधिकारियों ने न मीटिंग की और मांगने पर विस्तृत रिपोर्ट भी नहीं दी। जिससे हम सब मिलकर केन्द्रीय सरकार से आग्रह करते कि कानपुर की इस सघन समस्या की ओर ध्यान दें। अन्यथा उन्नाव का बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, गंगा पर बने तीनों पुलों को खतरा हो जाएगा। इसलिए गंगा बैराज के निर्माण की कार्यवाही अविलम्ब की जाय। नारायण, नारायण।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, शासन की ओर से बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जो निगम गठित किये गये हैं उनकी ढिलाई, कार्यशैली की बुराई, उसके परिणाम यह है कि वह कागज पर रह जाता है। जल निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बड़ी शिकायतें किया करते हैं। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उद्योगों की सार्वजनिक रिपोर्ट 1976-77 इस सदन में बांटी गयी।। निगम की कुछ उपलब्धियां देखने को मिलेगी सोचा था लेकिन उसके एक अपेन्डिक्स में यह लिखा हुआ था कि जल निगम के बारे में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार-बार मांगने के बाद उन्होंने अपना लेखा-जोखा वहां भेजे होंगे । परिणाम यह कि उनके बारे में कुछ जान ही नहीं सकते । निगमों की एकाउन्टेबिलिटी इस सदन में नहीं है । हम कुछ पूछ नहीं सकते । और वह निर्द्वन्द अपना कार्य करते रहते हैं ।

(इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

सीतापुर एक बड़ा पुराना शहर है । पेय जल की बड़ी दूषित व्यवस्था है । 10 वर्ष पहले पेय जल योजना बनी लेकिन आजतक उसे साकार नहीं किया। जनता पार्टी ने बड़ी रुचि लेकर 40 लाख 80 हजार से योजना स्वीकृत की । आज स्थिति यह है कि एक जूनियर इंजीनियर थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गये, छुट्टी पर चले गये, मैंने पूछा कि वे चले गये तो क्या काम रुक जायेगा, उन्होंने कहा कि काम सरकार करती है दूसरा आदमी भेजा जाय । कार्य प्रारम्भ किया जाये और वर्षा से पहले शुरू कर दिया जाये लेकिन मंत्री भी चले गये और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। वर्षा आ रही है उसकी कल्पना की जा सकती है । सीवरेज स्कीम के बारे में कहा गया, सर्वे हो रहा है, लेकिन आज तक सर्वे पूरा नहीं हुआ । मेरे निर्वाचन क्षेत्र, रामपुर में ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में 2 वर्ष पहले आपत्ति की गई थी लेकिन जिला परिषद् ने प्रस्ताव पेश करके जिम्मेदारी ले ली लेकिन उसके बाद भी कोई तरक्की नहीं हुई । अनेक बार प्रार्थना-पत्र लिखने के बाद मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे ठीक करने की चेष्टा करें । नैनीताल नगरपालिका है वहां 52 किलोमीटर की जो सड़क है वह एक जून से पी0 डब्लू0 डी0 को ट्रान्सफर हो गयी । 57 मजदूर जो उसके रख रखाव के लिए थे वे.... एक जून से सेवा निवृत्त कर कर दिये गये । उनका क्या दोष है । सरकार ने टैक्स प्रणाली समाप्त कर दिया और वादा किया था जो कर्मचारी बेकार हो गये हैं उनको उसी वेतन पर रखा जायगा। लेकिन फिर 57 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की क्या आवश्यकता थी । उनको पी0डब्लू0डी0 या अन्य जगहों पर ट्रांस्फर कर दिया जाता । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अविलम्ब इसमें हस्तक्षेप करें। यह 57 आदमी जो बेरोजगार हो गये हैं डेली वेजेज के मजदूर थे । सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि उनके कंफर्मेशन के आदेश भी पहुंच गये थे । तो इनको क्यों निकाला जा रहा है ।

इसी तरह से मेरे सीतापुर में जो गैंगमैन हैं बरसों डेली वेजेज पर काम करते आ रहे हैं । मैंने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया और मैं उनका आभारी हूं कि राजाज्ञा चली गयी कि वह परमानेन्ट कर दिये गये । लेकिन बेचारे साल भर से फिर रो रहे हैं, न उन्हें कोई सुविधा है न सर्विस रूल्स हैं । मैंने उनके संबंध में कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सुविधायें दे दीजिए तो वह भी नहीं दी गयी है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में हस्तक्षेप करेंगे। नगरपालिकायें पैसा वसूल करती हैं लेकिन जो वह गलत पैसा वसूल करती हैं उस संबंध में आदेश है कि वह पैसा वापस किया जाय लेकिन वह पैसा वापस नहीं करती हैं । मेरे जिले सीतापुर में एफ0 सी0 आई0 का जो गेहूं राशन की दूकानों पर जाता था वह चुंगी मुक्त था लेकिन चुंगी ली गयी है और पैसा वापस नहीं किया जाता है । इसी तरह से आयातित तेल के बारे में आदेश पहुंच गया था लेकिन पैसा वापस नहीं किया जा रहा है । चूंकि समयपू कम है मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करता

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

हूं । 1968 में कुछ कर्मचारियों को निभुमत किया गया था, सदर्थ थे । 1970 में राजाज्ञा प्रसारित की गयी थी उनको रेगुलर करने के लिये, लेकिन 1970 से 1979 हो गया है आज तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

मान्यवर, स्वायत्त शासन विभाग के अनुदान पर कौशल जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, यह विभाग हमारे प्रदेश के जनजीवन की सुव्यवस्थित, सुचारुरूप से संचालित करने के लिये एक महत्वपूर्ण विभाग है । इस विभाग के द्वारा हम प्रदेश के नगर निवासियों को एक प्रकार से जीवन देते हैं । और यदि यह विभाग अपने कर्तव्य का ठीक तरीके से पालन नहीं करता है तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है वास्तव में उन नगरों का जीवन नारकीय जीवन हो जाता है । इसलिए इस विभाग का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । इन कठिनाइयों को देखते हुये बहुत सी बातें इसमें सुधार की हैं । इसमें जल निगम की स्थापना भी की गई है । जल निगम की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि हम इन नगरपालिकाओं को जिनको पैसे की आवश्यकता थी और शासन पूरा करने में असमर्थ था, और वहां जो कार्य होना चाहिये था नगरपालिकायें अपनी अकर्मण्यता के कारण धनाभाव के कारण कार्य नहीं करा पातीं थीं इस उद्देश्य से जल निगम की स्थापना की गयी और इसको हडको जीवन बीमा निगम और विश्व बैंक से काफी सहायता मिली । श्रीमन् देखना यह है कि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गयी वह किस सीमा तक पूरा हुआ है । चूंकि समय कम है इसलिये मैं थोड़ी सी बातों पर प्रकाश डालूंगा श्रीमन्, जल निगम का काम विशेष रूप से नगरों में जल समस्याओं के समाधान और सुधार का है ।

यदि हमने सुधार की दृष्टि से इस निगम की स्थापना किया है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह निगम का अभी शैशव काल है इसलिये अभी से उसपर कुछ नियंत्रण रखें जिससे उसका जो उद्देश्य है वह पूरा हो नहीं तो कहीं विद्युत् परिषद् की तरह से एक सफेद हाथी इस प्रदेश में न बन जाय ।

मान्यवर, जल निगम द्वारा सीवर लाइनें डाली जाती हैं तो महीनों तक उनमें मेनहोलों में ढक्कन नहीं पड़ते हैं और इसलिये कूड़ा करकट उनमें पड़ता रहता है । यदि कहीं ढक्कन पड़ गये तो बाद में जब वह टूट जाते हैं तो फिर उनपर ध्यान नहीं दिया जाता है । तैयार अलावा ढक्कन न पड़ने से, कूड़ाकरकट पड़ने से मेनहोल चोक हो जाते हैं । इस प्रकार जब सीवर लाइनों में गड़बड़ होता है तब यह व्यवस्था नगरपालिकाओं को दे दी जाती है । इसी प्रकार जल पूर्ति की बात है । मेरा विश्वास है जल निगम अपने कर्तव्य का पालन सुचारु रूप से नहीं कर रहा है । यदि हमने इस ओर उदासीनता बरती तो हमको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । और जो हम समझते थे कि जल निगम बनने के बाद नगरपालिकाओं, टाउन एरिया और पर्वतीय क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसका समाधान होगा लेकिन वह नहीं हो रहा है । छोटे और बड़े शहरों में भी पानी की समस्या बनी है । इसलिये किस प्रकार जल निगम सक्षम हो इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये । मैं जानता हूं कि सरकार अपने झगड़ों में फंसी है इसलिये उसके पास इन समस्याओं पर विचार करने के लिये समय की कमी है

लेकिन जनता के साथ, उसकी भावना से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसपर गम्भीरता से विचार करना पढ़ेगा और व्यवस्था करना पड़ेगा । मान्यवर शुष्क शौचालयों के संबंध में 1970 में एक योजना थी अब शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदला जायगा । लेकिन जहां शुष्क शौचालय बने थे उनको स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन करना तो ठीक है किन्तु मंत्री जी ने कहा उसके लिये अनुदान देंगे तो उसमें किस प्रकार का अनुदान देंगे शुष्क शौचालय जहा बने उन्हें क्या वास्तव में स्वच्छ शौचालयों की अपेक्षा कम पैसे लगाकर उनको स्वच्छ शौचालयों म परिवर्तित किया जा सकता है । यदि नहीं, तो पैसा देने के बाद भी समस्या वैसी ही बनी रहेगी और वह शौचालय न शुष्क रहेंगे न स्वच्छ ही ।

मान्यवर, एक समस्या हमारे सामने आवास की है । यह 11 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और आगे और जनसंख्या बढ़ जायेगी । इसलिये यदि हम इस प्रदेश के लोगों को आवास की व्यवस्था न कर सके तो इससे ज्यादा हमारी अकर्मण्यता क्या होगी। आवास का कार्य धीमी गति के हो रहा है । मुझे जानकारी है कि आवास के लिये जो भूमि ली जाती है उसमें ऊपर से दबाव डालकर उसको छोड़ दिया जाता है । इसलिये आपके माध्यम से मान्यवर, मंत्री जी से कहना है कि यदि कोई जमीन ली जाय तो उसको आसानी से न छोड़ें । मान्यवर, समय बदल चुका है, तो ऐसे बदले हुये समय में चाहे कमिश्नर का या डी0 एम0 का डी0आई0 जी का बंगला हो जहां एकड़ों जमीन पड़ी है, मंत्री जी, इन सारी जमीनों का अधिग्रहण किया जाय और आवास विकास परिषद् द्वारा वहां तीन चार मंजिले मकान बनाकर जनता को उपलब्ध कराया जाय । इस प्रकार मान्यवर, जल, स्वच्छता और आवास की व्यवस्था करके इस विभाग के माध्यम से हम जनता की सेवा कर अन्यथा बजट में दिग्दर्शन करने और भाषण करने से काम नहीं चलेगा । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे और इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

एक विषमता की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का । 60 करोड़ रुपये पेय जल के लिये नगर में माननीय मंत्री जी ने प्रस्तावित किया है लेकिन विषमता यह है कि 33 करोड़ रुपये केवल पांच महानगरों के लिए और बाकी 27 करोड़ रुपयें सारे उत्तर प्रदेश के लिए है । एक उक्ति सुना करते थे अधे में रब और आधे में सब, इस उक्ति का भी अतिक्रमण कर दिया गया है । आधे हिस्से में पांच महानगरी और आधे से कम म 638 नगरपालिकायें । इस विषमता को माननीय मंत्री जी दूर करने की कृपा करें ।

हमारे हरिद्वार की 1947 में 35 हजार की आबादी थी हरिद्वार ज्वाला पुर और कनखल (kankhal) की अब एक लाख से ऊपर की आबादी है । डेढ़ दर्जन मुहल्ले, नई कालोनियां आबाद हो गई हैं शरीफनगर, राजानगर रामनगर, बस्लाम नगर बगैरा बगैरा । लेकिन जो पदों का सृजन है वह वही है जो 1935 में सरकार द्वारा मान्य था, जो उस समय स्वीकृत थे । स्वीपर्स की कमी, इन्सपेक्टर्स

[श्री राज कुमार शर्मा]

की कमी, क्लर्क्स की कमी, स्टेशन आफीसर्स की कमी, हर विभाग में हर कर्मचारी की कमी है। सन् 1935 के बाद वहां पर कोई भी पदों की बढ़ोतरी नहीं की गई। आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नगरपालिकाओं ने कुछ पदों की बढ़ौतरी के लिए शासन से मांग की है उनको पदों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

हरिद्वार में आगामी अप्रैल 1980 में अर्द्ध कुम्भ का महामेला आ रहा है। अब वह मेला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत वर्ष का मेला गन चुका है। भारत से बाहर के लोग भी वहां पर आते हैं। 1938 में नगरपालिका द्वारा मेले की व्यवस्था होती थी। वहां पर दुर्घटना हुई, आग लगी, तब से विशेष ऐक्ट बनाकर सरकार ने मेले का प्रान्तीयकरण किया। 1974 के कुम्भ में 60 लाख आदमी वहां आया था। पीक डे 13 अप्रैल, 1974 को लगभग 25 लाख आदमियों ने एक ही दिन एक ही समय एक ही स्थान पर स्नान किया। इस संदर्भ में आप के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र का लाखों रुपये उज्जैन में कुम्भ के लिये वहां की नगरपालिका को दिये हैं उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार से हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ के लिये कम से कम 25 लाख रुपये की मांग करे।

हरिद्वार में संकीर्ण जगह है। एक तरफ गंगा है दूसरी तरफ पहाड़ है बीच बीच में लम्बी पट्टी में हरिद्वार है। हरिद्वार डैवलपमेंट कोआरडीनेशन कमेटी के तत्वावधान में सरकार की देख रेख में हर-की-पौड़ी के निकट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। परम्परा यह रही है कि सरकार सारा खर्चा नगरपालिकाओं के ऊपर लाद देती है, अनुदान नहीं देती। हमारी नगरपालिका का एक करोड़ से अधिक का खर्च है सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विषतम स्थिति को देखते हुये लगभग एक करोड़ रुपया का अनुदान हरिद्वार नगरपालिका को देने की कृपा करे।

एक भयंकर समस्या की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब तक हमारे यहां मेला रहता है उन तीन चार महीनों में जो यात्रीकर से आमदनी होती है उसे सरकार ले लेती है। नगरपालिका को एक रुपया पर हैड जो मिलता है वह तीन चार महीनों में नहीं मिलता। इसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी सरकार करे जैसा इलाहाबाद महापालिका के लिए अद्ध कुम्भ में सरकार किया करती है।

एक और भयंकर समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बीस साल पहले वहां पर एक वाटर टैंक बना था। म्युनिसिपैलटी ने 6 लाख रुपये खर्च किये थे। वह विषय कई बार कमेटी में भी आ चुका है। जल निगम की प्रगति वहां पर बहुत धीमी है। मेरा निवेदन है कि सरकार जल निगम को आदेश दे कि वहां पर कार्य द्रुतिगति से करे।

34 लाख रुपये जो जल निगम को नगरपालिका से मिले हैं उनसे चार कुंएं बनने हैं। दो साल हो गये हैं एक भी कुआं नहीं बन सका। कई बार कमेटी में जल निगम के अधिकारियों से कहा जा चुका है। जल निगम को इन कुओं को बनाने के लिये निदेश दिये जायं। हरद्वार के चारों ओर 10 किलोमीटर सड़क पर पेंटिंग करना है लेकिन सामान प्राप्त न होने के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है सरकार इस ओर ध्यान दें। इसी तरह से ज्वालापुर में 27 लाख रुपये से सीवर लाइन बिछनी थी जो इनकम्पलीट है। उसे नगरपालिका को हैंडओवर कर दिया गया। उसे कम्पलीट करना चाहिये। इसी तरह से भीमगोड़े पर नई सीवर

लाइन बिछनी थी लेकिन जलनिगम उसे पूरा नहीं कर रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे। अर्द्ध कुम्भ मेले के महत्व को देखते हुए सरकार इन समस्यायों पर विचार करे और इनको प्राथमिकता दे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव के विरोध करता हूं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सिविल बाजार, गोरखपुर को टाउन एरिया घोषित किया गया ताकि उसका विकास हो सके, सड़क बन सके, सफाई हो सके और शुद्ध स्वच्छ जल मिल सके तथा गन्दे पानी का निकास हो सके और जीवन स्तर ऊंचा हो सके। स्वायत्त शासन विभाग को वहां विकास करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन टाउन एरिया एक्ट विहीन है जिस प्रकार यह सरकार विवेकहीन है। 1914 म्युनिसिपल एक्ट की कुछ धाराओं को ले कर टाउन एरिया एक्ट बनाया गया है और उसके मुताबिक इसे चलाने की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन उस एक्ट में इस बात का प्राविधान नहीं है अगर एक्रोचमेन्ट सड़क पर होता हो तो उसे हटाने का चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई ड्रेन बन रही है कहीं कोई नागरिक रोक दे तो उसे अधिकार अधिकार नहीं है कि वह उसे ऐसा करने से रोक सके और उसका प्रासिक्यूशन कर सके। समिति का कार्य संचालन करने हेतु जब एक्ट नहीं है तो इसको तोड़ देना चाहिये। इसके अलावा टाउन एरिया की जो आबादी की जमीन जमींदार की है उसे नहीं तोड़ी गयी। अगर आबादी की जमींदारी को तोड़ कर गांव की जमीनों को ले कर टाउन एरिया सृजन होता है गांव समाज को दिया जाता है तो उनकी आमदनी बढ़ती लेकिन एसा नहीं किया गया हाट बाजार या क्रय-विक्रय की दुकानें आबादी जमींदार के अधिकार में आज भी हैं। अगर गांव समाज में वह अधिकार निहित होता तो जो रुपया गांव समाज को उनसे मिलता उससे टाउन एरिया का विकास होता, वहां का डेवलपमेंट होता। लिहाजा जमींदारी आबादी को तोड़ दिया जाय और जो भी दूकाने लगती हैं उनको किराया, तहबजारी कलेक्टर से आदेश मार्फत टाउन एरिया कमेटी वसूल करे और उस पैसे से वहां का डेवलपमेंट हो लेकिन ऐसा इस विवेकहीन सरकार ने नहीं किया। वहां पर न कहीं ड्रेनेज है और न शौचालय हैं। किसी भी हरिजन बस्ती में एक भी शौचालय नहीं है। कहा जाता है कि यह सरकार हरिजनों को प्रोत्साहित कर रही है, गांव की ओर जा रही है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आकाश निगम, पाताल निगम और भू निगम से निकल कर इसने जल निगम बना दिया। इस निगम के बनने के बाद किसी भी हरिजन बस्ती में पानी नहीं है। नगर क्षेत्रों में जो पखाने बने थे वे टूट गये हैं। तत्कालीन सरकार ने तो यह निर्णय लिया था कि हम गरीबी को हटायेंगे और इसी प्रलोभन में उन्होंने गरीबों को हटा दिया। उसी तरह से इस सरकार ने कहा कि हम कृषकों को बढ़ायेंगे लेकिन आज कृषक सजग हो गया है वह समझ गया है कि किसी एक्टी कृषक सरकार की नहीं चलेगी अगर उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे यह कहने का अधिकार मिला है। हम शासन में हैं इसलिए शासन का विरोध कर रहे हैं कि वह सजग हो। हमारे क्षेत्र की वाटर सप्लाई फेल हो गयी है, उसी बारे में बार-बार लिखा गया किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर कोई वाटर सप्लाई की नई स्कीम बनाई गई जो हैं भी उनका रख-रखाव ठीक

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

नहीं हो रहा है । उन योजनाओं के लिए अधिकारी—डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, सचिव विशेष सचिव भरती किये जायेंगे लेकिन सफाई मजदूर भर्ती नहीं किया गया जिस प्रकार सरकार ने ट्रिब्युनल में और चयन समिति में अधिकारियों को रखा है किन्तु छोटे कर्मचारियों को भरती नहीं किया है जिससे कि वास्तव में शासन को लाभ होता । साथ ही जो भी ग्रान्ट बस्ती को मिली है वह समय से रिलीज नहीं हुई है जब से ये महापालिकायें सुपरसीड हुई है बस्ती के परगनाधिकारी छोटे अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अब भाषण के लिये खड़े न हों । क्योंकि इसको तीन बजे समाप्त करना है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । हमारे यहां ड्रेनेज के लिये 47 सौ रुपये लोकल बाडीज में जमा किया गया था । शासन ने कहा कि वह विचाराधीन है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही वह पैसा वापस किया गया है । अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । इसके अलावा मैं यह लर्ज करूंगा कि आप टाउन एरिया एक्ट को दुरुस्त करें और उन टाउन एरियाओं को नगरपालिका (छटी) श्रेणी दें क्योंकि जो पैसा आप इन स्कीमों में खर्च करने जा रहे हैं उनसे टाउन एरिया वंचित हैं ।

बाबा राम अवार यादव (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं उस प्रयाग राज इलाहाबाद नगर से चुनकर आया हूं जो गंगा और जमुना के दोआब में बसा हुआ है । जो साफ सुथरा और सुन्दर दर्शनीय नगर था परन्तु जब से जल निगम की स्थापना हुई है नगर को नर्क बना दिया है । मैं सोचता था कि जल निगम की स्थापना हुई है कुछ अच्छे—अच्छे काम होंगे लेकिन जहां सारे कानपुर की गंदगी बहकर प्रयाग में आती है हमने सोचा था कि जल निगम के स्थापना से जो गंदा जल गंगा—जमुना में गिरता है उसे रोक कर कहीं बाहर फेंकने की व्यवस्था करेगा । मान्यवर, जिस तरह से सागर में मछली प्यासी रह जाती है वाली कहावत है । उसी तरह से हमारे नगर का हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जलपूर्ति की हालत जल निगम के द्वारा बहुत बदतर हो गयी है । जो ऋण सरकार से मिलता है वह इलाहाबाद नगर महापालिका के नाम दर्ज होते हैं । उसका दुरुपयोग जल निगम करता है । इलाहाबाद में 24 घन्टे जल वितरण की व्यवस्था थी आज वहां पर एक-एक आदमी पानी के लिए तरस रहा है । जहां पर दो नदियां हैं वहां की जनता आज प्यास से मर रही है । जल निगम का काम यह है कि वह 20 प्रतिशत महापालिका से खर्चा ले लेता है और उससे उसके अधिकारी मौज उड़ाते हैं, बड़े—बड़े बंगलों में रहते हैं, जीपों में पेट्रोल फूंकते हैं और ऐश करते हैं, मान्यवर, यह हालत है कि यह पाईप लाइन के ऊपर पाइप लाइन बिछाते चले जा रहे हैं मगर पानी का कहीं पता नहीं है । यह जो नलकूपों का खर्च निर्माण है और दो ढाई साल के बाद उसे नगर पालिका को स्थानान्तरित कर देते हैं । आप देखेंगे कि नलकूप बनने के साथ ही बिगड़ते जाते हैं । उनमें पानी ही नहीं आता है । इलाहाबाद

नगर महापालिका में 9 नलकूप जो बिलकुल नवनिर्मित हैं बेकार पड़े हैं। जहां यमुना में अथाह पानी है लेकिन वहां पर दो पम्प बेकार होने के कारण जल पूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इलाहाबाद की जनता सोचती थी कि जल निगम की स्थापना से इलाहाबाद का गन्दा पानी नैनी और फाफामऊ में ले जाकर गिरायेगा और प्रयाग नगर में गंगा यमुना में स्नान के लिए जो लोग बाहर से आते हैं उनको पवित्र गंगा में स्नान करने का मौका मिलेगा लेकिन उसका उलटा हुआ। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस जल निगम को खतम कर दिया जाय तो अच्छा होगा। जैसा कि हमारे अन्य सदस्यों ने बताया इससे पीलिया रोग और अन्य संक्रामक बीमारियां हो रही हैं।

मलिन बस्तियों के लिए जो धन दिया गया है वह तीन-चार साल से वैसे ही पड़ा हुआ है जब भी प्रशासन से कहा जाता है वह कहते हैं कि गुजरात से पाइप मंगाये हैं फलां जगह से फला चीज मंगाई है इस तरह से टालते जा रहे हैं और मलिन बस्तियों में कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा क्षेत्र ऐसा है कि इत्तफाक से उसमें शहर और गांव दोनों हैं जहां पर हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग निवास करते हैं। मलिन बस्तियों का सुधार तत्काल कराया जावे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

बाबा राम अधार यादव--

मैं कभी नहीं बोलता हूं इसलिए आज मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष --

इसीलिए मैंने आपको आज समय दिया है।

बाबा राम अधार यादव--

यही हालत सफाई की है, सेनटरी इंसपेक्टर आदि कर्मचारी जो 12, 12 और 14, 14 साल से इलाहाबाद में पड़े थे उनका दो तीन महीने के लिए ट्रांसफर हुआ और फिर वह वहीं आ गये हैं। इससे वहां की सफाई व्यवस्था खराब हो गई है।

आप देखेंगे कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको दोनों समय काम करना चाहिये। मगर बेचारे काम कहां से करेंगे, उनकी तनख्वाह सेनेटरी इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी खा जाते हैं तो वह किस तरह से काम करेंगे। साथ ही वह फर्जी मस्टर रोल बना कर पैसा खा जाते हैं 1969 से नगर पालिका डिजाल्व कर दी गई है। मैं सन 1959 से महापालिक का सदस्य रहा हूं। आपने जो 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदाताओं की उम्र की है वह बहुत अच्छा किया है जिसके लिए मंत्री बधाई के पात्र हैं वही इन अधिकारियों को ठीक करेंगे इसलिए आप जल्द से जल्द स्थानीय निकायों के चुनाव करायें जिससे नौजवान आ सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) अब समय नहीं है। तीन बजे तक इसे समाप्त करना है। 5-6 मिनट कटौती के प्रस्ताव वाले सदस्य बोलने के लिए लेंगे और फिर मंत्री जी भी थोड़ा समय लेंगे ...

श्री मोती राम (जिला कानपुर नगर)--

मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं ...

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

दो दो मिनट दे दीजिये... ।

श्री उपाध्यक्ष--

शफीकुर्र रहमान जी मेहरबानी करिये। आप लिख कर भेज दीजिये मोती राम जी क्योंकि आज समय की पाबंदी है आप लोगों को राज्यपाल महोदय के यहां चलना है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूं इधर और उधर के माननीय सदस्यों का जिन्होंने कमोवेश, जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था और जो विभाग की कमियां गिनाई थीं, उन सभी का समर्थन किया। यह बात दूसरी है कि औपचारिकतावश दुखी मन से उन्होंने अनुदान का समर्थन किया हो। लेकिन सभी ने एक स्वर मे पेयजल की समस्या के बारे में विचार रखें और जल निगम के बारे में अपनी समस्याएं रखीं और यह कहा कि जितनी जल्दी इस निगम को समाप्त किया जाए उतना अच्छा है। निगम ने 31 मार्च, 1979 को, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले करोड़ों रुपये का समान खरीद कर डाल दिया है, जिसकी चोरी हो रही है।

दूसरी शिकायत सदस्यों ने गंदगी के बारे में की है। कानपुर में पीलिया रोग फैल रहा है और सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि पानी के टैंक में कई दिन तक एक लाश तैरती रही अधिकारियों का उसका कोई ज्ञान नहीं था। और जनता वही पानी पीती रही तो ऐसी अज्ञानवस्था और अधिकारियों की उदासीनता से नागरिकों की क्या दशा होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आगरा एक पर्यटक स्थल है, किन्तु वहां जो बड़े-बड़े नाले हैं और नगर के बीच से बहते हैं। आप उनके सफाई की व्यवस्था करा दें। वहां के बड़े-बड़े होटलों और फाइव स्टार होटलों मुगल, मयूर और होलीडे इन आदि का गंदा मल-मूत्र ताजगंज में खुले नाले में डाल दिया जाता है। वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य पर उसका इतना बुरा असर पड़ रहा है जिसका कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा बहुत से साथियों ने बताया कि महापालिकाओं में डाइरेक्ट और अवैधानिक तरीके से एप्वाइमेंट हो रहे हैं। उसमें मंत्री का ही नहीं यहां से निदेशक वगैरह का भी हाथ है। आगरा में वाटर सुपरिनटेन्डेन्ट कम पाईप लाईन इंस्पेक्टर की कुछ जगहें खाली हुई, चयन समिति द्वारा चुनाव हुआ और उसके फलस्वरूप 6 आदमियों को चुना गया, जिसमें से 5 आदमियों को रख लिया गया और जब छठवें आदमी को रखने का नम्बर आया तो यहां से निदेशक ने कह दिया कि एक दूसरे आदमी को उसके स्थान पर नियुक्त कर लिया जाए। वह अवैधानिक रूप से रखा हुआ यह आदमी पहले शमशाबाद जलसंस्थान में काम करता था और धारा 409 के अन्तर्गत

दोषी होने पर उसे नौकरी से हटा दिया गया था, उसने गबन किया था किन्तु यहां के अधिकारियों ने वहां के ऐडमिस्ट्रेटर को उसको रखने का आदेश दिया कि उसको रख लिया जाए । एक वर्ष के लिए उसका एप्वाइमेंट अस्थायी रूप से किया गया था, लेकिन आजतक वह काम कर रहा है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप सी० आई० डी० से जांच करवा लें कि कौन दोषी है और उस गलत आदमी को हटा दिया जाए, जिससे सही आदमी को न्याय मिल सके और उसे नौकरी मिल सके । वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं । वह प्रशासक कम नेता ज्यादा हैं । सारे दिन नेतागीरी करते हैं सब काम और आर्डर देने का काम छोटे लोगों पर डाल दिया जाता है और वह जिम्मेदारियों से साफ बचे रहते हैं आप उनको वहां से हटाएं । माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वह उन मंत्री जी को जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, कटौती में प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सदस्यों की राय से अवगत करा दें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि चूंकि सबकी भावना एक सी है, अतः मेरे कटौती के प्रस्ताव को पारित किया जाये ।

श्री क्रान्ति कुमार--

मान्यवर, मैं सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि इन मांगों पर बोलते हुए, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रखे । माननीय डाक्टर कौशल ने कुछ बातें कही जिनको सुन कर ताज्जुब हुआ । उस प्रकार की भाषा की आशा मैं डाक्टर साहब से नहीं करता था । उन्होंने बहुत गंभीर आरोप कुछ भूतपूर्व माननीय मंत्री पर लगाये जबकि वह सदन से जा चुके थे । मुझे तकलीफ हुई कम से कम ...

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैंने कहा था कि बैठ करके सुनें । उनका सुनना जरूरी था कि बैठे और सुनें ।

श्री क्रान्ति कुमार--

मैं फिर नम्र निवेदन करूंगा कि और बहुत से फोरम हैं । अगर आप बिलकुल निश्चित हैं कि माननीय मंत्री ने इस प्रकार का कार्य किया है तो दूसरा फोरम है । और लोग करें तो करें मैं आपसे आशा नहीं करता था ।

डाक्टर साहब ने बहुत सी कमियों की ओर, आगरा की खास तौर से, ध्यान आकर्षित किया । मान्यवर, उन सब बातों के ऊपर पुनः विचार कर लिया जायगा। जिन तथ्यों की ओर डाक्टर कौशल ने कहा है उनके ऊपर अवश्य विचार होगा । मुझे विश्वास है कि उससे उन्हें तसल्ली जरूर होगी । खास कर उनकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूं, उन्होंने जानना चाहा कि कितनी नयी टाउन एरिया बनायी गयीं । मैं सूचना देना चाहता हूं कि 1978 में 29 टाउन एरिया और एक नोटीफाइड एरिया का गठन किया गया ।

हड़ताल का जिक्र आया । आगरे की हड़ताल का जिक्र आया । वह जानकारी करेंगे । सूचना ऐसी आयी है कि शायद वहां की हड़ताल वापस हो गयी है । ला ऐंड लार्डर से सम्बन्धित मसला था । इतनी सूचना मुझे मिली।

[श्री क्रान्ति कुमार

पिछली हड़तालों में जो एम्प्लाइज हटाये या निलम्बित किये गये, शासन का निश्चित मत है कि सब को बहाल कर दिया जाय। सब जगह निर्देश दे दिए गए हैं। अगर किसी माननीय सदस्य के पास ऐसी सूचना है कि फलां व्यक्ति सस्पेंड या डिस्मिस कर दिया गया, अभी तक कार्यवाही नहीं हुई तो शासन उस पर जरूर विचार करेगा।

श्री बाबूराम जी ने कानपुर में मस्टर रोल की शिकायत की है। काफी गम्भीर आरोप हैं और खास तौर से कवाल टाउन्स के ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत काफी गंभीर आरोप कुछ माननीय सदस्यों ने लगाये हैं। मैं व्यवस्था कराऊंगा कि किस प्रकार उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे। जो कवाल टाउन्स या म्युनिसिपल बोर्डस हैं, यह स्वायतशासी संस्थायें हैं, सफाई करने की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी है। शासन मदद करता है, कुछ उनकी मदद करता है कुछ उनकी नौकरियों में कुछ शेयर करता है। लेकिन पूर्णरूप से यह जिम्मेदारी उनकी है। इसी प्रकार जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका 50 परसेन्ट इस काम के लिए सैलरीज आदि में लगाना चाहिए।

जहां तक जल निगम का सवाल है, यह वास्तव में दुख का विषय है कि करीब-करीब सभी साहबान ने चाहे इधर के हों या उधर के बड़े गम्भीर आरोप लगाये हैं। मैं खुद यह महसूस करता हूं कि कुछ सख्त कदम उठाये जाने चाहिये कि किस प्रकार हम इसमें सुधार ला सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि शीघ्र ही माननीय सदस्य जिन्होंने वह सुझाव दिये हैं, और जो इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहते हैं उनको बैठक कर, बुला कर बात करें, कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जायगी कि किस प्रकार से क्या तरकीब की जाय, क्या रास्ता निकाला जाय जिससे उनका वर्किंग ठीक हो। जितना पैसा लग रहा है, उसका उनको फायदा पहुंच रहा है या नहीं उसको विचार कर मैं शीघ्र ही इस प्रकार की व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वह अपने कुछ खास सुझाव दें जिससे उनके माध्यम से कोई रास्ता निकल सके।

वैद्य जी बोलते वक्त कहा कि शौचालय में कितना अनुदान दिया जायगा। मैंने शुरू में बतलाया कि इतना रुपय का प्राविधान है, कवाल टाउन्स में लगायेंगे, इतना पैसा अनुदान और इतना ऋण में देंगे।

शर्मा जी ने हरिद्वार के सम्बन्ध में काफी बातें कहीं। उसके सम्बन्ध में जहां तक मल की व्यवस्था का सवाल है सरकार उसकी ओर पूरी कोशिश कर रही है। और जहां तक वहां की म्युनिसिपैलटी की आर्थिक स्थिति का सवाल है उस पर विचार विमर्श किया जायगा और हर सम्भव पूरी कोशिश की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं डाक्टर कौशल से निवेदन करूंगा कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 9 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9- स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,85,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85-स्वायत्त शासन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 113 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 113 स्वायत्त शासन विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,83,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1979–80 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 66––वन विभाग, अनुदान संख्या 104––वन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 119––वन विभाग––ऋण और अग्रिम

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66––वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,08,76,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 104––वन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि से अतिरिक्त 21,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एवं माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 119––वन विभाग––ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आज का हमारा यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु हम को केवल इस विषय पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय मिला है । इसलिए मेरी कोशिश यह होगी कि बहुत ही संक्षेप में मैं कुछ मुख्य–मुख्य बातें आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष रक्खूं । मैं आशा करता हूं हमने जो लिट्रेचर विभाग द्वारा बंटवाया है, वह माननीय सदस्यों को मिल गया होगा और इस विषय पर उनको काफी जानकारी भी प्राप्त हो गयी होगी ।

हम सब जानते हैं कि वन हमारे जीवन में बहुत सी अहमियत रखते हैं । वन सदियों से हजारों सालों से हमारी तहजीब और संस्कृति में बचे बसे हैं । वनों से ही हमारे देश और प्रदेश में (ecological balance) (इकालजिकल बैलेन्स) रहता है । यह जमीनों के कटान को रोकता है, इनमें पेड़ों के होने से बारिश होती है, इसके अतिरिक्त प्रदेश में बाढ़ आदि रोकने में भी हमें सफलता और सहयोग मिलता है । मान्यवर, तवारीख बतती है कि पेड़ों का अनावश्यक ढंग से कटान किया गया और पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया । हमारे देश में भी जहां हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो हरे–भरे लहलहाते मैदान थे, जहां के पेड़ कटे गये थे, काफी जगहें ऐसी हैं जो आज रेगिस्तान में तब्दील हो गये हैं इसलिए आवश्यकता है कि वनों की रक्षा की जाय । कुछ काम हम अपने लिए करते हैं और कुछ आने वाली पीढ़ी और नस्लों के लिए करते हैं । वनीकरण की कार्य हम केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लिए करते हैं । अगर पेड़ों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं तो सामाजिक अपराध ही नहीं कर रहे हैं बल्कि यह अपराध

उन लोगों के लिए भी कर रहें हैं जो इस समय हमारे सामने मौजूद नहीं हैं। अतः इस बात की बहुत आवश्यकता है कि शासन वनों पर विशेष ध्यान दे।

अब मैं उन कार्यों के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जो हमारे विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं। इस वर्ष लगभग 10,000 हैक्टेयर भूमि पर संरक्षण कार्य किया जायेगा। हिमालय में इसके अतिरिक्त 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर हम यह भूमि संरक्षण का काम कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ नयी योजनाय भी हमारे सामने हैं जो वनों से सम्बन्धित हैं। वनों में कार्यरत मजदूरों--मुख्तय टोंगिया काश्तकारों की आवास, पीने के पानी, चिकित्सा तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान करने के निस्बत हैं। हम कोई काम नहीं करते हैं जिससे लाभ ही केवल हमारा उद्देश्य हो। हम अपने छोटे कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की सुविधायें देने जा रहे हैं। इस पर कुल 14.5 लाख रुपया खर्च होने की आशा है। मान्यवर, हमारी जो आवश्यकतायें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और जो उद्योग धंधे खुलते जा रहे हैं उसके लिये हमने कुछ नये रास्तों की तलाश की है ताकि हमें लकड़ी मिलती रहे। वनों में ऐसे पेड़ लगाये जाने की योजना है जो जल्दी उगने वाले पेड़ हैं। प्लाई वुड तथा दियासलाई उद्योगों की बढ़ती हुई कच्च माल की मांग को पूरा करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि पापलर वृक्षारोपण लगाकर इसे पूरा किया जाये।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह--

पापलर के जगह हिन्दी का कोई शब्द नहीं है।

श्री काजी मोहम्मद मुहीउद्दीन--

मेरा नाम अरबी में है, सारा काम हिन्दी में नहीं हो सकता।

नैनीताल जिले में तराई क्षेत्र में 250 हेक्टर क्षेत्र में प्रतिवर्ष पापलर के पेड़ लगाने की योजना है। इस पर काम हो रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)--

यह अरबी भाषा की बात करते हैं, डा० लोहिया कहा करते थे कि उर्दू भाषा हिन्दी की छोटी बहिन है, लेकिन यह अरबी कहां से आ गयी, उसको तो हम मानेंगे नहीं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से टोकना ठीक नहीं है, आप कृपया बैठें।

श्री काजी मोहम्मद मुहीउद्दीन--

मान्यवर, लम्बे रेशे की लुगदी बनाने के लिये भी हमको लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में इसके लिये भी पेड़ लगाने की योजना है। चीड़ के पेड़ पहाड़ी इलाकों में 5 हजार फीट की ऊंचाई पर सफल हो सकते हैं, अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में हम इन्हें लगाकर सफलता प्राप्त कर लेंगे।

मान्यवर, सबसे अहम सवाल हमारे सामने वनों की सुरक्षा का है। इसके लिये माननीय सदस्यों ने पिछली बार कुछ सुझाव भी दिये थे और इस बात पर बल दिया था कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाये। इनकी सुरक्षा के लिये पिछले साल तक 5 पुलिस विभाग के सचल सशस्त्र दल थे, अब इनकी संख्या बढ़ा दी गयी है। इस वर्ष 7 नये सचल सशस्त्र दस्ते और बनाने का प्रस्ताव है। इन दलों की तैनाती से विभाग के कर्मचारियों को वन सम्पदा की सुरक्षा ठीक तरह से करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त वन प्रबन्ध के सघनीकरण के उद्देश्य से विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के चार्जेज को छोटा करने का प्रस्ताव है। 1979-80 में 8 सब डिवीजन, 25 रेंजेस तथा 200 बीटों की अतिरिक्त स्वीकृति दी जायेगी।

इसके अलावा मान्यवर, जंगली जानवरों की सुरक्षा पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं।

हमारे पास काफी विधायकों की चिट्ठी आती है जिसमें हरिजनों के लिये भूमि की मांग की जाती है। कभी संस्थाओं के लिये तो इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नेशनल पालिसी यह है कि 33 प्रतिशत हमारे यहां वन होना चाहिए। लेकिन खेद की बात यह है कि हमारे पास केवल इस समय लगभग 17 प्रतिशत वन हैं। तो इसको घटाना किसी भी आवश्यकता के लिए जब कि वह अनिवार्य न हो, तो मुनासिब नहीं है। आपके माध्यम से मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके आने वाली पीढ़ियों के लिए वन महफूज रखने में हमको सहयोग दें। मान्यवर, जनता सरकार का यह नारा था कि गांव की ओर चलो। मैं बड़े हर्ष और खुशी के साथ यह बात कहता हूं कि वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि इस नारे को निभाया जाय और गांव की ओर बढ़ने में सहयोग मिले। चुनांचे सामाजिक वानिकी एक स्कीम चल रही है, मुझे खुशी है कि इसमें बड़ी सफलता मिल रही है। वर्ल्ड बैंक ने 40 करोड़ की योजना इस हेतु हेतु स्वीकार करली है और सहायता देने का वायदा किया है और मुझको उम्मीद है कि वह मिल जायगी। मान्यवर, यह सामाजिक वनिकी के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायतों की भूमि है, उस पर पेड़ लगाये जायेंगे, सड़कों पर पेड़ लगाये जायेंगे। लेकिन पेड़ों के लगाने का उद्देश्य यह होगा कि जो गांव में बेरोजगारी है, जो गांवों में बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए हमने यह भी स्कीम बनाई है कि रियायती रेट पर उनको लकड़ी, चारे आदि दिये जायं। यह बहुत ही लाभदायक है। केवल पैसे के लिए, बिजनेस के लिए यह स्कीम नहीं चलाई जा रही है। यह लोगों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही है। हमको आशा है कि यह बहुत जल्द ही फल देना शुरू कर देंगे। पहले साल में, दूसरे साल में तीसरे साल में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो

जायगा । कुछ ऐसे पेड़ लगाये जायेंगे जिसमें रेशम के कीड़े पाले जायं । तो यह बहुत ही लाभदायक स्कीम है और 4,600 हेक्टेयर पर हम इसको करेंगे । इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे 83 हजार किलो मीटर पर पेड़ इसी स्कीम के अधीन लगाये जायेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारे सामने कुछ और समस्यायें भी हैं, जो बहुत दिनों से इन्तजार कर रही थीं कि उनको सुलझाया जाय, खानाबदोश, गूजरों की एक समस्या बहुत पुरानी समस्या है । माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने उसको सुलझाने की कोशिश की थी । हमने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है कि वह जो गूजर सैकड़ों सालों से बन में रहते हैं, और कहीं के बाशिन्दे कहला सकते हैं और न ही वह वोटर इस देश के कहे जा सकते हैं । तो इस समस्या को सामने रखते हुए, इस समस्या को हल कर दिया जाय, इसके लिए हम एक समिति का गठन करने जा रहे हैं, माननीय तेज सिंह की अध्यक्षता में जो कि भूतपूर्व मन्त्री तथा इस सदन के विधायक भी हैं और तीन महीने के अन्दर वह समिति रिपोर्ट भी दे देगी । ऐसा प्रस्ताव किया है मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी कुछ और समय लेंगे आप ?

श्री काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन––

1 मिनट और लूंगा । एक ट्रेनिंग कालेज हल्द्वानी में खोला है । यह पहला ट्रेनिंग कालेज है, जो चल रहा है, और उसमें बड़ी सफलता मिल रही है । इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही ट्रेनिंग ले रहे हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं । सड़कों के बनाने की योजना है और इस साल अभी काफी सड़कें बनाने जा रहे हैं । यह सब काम नितान्त आवश्यक हैं और आशा करता हूं कि सदन इस जरूरत को महसूस करेगा और सहयोग देगा इसके अतिरिक्त मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कीमती मशवरे सदस्य देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको अमल में लाया जा सके ।

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)––

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66––वन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104––वन विभाग पूंजीगत– परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्याम नारायण तिवारी]

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 119 वन विभाग ऋण और अग्रिम की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कटौती करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कोई वास्तविक, वस्तु घनिष्ठ और वैज्ञानिक वन नीति नहीं है। वह पुरानी अंग्रेजों के ढर्रे पर चली आ रही है। हमारे जन-जीवन के लिए वनों का क्या महत्व है इसके लिए जितना कहा जाये कम है। वायु मण्डल की शुद्धता के लिए, भूरक्षण, स्थलों के बचाव के लिए, बाढ़, सूखे को देखते हुए वनों का बड़ा महत्व है। आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है। कागज, दियासलाई, से कच्चे माल के अलावा मनोहर दृश्य उपस्थित करने में ये वन सहायक हैं। इसके साथ-साथ दवा दारू, बेंच, शहद, मोम आदि प्राप्त होता है। रेलवे स्लीपर, कृषि के उपकरण, ईंधन, पशु-चारा आदि हम को वनों से प्राप्त होता है। भूखण्ड, वनों से आच्छादित होना चाहिए और जो लिटरेचर मिला है इसमें यह दृष्य है कि हमारा एक तिहाई हिस्सा भूखण्ड का, जंगलों का होना चाहिए लेकिन खेद की बात है कि 17.24 परसेंट वन सिर्फ हमारे प्रदेश में है। मान्यवर, वनों का वितरण भी सम नहीं है, विषम है। 60 परसेंट वन पहाड़ी क्षेत्रों में और 20 परसेंट वन मैदानी क्षेत्रों में होने चाहिये। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में 7.02 परसेंट वन हैं और कहीं-कहीं तो 2 परसेंट से भी कम है और कहीं-कहीं वन बिल्कुल नदारद हैं। अगर इन 31 वर्षों के दौरान हमारी कोई नीति वास्तविक होती तो विषम स्थिति हमारे सामने न आती और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति पहले ही कर चुके होते। बहुत बड़े हिस्से में मैदानी क्षेत्र में जहां जंगलों की जरूरत थी और जहां हम जंगल लगा सकते थे और प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में वन नहीं लग पाये हैं। यह हमारी नीति की असफलता है। आप देखेंगे कि वनों के भूमि संरक्षण के लिये 989.25 लाख रु० के आयोजनागत परिव्यय का प्राविधान है। केन्द्र द्वारा पुरीनिधानित जिसमें 50 प्रतिशत राज्य का अंश भी है उसमें 215.35 लाख रुपये का प्राविधान है। इस तरह से अगर आप देखें तो यह कम है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वनों की योजनायें जिसमें अधिक और औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण है उसके अन्तर्गत आप देखें कि 78-79 में अनुमानित मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कुल 72 लाख का प्राविधान था और वर्ष 79-80 में जो प्रस्तावित है उसमें 79 लाख रुपये का प्राविधान है। इस तरह से कोई इसमें इजाफा नहीं है। यह धनराशि उतनी ही है जितनी पिछले साल थी इससे यह उम्मीद की जाय कि बहुत बड़ा सुधा होगा वह संभव नहीं है। इसी तरह से शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने उल्लेख किया है। जो आंकड़े हैं उसमें यह है कि वर्ष 1978-79 में अनुमानित मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कुल रुपया 129.67 लाख था। वर्ष 1979-80 में जो प्रस्तावना है वह 103.47 है। आप अनुमान कर सकते हैं कि किस तरह से इन स्कीमों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, ईंधन एवं कृषि वानिकी के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं उनसे पता लगता है कि 78-79 में जो अनुमानित परिव्यय था वह 10.53 लाख रुपये का था। अब 79-80 में जो प्रस्तावना है वह 12 लाख रुपये की है। तो श्रीमन, अगर

आप आंकड़ों पर जायं तो लगता है कि इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसी तरीके से यह सरकार पुराने कदमों पर धीरे-धीरे चलती जा रही है। वनों के बारे में मान्यवर, आप भी जानते हैं सभी लोग जानते हैं, मंत्री जी ने वनों के सम्बन्ध में चर्चा की है आने वाली पीढ़ी के लिये की है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है लेकिन आंकड़ों और बजट से परिलक्षित होता है कि करना क्या है। उस सम्बन्ध में आगे निवेदन करूंगा। लेकिन इन आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह ढर्रा बिलकुल पुराना है।

मान्यवर, वन से हमारे रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। इसका महत्व भी बहुत है। इसलिये होना यह चाहिये कि हमें इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हों उपभोक्ताओं को ईधन, सस्ती लकड़ी तथा दूसरी चीज प्राप्त हों। लेकिन अभी तक यह काम तो नहीं हो सका है किन्तु चाहे जो सरकार रही हो वह एक काम में सफल रही है कि बड़े-बड़े ठेकेदार वन से मालोमाल हो गये और हर वर्ष करोड़ों रुपये कमाये जिससे हमारी रेवेन्यू का घाटा हुआ। यदि वह पैसा ठेकेदारों को न देकर अपने पास रखते तो उससे अपने देश और प्रदेश की प्रगति होती। दूसरे छोटे कर्मचारी जो हैं उनको हम उचित वेतन दे सकते थे और तीसरे लोगों को रोजगार देते तथा उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर ईधन और लकड़ी तथा दूसरी चीजें देते। लेकिन सिर्फ हम ठेकेदारों के हितों के लिये यह काम किया है और अब भी वही हो रही है। मान्यवर, जितनी चीजों का मंत्री जी ने उल्लेख किया है वह ऊपरी तौर पर हैं और वास्तव में हमारे प्रदेश के वनों का जो रस है वह बड़े-बड़े ठेकेदार और अधिकारी चूस कर मालोमाल हो रहे हैं जिसको सभी जानते हैं। इन अधिकारियों और ठेकेदारों का एक गुट है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वह काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह बन्द भी नहीं होगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आप लोग लड़ते हैं, तो उसका पैसा ठेकेदार लोग देते हैं। इसलिये मंत्री जी आप ठेकेदार के हितों में यह न करके दूसरों के हितों में क्यों करेंगे।

मान्यवर, वन लगाने वाली जो छोटी इकाइयां हैं उनके सम्बन्ध में मंत्री जी ने चर्चा किया है। 4 लाख रुपये की। तो जो मजदूर जंगलों को लगाते हैं, मेहनत करके, खून पसीना एक करके काम करते हैं लेकिन उनकी जो दुर्दशा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज भी वहां सामन्तवादी प्रथा का बोलबाला है। सबसे बड़ी इन मजदूरों की तादाद गोरखपुर डिवीजन में है जहां टांगिया काश्तकार रहते हैं। वहां खुरमपुर में पानी नहीं है जिससे इन लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। हाथ के नल खराब हो गये हैं। इस सम्बन्ध में गोरखपुर के डी० एफ० ओ० से बात हुई...। उन्होंने जब अपने सब कागज निकाले तो पता लगा कि इस पर इतना खर्च हुआ, इन पर इतना खर्च हुआ, सबका भुगतान हो गया। बाद में पता चला कि इसके लिए किसानों ने चन्दा लगाया था और पैसा सरकार का दे दिया गया। उनके लिए निवास की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी जमीन के बंटवारे में भी खिलवाड़ किया जाता है। जितनी जमीन उनको कागज में दी जाती है, पैमाइश के अनुसार उतनी जमीन उनको नहीं मिलती है। इस जमीन में भी रेंज आफिसर और कुछ अधिकारी बेइमानी करते हैं। उनकी झोपड़ी के लिए जो लकड़ी मिलती है उसमें भी गड़बड़ होती है। एक बात और कहना चाहूंगा। आपके जो कर्मचारी हैं, ठूठ लिपिक, वे 20-20, 30-30 साल से

[श्री श्याम नारायण तिवारी]

काम कर रहे हैं आपके विभाग में, उनकी ओर बार-बार शासन का ध्यान आकर्षित किया गया, वे संगठन बनाना चाहते हैं, उनको रजिट्रेशन नहीं मिलता है। वे रोजाना मजदूरी पाने वाले मजदूर माने जाते हैं। वे हथौड़ा लेकर जंगलों में विकट परिस्थिति में काम करते हैं, पेड़ों पर कांच लगाते हैं, देखभाल करते हैं और सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वे 170 रु० प्रतिमाह वेतन पाते हैं। जब चाहें तब उनको निकाल दिया जाता है। सीजन में काम देते हैं, सीजन में भी कभी एक महीने, कभी दो महीने काम मिलता है। पुराने लोगों की प्रोन्नति की बात की गई है लेकिन उसमें भी जो अधिकारियों के रिश्तेदार, भाई-भतीजे होते हैं, उनको ही अवसर दिया जाता है। एक बात और कहूंगा। वन निगम की स्थापना सन् 1974 में हुई। यह जो पुस्तिका मिली है, इसको देखें तो उसका लक्ष्य था कि ठेकेदारों को बीच हटाया जाना, श्रमिकों के संगठनों का संगठन करना, और बहुत से उपयोगी काम हैं। लेकिन हुआ यह कि वन निगम ने भी ठेकेदारों की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। उम्मीद यह थी कि वन निगम बनेगा और यह अपना विस्तार करके पूरा काम अपने हाथ में ले लेगा, बड़े ठेकेदारों को खत्म करेगा, उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सामान उपलब्ध कराएगा, रेवेन्यू की प्राप्ति करेगा जिससे हमारे प्रदेश का नवनिर्माण हो सके। लेकिन पिछले वन मंत्री जी का भाषण आप देखें, उसमें कहा गया कि पुराने कामों को ही लिया गया है इस निगम द्वारा नये कामों को लेने की इसमें गुन्जाइश नहीं है। मेरा कहना यह है कि वह निगम जो अच्छा काम कर सकता था, वह भी नहीं कर रहा है। पिछली बार भी जंगल साफ कराये गये थे और बड़े-बड़े लोग उस जमीन को हड़प कर बैठ गये। इसमें 3 मांग की थी नेगी जी ने फलों की पट्टियां गांवों के नजदीक हों, हरी घास वाले वृक्ष लगाये जायं और दूर वनों का वृक्षारोपण हो, वनों का विकास हो। इस प्रकार यह तीन सूत्री कार्यक्रम है। हम कभी नहीं चाहते कि पुराने वृक्ष टूट कर गिर, काटे जायं। नये वृक्षों का वृक्षारोपण हो। लीसा के लिए जो घाव लगाये जायं उसमें शोषण न हो, उसमें बेईमानी न हो। मेरा निवेदन है कि इस तरह से एक वास्तविक जनोपयोगी वन नीति का निर्माण होना परमावश्यक है।

एक बात और कहना चाहूंगा। साखू के बीज से कई काम हो रहे हैं। इससे तेल का निकाला जा रहा है। हमारे यहां एक बहुत बड़े उद्योगपति को ठेका दे दिया गया है। साखू का बीज वहां के कृषक लोग इकट्ठा करते हैं गरमियों में यह काम दो तीन वर्ष से वहां पर हो रहा है गोरखपुर में। वहां पर इसका कारखाना भी खड़ा कर दिया है। मेरा कहना यह है कि इसका एक आदमी को ठेका न देकर छोटे-छोटे लोगों के बीच इसके लिए प्रतियोगिता हो जो लोग बीज इकट्ठा करते हैं उनको यह ठेका मिलना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि बड़े-बड़े ठेकेदारों को हटाने के लिए सहकारी समितियों द्वारा ठेके का काम चलाया जाय जिससे लाभ हो सकता है और शोषण बन्द हो सकता है और एक जनोपयोगी, वास्तविक वन नीति बन सकती है।

अन्तिम बात मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि ठूठ लिपिकों का स्थानान्तरण दूर न किया जाय, इनको नियमित किया जाय। इस बात पर विचार किया जाय। टोंगियां काश्तकारों की स्थायी आवास बनाये जायं ताकि उनके बाल बच्चों की शादी हो सके, वे खानाबदोश न हों। इसके लिए 14 लाख रुपयों से कुछ नहीं होगा। शिक्षा की बात करते हैं। वे जंगली की स्थिति में हैं, कोई शिक्षा नहीं, कोई अस्पताल नहीं। एक बार जंगल में आग लग गयी थी एक आदमी जल गया था अस्पताल न होने के कारण उसे बीस किलोमीटर लाद कर अस्पताल में ले जाना पड़ा। मेरा कहना यह है कि स्थायी निवास के लिए और उनके

वेतन मान के बारे में भी कुछ प्राविधान किया जाय। पैसा आप ठेकेदारी प्रथा तोड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। करना आपको यह है कि अपने स्वार्थ को प्राथमिकता न दें, गरीब की बात को सोचें। मैं जनहित के इस मंच का इस्तेमाल करते हुये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो आप भी नहीं रहेंगे। वे तो रहेंगे, अपना काम पूरा करा ही लेंगे आप वहां नहीं रहेंगे, आप गम्भीरता से इस पर ध्यान दें।

मैं इन बातों के साथ चाहूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन आप करें। धन्यवाद।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत वन विभाग के बजट का समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन पिछले तीन वर्षों में जिस प्रकार से हमारे वनों का निर्मम शोषण और कटान किया गया उससे तमाम उन लोगों के मनों में हार्दिक पीड़ा हुई जो वनों के महत्व को समझते हैं। और खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र में जो हम लोग जो वनों के बीच और जंगलों के किनारे रहते हैं, हमारी वनों के साथ बड़ी आत्मीयता का सम्बन्ध है, पुश्तनी रिश्ता है उनको बड़ा दुख हुआ। जनता सरकार की वनों से सम्बन्धित जो नई नीति निर्धारित हुई है उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि दो वर्ष की अल्पावधि में वनों को पुनर्जीवन देने का काम आरम्भ हुआ है और गांव के पास भी जो वन उजड़ गये थे उनमें पंचायती वनों में नया जीवन दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के जमाने में जो वनों के सम्बन्ध में कामर्शियल पालिसी थी, वन बटते तथा बिकते जा रहे थे और उनके लिये कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था मंत्री जी ने आज उनके लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू किया है। कामर्शियल उपयोग तो उनका होगा ही लेकिन अब फौलिंग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। जंगलात विभाग ने पहाड़ी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां भी जंगलात है वहां पर अस्पताल, स्कूल तथा सड़कों के लिये बड़े पैमाने पर जमीन दी है और उनके प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाया है। कांग्रेस के जमान में वन विभाग का नारा था दुर्योधन का, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे उसमें अब परिवर्तन आया है। इसलिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लीसा उद्योग में पिछले दस वर्ष में चीड़ के वनों का दोहन होता था उसका अधिक भाग मैदानी इलाके में चला जाता था। टरपेनटाइन फैक्टरी बरेली, जो पूरे वर्ष चलती थी, अब केवल 6 मास चलती है और उसका कोटा कम करके पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को चलाने के लिये दे दिया गया है। उनको लीसा देने के लिये आदेशों का कड़ाई से पालन न किया गया हो यह दूसरी बात है। कुछ उद्योग बन्द पड़े हैं कच्चा माल न मिलने से लीसा के जंगलों में जो अन्धाधुन्ध घाव लगाये जाते थे, अब उस पर भी नियंत्रण किया गया है। 10 प्रतिशत घाव कम कर दिये गये हैं ताकि पेड़ दीर्घ जीवी हों। इस कारण भी हो सकता है लीसे के मिलने में कमी आ गयी हो लेकिन नीति में परिवर्तन हुआ है। यह एक शुभ लक्षण है। इसके अलावा जंगलात के किनारे बहुत से भूमिहीन ट्रैसपासेस थे जिनका शोषण होता था, जो खेती करते थे, जनता सरकार ने पहली बार यह फैसला लिया कि जितने भी ऐसे हरिजन किसान हैं जो सन 73 से जंगलात की भूमिका पर काबिज लिये है उनको नियमीकरण कर

[श्री राम दत्त जोशी]

दिया जाय, और उसमें यह जरूर रखा गया है कि नदी के किनारे जमीन पर जिनका कब्जा हो या वनों के बीच में जो बस गये हैं उनका नियमीकरण नहीं किया जायगा । लेकिन इसी सिद्धान्त के आधार पर जब यह मांग की गई कि फलां-फलां अमुक गांव जंगल के बीच में बसा हुआ है उस राजस्व भूमि को लेकर दूसरी वन भूमि दे दी जाय तो उसमें नखरे दिखाये जाते थे । पहली बार गढ़वाल जिले के दो गांव धारा तथा झेरना व नैनीताल जिले में लालढांक गांव जो जंगलों के बीच बसे हुए हैं उनको जमीन आबादी के नजदीक देने और उनको जमीन का वनीकरण करना मान लिया गया, अतएव वहां से उनका स्थानान्तरण करके उन्हें आबादी के समीप जमीन दे दी जाय। इसके लिये जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है । हमारे क्षेत्र में ढेला नदी के किनारे 10 गांवों में हरिजनों की जमीन है । पिछली बाढ़ में नदी के दोनों किनारे की जमीन रेत से भर गयी । किसान मारे-मारे फिर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि नदी के किनारे की जमीन का वनीकरण किया जाना उचित होगा । लिहाजा नदी के किनारे की राजस्व भूमि को आप ले लीजिये और हरिजनों को अन्यत्र बसाइये । वह मामला शासन के विचाराधीन है लेकिन उदारता से कम नहीं लिया जा रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि इस सिद्धान्त को लागू करते हुये सरकार काम करें । वन विभाग के अधिकारियों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और जनता के प्रति आत्मीयता जागृत की भावना करनी होगी । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—

मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उन पर वे विशेष ध्यान देंगे और विचार करेंगे । मान्यवर, जंगल में केवल लकड़ी ही नहीं है बल्कि जंगल की शोभा वहां के जानवर भी हैं । जब तक जंगली जानवरों का संरक्षण उचित प्रकार से नहीं किया जायेगा उनके लिये ठीक से व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक वन की शोभा नहीं है । मेरे क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क के नाम से पिछले वर्ष फरवरी में कायम किया गया था । दुधवा का नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका महत्व व्याप्त है । बहुत से लोग टूरिस्ट के रूप में दुधवा वन क्षेत्र में आते हैं और इसकी शोभा को देखकर विचार करते हैं कि जितना जनजीवन आवश्यक है उतना ही जंगली जानवरों का जंगल में महत्व है और उसको देखकर वे हर्षित होते हैं । वहां के जानवरों पर जो फिल्म रील बनी है उससे पता चलता है कि उनका कितना महत्व है । जंगल का महत्व खाली पेड़ों से ही नहीं है लेकिन इस महत्व की ओर सरकार का ध्यान नहीं है । पिछले वर्ष मैंने बजट के समय में कहा था कि इस पार्क के जितने सूखे पेड़ थे वे गिर गये हैं उनको नीलाम किया जाय और उन पेड़ों से जो आमदनी हो वह दुधवा नेशनल पार्क में लगा दी जाय किन्तु जो कमेटी बनी थी जिसमें वित्त सचिव, मुख्य सचिव तथा अन्य लोग भी थे उन्होंने निश्चय किया था कि उसका जो पैसा आयेगा उससे दुधवा नेशनल पार्क की बाउन्डरी कायम की जायेगी किन्तु वह पैसा रेवेन्यू में जमा कर दिया गया और फिर वित्त विभाग ने कहा कि वह पैसा नहीं दिया जा सकता है । बड़े अफसोस की बात है कि उसमें ये सभी लोग होते हुये भी वह पैसा उस पार्क में नहीं लगाया गया । 28 लाख रुपया उससे मिला था । इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार वह पैसा दे ताकि पार्क की उन्नति हो सके । उस पार्क से जो जानवर निकलते हैं वे लाखों रुपये की किसान की खेती को बरबाद कर देते हैं और हर वर्ष लाखों रुपये का नुकसान काश्तकारों का होता है । अगर किसानों के मन में यह भावना पैदा हो जायेगी कि जंगली जानवर हमारे जन जीवन को नष्ट कर देंगे तो यह ठीक नहीं

होगा । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि खेती को इन जंगली जानवरों से रक्षा की जाय । मान्यवर, आपने देखा है कि हमारे क्षेत्र के 30 आदमियों को बाघ खा गया । जंगल से वे निकले और लोगों को खा गया । इस सम्बन्ध में इस विधान सभा में प्रश्न भी हुये थे और आपने 5 हजार रुपया प्रति आदमी को उनके परिवार वालों को दिया था इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जिस आदमी को कोई जंगली जानवर खेत में या घर में जाकर मार देता है उसको 25 हजार रुपया कंपेंशेसन के रूप में दिया जाय । साथ ही अगर कोई जानवर किसी फार्म में किसी व्यक्ति पर हमला कर देता है तो उस बाघ को मारने का अधिकार होना चाहिये । जब तक डी0 एम0 उसको मारने का परमिट देता है तब तक वह और आदमियों को खा जाता है । मेरा सुझाव यह है कि जिस वक्त भी एक आदमी को बाघ खा जाय उसके तुरन्त ही मैनईटर घोषित कर दिया जाय और उसे मारने का प्रबन्ध किया जाय या फिर जो नई किस्म की आपने राईफल मंगाई है जिसकी गोली लगते ही वह बेहोश हो जाता है और फिर पकड़ कर उसे कहीं अजायबघर में रखें तो इससे उनका भी लाभ होगा और जनता को भी नुकसान नहीं होगा ।

वन विभाग की भूमि जैसा अभी हमारे भाईसाहब ने कहा 1973 में एक कानून पास हुआ था कि वन विभाग के किनारे–किनारे जो जमीन है उसको हरिजनों को जिन के पास तीन एकड़ से कम जमीन है उनको रेगुलराइज कर दिया जाय। परन्तु अभी तक हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी जगहें है जहां यह काम नहीं हुआ है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वित्त विभाग ने पैसा नहीं दिया है उसको कैबीनट मीटिंग में रखें । इसके साथ ही जो आप वनों का सुन्दरीकरण पार्क के रूप में कर रहे हैं वह आप अवश्य करें लेकिन जनता को भी विश्वास दिलायें कि उनका नुकसान नहीं होगा अन्यथा उनके मन में विपरीत भावना पैदा होगी और आपकी योजना उपयोगी नहीं हो पायेगी। इन शब्दों के साथ में मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब अपना कार्यभार लिया था तो उन्होंने वनों के संरक्षण और उनके संवर्द्धन का आश्वासन दिया था और कहा था कि जितनी शिकायतें अधूरी पड़ी हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, जब वन शब्द हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि वनों के अंदर पेड़ों का जिक्र है, जानवरों का जिक्र है, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं पर्वतीय क्षेत्र से वहां की जब समस्या आती है तो उसमें जड़ी–बूटी भी सम्मिलित है। इस पर भी हमें विचार करना होगा। केवल पेड़ों का विचार करने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि इससे पहले के जो वन मंत्री थे उन्होंने इसपर विचार नहीं किया लेकिन कुल मिला कर पैसों की भावना से वनों का शोषण हो रहा है। आप अकेले इसमें कुछ नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]

कर सकते जब तक कि आप भूमि संरक्षण विभाग से सहयोग नहीं लेंगे, जब तक कि आप पी० डब्लू डी० से सहयोग नहीं लेंगे, जब तक कि आप पर्यटन विभाग से सहयोग नहीं लेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

मान्यवर, अभी मैं मसूरी गया था, वहां पर खनन का काम हो रहा है और चूने का पत्थर निकाला जा रहा है जब मैंने उसके संबंध में पूछा तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के वन विभाग का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है सीधे केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर कई सौ मील तक बुरी तरह से खुदाई की जा रही है और जमीन का बुरी तरह से कटान हो रहा है। जब वन विभाग से कहा जाता है कि इसे क्यों नहीं रोकते हैं तो वह कहते हैं कि यह काम हमारे अंतर्गत नहीं आता है। इसका तो केन्द्र से आदेश मिलता है। इस प्रकार आज मसूरी के सारे वनों को खतरा है। आप सड़कों के दोनों तरफ सुन्दर पेड़ लगा रहे हैं, सुरम्य पेड़ लगा रहे हैं लेकिन वह किस काम के, खुदाई से लाखों टन मिट्टी चूने के लिए निकाली जा रही है और सारी धरती बरबाद होती जा रही है। हर साल उद्योग के नाम पर आप इकाई खड़ी कर रहे हैं उद्योग विभाग कहता है कि लीसा नहीं मिल रहा है और वन विभाग कहता है कि लीसा घट रहा है और लोग कहते हैं कि वन विभाग लीसा पी जाता है। तो उद्योग विभाग में और वन विभाग में कोई समन्वय नहीं है। मैं कहूंगा कि इस बात को वन विभाग और उद्योग विभाग मिल बैठ कर तय करें कि पहाड़ में कितनी फैक्टरियां चलाएंगे टरपेन्टाईन बनाने वाली। लोगों की शिकायत है कि जितने बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वे सब उस फैक्टरी की जेब में हैं, जिसके कारण तमाम छोटी-छोटी फैक्टरियां बंद हो रही हैं और बड़ी फैक्ट्री पैसा कमा रही है। तो इस समय पहाड़ों के अन्तर्गत छोटी-छोटी लीसा फैक्टरियां चल रही हैं, आप लीसा के वितरण का रेश्यो बनाएं, जिसमें सब के साथ समान व्यवहार हो। ६ महीने यदि बरेली की फैक्ट्री बन्द रहती है तो पहाड़ की और अन्य छोटी-छोटी फैक्ट्री भी ६ ही महीने बन्द रहें और यदि बरेली की ८ महीने बन्द रहती है तो वह भी ८ महीने बन्द रहे। लेकिन ऐसा न हो कि बरेली की फैक्ट्री के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करें और पहाड़ों की जो फैक्टरियां हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार न करें। पहाड़ी वनों के कटान को लेकर वहां भूख-हड़ताल हुई है, चिपको-आन्दोलन हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। वनों के कटाने के कारण वहां से जो मिट्टी आती है, उससे वन का धरातल ऊपर हो जाता है और फिर उनकी बाढ़ से पूरा बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो आप पहाड़ का जो दोहन करते हैं, उसके ऊपर पुनः गम्भीरता से विचार कीजिए, यह पहाड़ का ही नहीं पूरे उत्तरी भारत का सवाल है।

वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनके बारे में भी एक निवेदन करना चाहता हूं। वहां जो लोग काम करते हैं वे बहुत ही कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। उनके वेतन और भते पर बहुत सालों से विचार नहीं हुआ है। इसलिए जो फारेस्ट गार्ड्स और रेंजर आदि हैं, उनके वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाओं पर विचार करके उनमें वृद्धि कर दी जाए।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, प्रदेश की पूरी वन नीति का इस छोटी सी पुस्तिका से पता चलता नहीं है, लेकिन जितना कुछ पता चलता है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा और मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी जानकारी है और प्रदेशों की तुलना में यहां पर वनों का अनुपात कम है। यहां 17 प्रतिशत वन हैं, जबकि अन्य प्रदेशों का औसत अनुपात 35 प्रतिशत है। अब प्रदेश में खेती योग्य भूमि का अनुपात 75 प्रतिशत है। वन नीति के बारे में हमारे जोशी जी ने अभी मंत्री जी को बधाई दी, लेकिन उससे काम बनता नहीं है। तमाम विभागों को ले लिया जाए और मैं देख रहा था 10-5 वर्ष के बजटों को देखने का अवसर मिला, जितने लोग खड़े हुए उनके द्वारा दलीय भाषण दिया गया, निन्दा की गयी या बधाई दी गई। लेकिन इनसे किसी से काम चलने वाला नहीं है। बात तो सही है कि यहां की वन नीति सचमुच व्यापार नीति से, उद्योग नीति से और आर्थिक नीति से सम्बन्धित नहीं है, उसी कारण वन नीति सफल नहीं है। श्रीमन्, आप देखें प्रदेश में कितना उत्पादन है। 75 प्रतिशत आदमी खेती पर काम करता है, लेकिन खेती से जो हिस्सा मिलता है, वह करीब-करीब 54 प्रतिशत मिलता है, बाकी और कामों से मिलता है। वन विभाग का जो 17 प्रतिशत दायरा है, उससे उसका कितना हिस्सा विभाग को मिलता है? मैं तो कहूंगा कि बहुत कम। हमारे प्रदेश में उद्योग बहुत कम है, वन गिर रहा है। आज हमारी वन नीति, आर्थिक नीति कमजोर क्यों है? पिछले 25 वर्ष से आर्थिक नीति क्यों कमजोर? सही बात यह है कि हैंड टु माऊथ, हाथ से मुंह नीति हमारी आर्थिक नीति रही है। हमें काफी पैदावार चाहिए, वन कटवा कर खेत बनवा देंगे। केवल दो तीन वर्षों से वहां पर जोर हो रहा है कि वन की कटाई न हो। नैनीताल की तराई काट कर खेती कर दिये गये क्योंकि गेहूं, चावल चाहिए, एक नीति बन गयी थी, हैंड टु माऊथ नीति इस सरकार की या पुरानी सरकार की। उसका नतीजा यह कि हमारी वन नीति असफल रही है। अगर वन नीति का सफल होना है, मैं यह कहता हूं, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी, चाहे जंगल का इलाका हो, या नदी के किनारे का इलाका हो, चाहे फलों के दरख्त हों या जंगल के दरख्त हों, वन विभाग को वैज्ञानिक ढंग से नीति अपनानी होगी। वैज्ञानिक ढंग की नीति वह होगी जिससे वन विभाग का उत्पादन अधिक हो। इस प्रदेश में न लीसे की कमी रह जाय, न फर्नीचर उद्योग की कमी रह जाय, न माचिस जो बनती है उसके काम की कमी रह जाय। न वन की लकड़ी की कमी रह जाय। म इन तीन चार का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यह कारखाने वन के क्षेत्र में ही कायम होने चाहिए। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने लीसा फैक्टरी का नाम लिया। माननीय जोशी जी ने तिवारी जी ने भी लिया। एक बरेली की बड़ी फैक्टरी है। लेकिन कई छोटी फैक्टरियां पर्वत के अंचल के अन्तर्गत पैदा हो गयी हैं, इनमें बड़ी कठिनाई है। लीसा का कम उत्पादन, लेकिन फैक्टरियां ज्यादा। यह ऐसी चीज नहीं है जो चार वर्ष से हो जाय। पुरानी सपकार की नीति खराब रही, जो अब है उसकी और खराब है। निश्चित रूप से छोटे लोगों को, सहकारी लोगों को, जो छोटे व्यक्ति हैं उनको लीसा दिया जाना चाहिए। जैसा तिवारी जी ने कहा जो बड़े लोग उनका उद्योग शायद चल भी जाय, मुझे शक है अगर कोई उद्योगपति इस प्रदेश के वन विभाग के बूते पर चलाए तो शायद ही चले। कोई इन का स्थायी कार्यक्रम नहीं है। ऐसी सूरत में जो वन विभाग की वन नीति है, सुरक्षा की नीति होनी चाहिये। भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में इस पुस्तिका में पढ़ा। बहुत सी बातें लिखी हैं। उस सम्बन्ध में इनकी नीति में काफी परिवर्तन और प्रगतिशीलता लानी चाहिए। एक चिपको आन्दोलन की चर्चा बहुत होती है। म समझता था कि माननीय

[श्री श्यामधर मिश्र]

तिवारी जी, जोशी जी कुछ कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस आन्दोलन को मजबूत किया जायगा और सरकार स्वयं इसका साथ देगी।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर देहात)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय वनों का अपना अलग एक महत्व है और ठीक उसी तरह से गांव व गांव की खेती का भी महत्व है। मान्यवर, पहले एक समय था, कि कांग्रेस न जब वनों को घटाओं का अभियान चलाया लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी विवेक बुद्धि जागी और उन्होंने वनों को घटाने का काम बन्द किया मान्यवर, वनों की अपनी उपयोगिता है, वन तो होने ही चाहिए, लेकिन वनों को गांव के अन्दर या उसके करीब बनाया जायेगा तो उससे काफी नुकसान भी होगा मैं यह देख रहा हूं कि वन विभाग के लोग कुछ आंख मूंद कर काम करते हैं। कानपुर जिले के मेरे बिल्हौर क्षेत्र में एक गांव है उत्तमपुर, उस गांव की चकबन्दी हो गयी है और धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है। धारा 52 के प्रकाशन के काफी दिन बाद वन विभाग के लोगों ने वहां गांव के अन्दर और घरों के सामने खूंटी गाड़ दी। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। 50-50 साल पुराने मकान हैं और वन विभाग ने उनके मकानों के दहलीज पर व पिछवाड़े खूंटी लगा दी। जब यह मुझे मालूम हुआ तो मैं तहसीलदार को लेकर गया और मैंने कहा कि जिस समय चकबन्दी हो रही थी उस समय वन विभाग के लोगों को कहना चाहिए था, ए० सी० ओ० लेविल पर कि यह जमीन वन विभाग की है। उस जमीन की चकबन्दी न करें, लेकिन चकबन्दी हो गयी और धारा 52 का प्रकाशन हो गया और गांव सभा की जो जमीन बची उस जमीन को हरिजनों को पट्टा कर दिया गया और पट्टा करने के बाद हरिजनों की जमीन की खड़ी फसल में खूंटी गाड़ दी कि यह जमीन वन विभाग की है। मैंने पिछले मंत्रि मंडल में जो वन मंत्री थे उनको एक पत्र लिखा विवरण के साथ और मैंने मांग की थी कि इस गर्हित काम को जिस अधिकारी ने किया है उसको दन्डित किया जाना चाहिए। चूंकि वन विभाग की गड़बड़ी थी, आज दिन तक मेरे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला और न उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी। मान्यवर. इस तरह के अनुचित तरीके हैं। अगर उस अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक प्रकार की कार्यवाही होती तो जिससे दूसरे वन विभाग के अधिकारी जो हैं उनको गलत काम करने का हौसला न होता लेकिन बदकिस्मती कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी मेरे क्षेत्र में बिरहुन, रामपुर, तालुका आदि ऐसे गांव हैं कि उनकी जमीन पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया है गंगा की कटरी में वन विभाग पहुंच गया है लेकिन वन विभाग ने आज तक वहां पर कोई भी पेड़ नहीं लगाया है, यह समझ में नहीं आता है। जो जमीन वन विभाग की है। गलत तरीके से पैसा पैदा करने के लिए। वहां पर अगर कोई जानवर चला जाता है तो वन विभाग के लोग उसको पकड़ लेते हैं और पैसा मिल जाने पर छोड़ देते हैं मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वन उपयुक्त स्थान पर बनायें और उस पर पेड़ लगायें अन्यथा वन विभाग से मिलने वाला लाभ नहीं होगा। चाहे प्रदेश के 2 ही जिलों को ले लें लेकिन जो भूमि वन विभाग के लिए उपयोगी हो, जहां पर वन विभाग होना चाहिए कम से कम उस में अपना काम तो आरम्भ कर दें। पेड़ तो लगाना शुरू कर दें ? आखिर जमीन रोक रखने से क्या फायदा ? मैं उम्मीद करूंगा कि उत्तमपुर गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दंड दिया जाय ताकि दूसरी जगहों पर लोगों का हौंसला न बढ़े।

(श्री मुनीन्द्र पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है। (कोरम के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला सहारनपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राम दत्त जोशी ने कहा कि पहाड़ों में वन विभाग द्वारा बड़ा काम किया गया है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुयी कि वन विभाग द्वारा वहां पर कुछ कार्य किया गया है लेकिन मैदानों में जो वन हैं, उनके सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वन एक प्राकृतिक संपदा है। ऐसा नहीं जैसा कि पी० डब्लू० डी० द्वारा पुलों व सड़कों का निर्माण किया जा रहा हो या उनका मेन्टीनेन्स किया जा रहा हो। हमारे इन वनों का रख रखाव सुन्दर रूप में होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपस में बातें न करें।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

विदेशी सरकार ने अपने समय में यह किया था कि जंगलों का रखरखाव सुनिश्चित ढंग से किया जाय। उस वक्त यह भी विचार नहीं था कि इससे कोई खास आमदनी की जाय। मुझे याद पड़ता है कि उस समय जंगल से आमदनी और खर्च बराबर ही हुआ करता था। मंत्री जी को स्वयं अपने जिले सहारनपुर के आम के बागों को बरसात से पहले व बाद घास-फूस से साफ रखे जाने का तो होगा ही पर जंगल का प्रबन्ध इसके विपरीत उसके घास-फूस का रख रखाव व आग से पूरा बचाव करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि जब से स्वतंत्रता मिली है और शासन हम लोगों के हाथ में आया है वन विभाग की कोई उन्नति नहीं हुई है, उसमें खराबी ही आती गयी है। अगर वनों की रख रखाव की यही स्थिति चलती रही तो अगले 100-50 वर्षों में वन खत्म हो जायेंगे।

वनों में एक सबसे बड़ी समस्या आग लगने की है। वन विभाग द्वारा वनों में आग लगने से नहीं रोका जा रहा है। आग लगने से जंगल को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे जो नये पेड़ लगते हैं जिनके कल्ले निकल आते हैं, आग के कारण वे नये पेड़ बरबाद हो जाते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है। इस कारण से जंगली जानवर का जंगल में रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जंगल में घास का भी प्रबन्ध किया जाये। घास भी जंगल के लिए बहुत जरूरी है। यह तमाशा समझ में नहीं आ रहा है कि अभी फरवरी और मार्च के महीने में जंगल में आग लगायी गयी और अप्रैल के महीने में यह विचार हो रहा है कि उसे कैसे रोका जाये। उसके लिए सरकार ने 500 रुपये का इनाम भी रखा है। यह बात समझ में नहीं आती कि वह इनाम किसे दिया जायेगा ?

[श्री मुनीन्द्र पाल सिंह]

जंगल में यूकेलिपटस के पेड़ लगाने की भी बात कही गयी है। जंगल साल को उखाड़ कर यह पेड़ लगाये जा रहे हैं। यह एक भारी गलती की जा रही है। वन विभाग का कोई भी अधिकारी यह नहीं कह सकता कि इससे वन विभाग को हानि नहीं हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने वन विभाग से यह जानकारी करें कि एक यूकेलिपटस के पेड़ लगाने पर कितना खर्च आ रहा है।

जैसा मैंने कहा कि जंगल में घास होना बहुत आवश्यक है। जंगल का नियम भी यह है कि वहां घास अवश्य होना चाहिए। उससे खाद भी पैदा होती है और जंगली पशु पक्षी भी आराम पाते हैं। मेरा सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाये जो इस सबके लिये अपने सुझाव सरकार को दे सके।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सत्य है कि भौगोलिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टियों से भी जंगल का महत्व बहुत अधिक है। जंगल की लकड़ी के ही कारण बहुत से उद्योग चलते हैं और उन उद्योगों में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। वन सम्पदा से, चाहे वह लकड़ी के रूप में हो, चाहे पशुओं के रूप में हो, हमें काफी लाभ होता है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बुन्देलखंड में तेंदू पत्ती के व्यापार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इससे पूर्व भी मैंने यह सुझाव दिया था कि तेंदू पत्तों के तोड़ने की प्रक्रिया जो है, उसमें जो एजेन्ट की प्रक्रिया है उसे समाप्त किया जाय। मंत्री जी ने नोट तो किया था, लेकिन पता नहीं क्या कार्यवाही हुई। मैं विगत 3-4 वर्षों से देख रहा हूं कि उस तेंदू पत्ते की कटिंग नहीं हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहां के अरण्यपाल क्या कर रहे हैं, जिससे कि तेंदू पत्ती का व्यापार प्रभावी हो और नये पत्ते निकलें। हमारे क्षेत्र के अन्दर जंगल ज्यादा-तर देखा जाय जलाऊ लकड़ी और टीक वुड के जंगल हैं, उसका अवैध कटान करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब देखने में वह अवैध कटान के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर एक जंगल पवा, सेरवास, मडाबरा, गौना आदि रेंज हैं। पेड़ की कटान जो है, वह ऊपर से होनी चाहिए, जिससे कि साइड अंकुरण हो। यह न होकर वह जड़ से काट लेते हैं। जितने का ठेका दिया गया, उसके तिगुने पेड़ काटे गये। चन्दन के पेड़ के नीचे की जो जड़ें हैं, वह खोद कर ले गये और अवैध कटान जोरों पर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विगत सन् 1978 में एक ट्रक गौना रेंज में पकड़ी गयी। एक बहुत बड़ा आदमी का हाथ था, चूंकि उनके राजनैतिक सम्बन्ध ऐसे हैं, जिससे कि अभी भी वह फारेस्ट गार्ड सस्पेंड पड़ा हुआ है। वहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। सम्पूर्ण कर्मचारियों ने हड़ताल रखी। लेकिन ठेकेदारों को कोई दण्ड नहीं दिया गया। हमारे अरण्यपाल बिलकुल कान में रुई लगाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहां जो कत्थे का व्यापार है, इसी से पता लगा लें कि किसने कितना अवैध सप्लाई किया और अनुमान से कितना कत्था पैदा होना चाहिये, हमारे यहां के अधिकारी उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसका कुछ कारण है। हमारा जो जिला है, जहां पर डी० एफ० ओ० की

नियुक्ति होनी चाहिए। पिछले वर्ष श्री श्रीचन्द्र जी ने नियुक्ति करवाने की कोशिश की। मंत्री जी डी० एफ० ओ० की नियुक्ति करें। हमारे क्षेत्र का जो खाने-पीने का एकमात्र साधन पत्थर की खदान है, मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं, वहां पर सैकड़ों आदमी भूखों मर रहे हैं, पत्थर का कटान नहीं हो रहा है। मान्यवर, लीज सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि उस लीज के माध्यम से गरीब, छोटे व्यक्ति भी सप्लाई करता है, लेकिन बड़े-बड़े ठेकेदार लोग जो होते हैं या जो हमारे विधायक बन्धु जो हैं, वह ऐसे ठेकेदारों की जैसा कि अभी माननीय तिवारी ने बताया था कि बड़े-बड़े लोग सम्बन्धित रहते हैं, वह लीज न देकर आक्शन के पक्ष में रहते हैं। आपसे मेरी आग्रह है कि कम से कम जूनियर लोगों के समय का ख्याल रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका 5 मिनट पूरा हो गया।

श्री रणवीर सिंह--

अगर लीज हुआ, तो छोटे-छोटे लोगों को काम मिलेगा। वहां पर सहकारी समितियां हैं, जिसमें शहरिया जाति के लोग रहते हैं और अरण्यपाल पता नहीं क्या करता है कि बड़े-बड़े ठेकेदार उनकी खदानों को सबलेटिंग किये हुए हैं। वहां पर सालिम मूसली, चिरौंजी, शहद वगैरह पैदा होती है। पहले वन विभाग में ऐसी व्यवस्था थी कि वह उसका क्रय किया करते थे। क्या होता है 8, 9, 10 रुपये के हिसाब से पर्चेज कर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो अपनी पैदावार है, वन विभाग ही खरीदें। वन निगम के सम्बन्ध में मैं दो-बार कह चुका हूं। इसके अलावा वहां ट्रांस्पोर्टेशन और सड़क की आवश्यकता है। 2 सड़कों के लिए जो मैंने लिखकर भेजा है कम से कम उसकी सोलिंग तो हो जाये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और डी० एफ० ओ० की नियुक्ति करने का कष्ट करें।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जो मंत्री जी ने अनुदान मांगा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मथुरा वनों का नगर है। जैसे लखनऊ बागों का है--लालबाग, आलमबाग, नजर बाग। मैं बताता हूं कि--कोटवन माडीखन, सिहरवन, वृन्दावन, गोवर्धनवन, गेहवरवन।

श्रीमन्, इन वनों में पहले ऋषि-मुनि तपस्या करते थे और भगवान कृष्ण की गउवें चरती थीं। मथुरा की बात कर रहा हूं। अब वहां डाकू छुपते हैं। विशेषकर [***] जो यहां एक भी नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस तरह का आक्षेप हमें नहीं बरदाश्त है। इसको कार्यवाही से निकालें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने [**] कहा है । यह [**] निकाल दिया जायेगा । इस तरह के शब्द आप न इस्तेमाल किया करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

लक्खी सिंह की बात गम्भीरता से न लें ।

श्री लक्खी सिंह—

श्रीमन् मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनके भाषण का स्वागत करता हूं लेकिन मैं अपने यहां की बात कहूंगा । मेरे जिले म समतल जमीन में जो कम से कम 6–7 एकड़ है जिसमें कीकर बुवा रखे हैं । बोये पेड़ बबूल के आम कहां से खाये । इन जमीनों पर फलदार वृक्ष हों, आम हो, अमरुद, लीची, कटहल हों जो फलवाले हैं । किशमिश हो, नारियल हो, संतरा हों, अनार हो तो मैं मान लू कि वनों का विकास किया जा रहा है । मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, यह सब पुरानी सरकार की देन है कि उसने कांटे बुआ दिये । श्रीमन् लाल बत्ती मत करें, मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देता हूं । मंत्री जी, हमारे यहां कांटे कटवा कर फलदार वृक्ष लगायें नहीं तो उस जमीन को हरिजनों में बांट दें जिससे वहां गेहूं पैदा हो । वहां पर नहरी जमीन है आप सर्वेक्षण करा ल । अभी एक माननीय सदस्य बाघ की बात कह रहे थे मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोटद्वार में डाकू रहते हैं । दिन को छिपे रहते हैं रात को डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं । मैं वनों का विरोधी नहीं हूं, मंत्री जी ने कहा कि वन कटाव रोकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें ।

श्री लक्खी सिंह—

सिंचाई मंत्री जी से पूछ लीजिये कि मेरे जिले में बाढ़ और गर्की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लक्खी सिंह जी बैठ जायं, आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री लक्खी सिंह—

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हो हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आज वनों के बारे में चर्चा चल रही है । मान्यवर, कहने की आवश्यकता नहीं है कि वनों का हमारे जन जीवन में एक प्रमुख स्थान है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 30 सालों की आजादी के बाद भी अभी तक हम अपनी वन नीति नहीं बना सके हैं । सबका विचार है कि जंगलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को सुरक्षा होनी चाहिये, वनीकरण होना चाहिये। कभी सरकार की तरफ से मामला आता है कि वनों की रक्षा होनी चाहिये। सेर्कुलर सरकार की तरफ से जाता है कि एक भी हरा पेड़ नहीं काटना चाहिये। हमारी वन नीति घड़ी के पेंडुलम की तरह है। एक तरफ रक्षा करने की बात होती है और दूसरी तरफ बरबादी शुरू होती है। अभी पुष्पवान जी कह रहे थे कि अगर मंसूरी के ऊपर जायं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के कोढ़ हो गया है। चूने की खदान के नाम पर जंगल बरबाद हो रहे हैं, श्रीमन् आप 20 साल पहले भी वहां गये होंगे अगर आज जायें तो मालूम होता है कि मंसूरी पर पहाड़ों में कोढ़ लग गया है। जब जंगलों की रक्षा की मांग होती है तो तमाम गांव वालों से कहा जाता है कि आपके हल के लिये पेड़ नहीं मिलेगें। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वन नीति बना दीजिये कि कितने जंगल होने चाहिये और कैसे उनकी रक्षा करेगें। मान्यवर, हो क्या रहा है, टिहरी बांध बन रहा है वहां के विस्थापितों को बसाने के लिये 10–12 हजार एकड़ जमीन चाहिये। जंगलों को काटकर देहरादून में जमीन दी जा रही है। इसी तरह से उत्यासू बांध बनने जा रहा है, हजारों लोग विस्थापित होगें, विष्णु प्रयाग डेम बनने जा रहा है डोरली भेल योजना है तो इन योजनाओं के कारण हजारों लोग विस्थापित होंगे। बांध बनने चाहिये लेकिन उसके साथ–साथ जो प्रकृति का इकोलोजिकल बैलेंस है, जो पर्यावरण है उसको कैसे दुरुस्त रखा जाय इसकी कोई ठीक से योजना हमारे पास नहीं है। अमतौर पर चर्चा की जाती है कि जंगलों की रक्षा करें। मैं पूछना चाहता हूं कि जंगलों की रक्षा करना है तो आपका जो खनन विभाग है, बिजली विभाग है, सिंचाई और पी० डब्लू० डी० विभाग हैं क्या वह भी उतने ही चिन्तित हैं कि नहीं। मान्यवर, इसी से सम्बन्धित पहाड़ों के अन्दर कुछ उद्योग हो सकते हैं। जैसे लीसे की यहां चर्चा हुई। इस उद्योग सम्बन्धित वहां छोटी–छोटी इकाईयां खोली गयी हैं। हमारे गढ़वाल निगम ने बड़ी पूंजी लगाकर तिलवाड़ा में एक फैक्टरी खोली है। इस सम्बन्ध में सरकार ने नीति बनाया कि जंगलों की रक्षा होगी और सरकार ने कहा कि लीसा टिपान से नुकसान होता है और आपने उसको ले लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि गढ़वाल निगम में काम करने वाले बाहर के नहीं हैं बल्कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के ही लोग डिपूटेशन पर गये हैं। तो जब गढ़वाल निगम वही आपके कर्मचारी जाते हैं तो नुकसान होने लगता है और नीति बदल देते हैं लेकिन जब आपका विभाग काम करता है तो पता नहीं वह काम कैसे ठीक हो जाता है। अब लीसा कम है, तो आपका विभाग क्या करेगा कि जिन इकाईयों को आपने स्वयं, वन विभाग, इस समझौते के साथ कि 8 साल तक कच्चा माल देंगे लेकिन फिर भी आप नहीं दे रहे हैं, गढ़वाल निगम को नहीं दे रहे हैं। और आपका लीसा टरपनटाइन, बरेली को जा रही है। इसीलिये गढ़वाल में जो छोटी इकाइयां खुलीं थीं, आपके आश्वासन पर, वह बर्बाद हो रही हैं और आप बाहर की इकाइयों को लीसा दे रहे हैं। मान्यवर, इसलिये निवेदन है कि चाहे उद्योग विभाग हो, खनिज विभाग हो, पी० डब्लू० डी० हो या कोई विभाग हो सब मिलकर एक नीति बनाय जिससे काप काम कर सकें। ऐसा न हो कि एक तरफ जंगल काटना मना कर दिया और दूसरी तरफ ठेका देना शुरू कर दिया। इसलिये ऐसा न करके आप कोई एक ठोस नीति बनायें जिससे वहां छोटे–छोटे उद्योग कायम रह सकें।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं अपने मंत्री जी की जो मांग है उसका स्वागत करता हूं और उनकी मन्शा सफल है कि वनों की रक्षा हो। चूंकि यह विभाग पहले से इतना बिगड़ा हुआ है कि जिसे आज सुधारना बहुत कठिन है। बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं और बनाने वाले कम हैं। हम लोग आलोचना जरूर करते हैं लेकिन जब मौका लगता है तो हम भी वही कुकर्म करते हैं जिसकी आलोचना की जा रही है। हमारे इलाहाबाद के अन्दर जिले में एक महौली ससारपुर में जंगल शिकारगाह है जिसमें सैकड़ों शेर रहते थे लेकिन आज वह जंगल, जबसे स्वतन्त्रता मिली तबसे, नीलाम नहीं हो रहा है किन्तु फिर भी आज वहां एक भी मोटा पेड़ नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां से रोजाना 4-5 मोटर लकड़ी कटती है। जमींदार लोग हाईकोर्ट से आर्डर ले लेते हैं कि हमारे यहां 50 मोटर लकड़ी खेत में है जिसको कटवाने और शहर में ले जाने की अनुमति भी वह ले लेते हैं। इन लोगों के पेड़ तो वैसे ही खड़े रहते हैं किन्तु जंगल के पेड़ यह लोग कटवा-कटवा कर बेचते रहते हैं क्योंकि इनके खेतों के पास ही यह जंगल हैं। इन लोगों की गाड़ियां भी बैरियर्स से पास हो जाती हैं क्योंकि उन लोगों का पैसा बंधा रहता है। मेरी डी0 एफ0 ओ0 और रेंजर से इस सम्बन्ध में बात हुई किन्तु जंगल का कटाव रोकने में असफल रहे। वे कहते हैं कि हम अपने प्राण दें? इसमें हमारी मजबूरी है। मैंने मंत्री जी से बात की थी कि आप अगर कुछ न करें तो एक रोज चलकर उसका निरीक्षण कर लें कि उसमें क्या हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस अन्धेर खाते को मिटाने की कोशिश करें और जंगलों को कायम रखें। इसी तरह से तेंदू पत्ती के बारे में पिछले साल भी स्टे करा लिया गया और सारे जंगलों की पत्ती तुड़वाकर रखवा ली गई। जब कहा गया तो कहते हैं कि हम क्या इसके लिए अपनी नौकरी गंवायें। अगर आप मजबूर हैं और कुछ नहीं कर सकते तो उन जंगलों को खत्म कर दें। इस तरह से रोजाना दिन में ही जंगल कटते रहते हैं। इसके साथ ही मैं वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणि बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष जी, मैं वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। यहां पर यह भी कहा गया है कि वन विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमारा जो फारेस्ट इंस्टीट्यूशन देहरादून में है उसका एरिया में ही नहीं, वर्ल्ड में नाम है। लेकिन हमारे जो फारेस्ट बरबाद हुए हैं वह इसलिए कि जब-जब कोई संकट देश पर आया है, तब-तब जंगल काटे गये हैं। आज हालत यह है कि केवल 17 प्रतिशत जंगल यहां पर हैं। कुछ मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां जंगल बिलकुल नहीं है, पहाड़ में भी केवल 48 प्रतिशत जंगल है। जब बाढ़ आती है, सूखा होता है तो यहां दो दिन का डिबेट होता है लेकिन बाढ़ सूखे का कारण क्या है, इस पर आधे दिन का डिबेट चल रहा है। आज समस्त उत्तरी भारत खतरे में है। वन विभाग इसलिये जंगलों को नहीं बचा सकता है कि उसका जो फारेस्ट गार्ड है, जो सबसे छोटा आदमी है, उसके पास इतना बड़ा इलाका होता है कि वह जंगल को नहीं देख सकता है। मैंने कई दफे कहा। एडीशनल चीफ बढ़े, कई जी0 एफ0 ओ0 बढ़े लेकिन जहां फारेस्ट गार्ड की बात आती है, जो जंगलों के वास्तविक रक्षक हैं, तो कहीं वित्त विभाग अड़चन डालता है तो कभी किसी और वजह से यह हो नहीं पाता है। इसलिये फारेस्ट का जो बीट है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको छोटा कर दिया जाय, फारेस्ट गार्ड ज्यादा से ज्यादा रखे जायें। दूसरी बात यह है कि वन विभाग के नजदीक जो लोग हैं, जब तक उनकी बाबत आप नहीं सोचेंगे तब तक वन बच नहीं सकते हैं। आज हमारे यहां दस लाख परिवारों को ईंधन के लिये वनों पर आश्रित रहना पड़ता है, अगर एक आदमी 20-30 पेड़ भी काटता है तो वह 10 करोड़ पेड़ काट डालता है। इसलिए जब तक ईंधन का दूसरा प्रबंध नहीं होता है, चाहे बिजली द्वारा हो, गैस चूल्हा हो, या मिट्टी का तेल हो, तब तक जंगलों की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए जो अन्य विभाग हैं उसके द्वारा रियायती दर पर बिजली, गैस का चूल्हा और मिट्टी का तेल मुहैय्या करें ताकि लोग जंगलों को न काट सकें।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन् मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गंगा सहाय।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

दूसरी बात यह कि हमारे पास जो प्लाट्स हैं जहां पर पेड़ नहीं हैं वहां पर पेड़ लगाने की बात है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट उस ओर काम कर रहा है लेकिन जितना रुपया इस काम के लिए दिया जाता है उससे काम बनने वाला नहीं है। आज कुछ जगहें ऐसी हो गई हैं जो कि बिलकुल पेड़ों से खत्म हो गई यदि समय पर वहां पेड़ नहीं लगाये गये, समय के मुताबिक बात नहीं की गयी, हैं। तो जंगल बढ़ेंगे नहीं।

मेरा एक निवेदन और है। पहाड़ में एक आन्दोलन चल रहा है चिपको। सवाल यह है कि पेड़ पर चिपको कोई काटे नहीं। वह सारा आन्दोलन सिर्फ वन विभाग को बदनाम करने के लिए है। अगर समय के मुताबिक इस आन्दोलन का सही ढंग से मुकाबिला नहीं किया गया तो पहाड़ में जंगलों के प्रति अराजकता आ जायगी।

मैंने मंत्री जी से एक निवेदन किया था कि एक मीटिंग बुला लें उसमें सब लोगों को बुला लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गंगा सहाय, आप केवल सुझाव दे दें।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

मान्यवर, दरअसल वनों का जितना महत्व है उसे कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं उनके द्वारा उस ओर अमल नहीं किया जाता है। जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा सहाय यादव]

कारण बनों की हिफाजत, बचाव, नहीं हो पाता । बनों का इतना महत्व है कि उनके ऊपर सिंचाई आश्रित है, खेती आश्रित है । बनों की रक्षा आप नहीं करेंगे तो एक समस्या हो जायगी । बनों की रक्षा करने से बाढ़ की रोक थाम होगी, भूमि का कटाव बचेगा । इसलिए बनों की रक्षा करना बहुत जरुरी है । माननीय मंत्री जी इस संबंध में मैं सब से बड़ी कमी यह देखता हूं कि बनों का जितना प्रचार होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । बनों की कमी और फायदे के बारे में पूरी तरह से विभाग जनता में प्रचार कराये तो यह बड़ा उपयोगी और लाभदायक होगा । प्रचार होना बहुत जरुरी है । बनों के लिए यह जरुरी है कि हम अधिक से अधिक जंगल लगायें । अब तक सिर्फ पहाड़ पर बन समझे जाते हैं । हिमालय की पूरी बेल्ट है, गोरखपुर, बहराइच, इन स्थानों पर बन हैं और जगह बन ही नहीं है । पूरे भारतवर्ष में बन थे, पूरे सूबे के अंदर, देहातों म बन थे लेकिन वे बनों से राहत हो गये । लिहाजा यह जरुरी है कि जो क्षेत्र सूने पड़े हैं, ऊसर हैं वहां बन लगाये जायं । बनों से ही हमें लकड़ी मिलती है, शीशम का फर्नीचर मिलता है, कुछ दिन पहले हमारे जिले में बाढ़ आई थी । जमुना की बाढ़ से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ । अभी तक किसी गांव में छप्पर बनाने के लिए लकड़ी नहीं है । यदि जंगल होते तो शायद सरकार की परमीशन ले कर लकड़ी मिल जाती ।

हमारे यहां 6–7 जिले ऐसे हैं जहां बिल्कुल ही वृक्षारोपण नहीं हुआ है । वहां पर वृक्षारोपण की कोई स्कीम नहीं है । लिहाजा हर जिले के अंदर वृक्षारोपण स्कीम चलायी जाय । आगरे के अंदर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन..

श्री उपाध्यक्ष––

आप केवल सुझाव दे दें ।

श्री गंगा सहाय यादव––

अंत में मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह––

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । बन सम्पदा में लकड़ी तथा अन्य पदार्थ भी हैं उनका उचित दोहन हो । ऐसा न होने पर पूरा वातावरण बदल जाता है और अन्धाधुन्ध बनों के कटान के कारण बाढ़ आना शुरू हो जाती है इसलिये सुन्दर लाल बहुगुणा की अध्यक्षता में चिपको आन्दोलन शुरू हुआ । और श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री वहां गये थे और उनके सामने समझौता हुआ कि बनों का कटान ठेकेदारों के स्थान पर निगम करेगा लेकिन निगम में भी भ्रष्टाचार है और वह भी मनमाने ढंग से कटान कर रहे हैं । गोला नदी पर लाल कुएं के पास निगम के हाथ में सारी व्यवस्था है । मजदूरों का वह बड़ा शोषण करता है । बिना पैसा लिये बजरी की ट्रक बाहर नहीं निकल पाती है । इसकी जांच करा कर वहां पर काम करने वाले मजदूरों को अवश्य संरक्षण प्रदान किया जाय । इस तरह से हल्द्वानी में बहुत से गांव ऐसे हैं जंगलों के बीच उनको हक हुकूक की लकड़ी मिलती थी । बन्दोबस्त होने पर बहुत से लोग वहां नहीं जा सके जिससे वह हक हुकूक की लकड़ी से वंचित हो गये । मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका यह हक उनको उपलब्ध कराया जाय जिससे वहां जो असंतोष

फैला रहा है वह दूर हो सके। इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग जैसे लकड़ी और फर्नीचर आदि के लिये जो लकड़ी दी जाती है उसे आवंटित कराके लोग ब्लैक में बेच लेते हैं इसे रोका जाय और इसकी जांच की जाय कि जो लकड़ी वे लेते है उसका वे सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं ? अगर नहीं करते हैं तो उनका कोटा कैंसिल किया जाय। 75 में वहां एक आदेश हुआ था भूमि की नियमीकरण करने का। जिन आदिवासी, हरिजन तथा जन जाति के लोगों के पास 32 1/8 एकड़ भूमि थी उस पर प्रीमियम लेने की बात नहीं थी लेकिन अगर अतिक्रमण किसी ने किया हो और 4 एकड़ के ऊपर भूमि हो तो पूरा प्रीमियम तथा किराया सर्किल रेट से दूना देना होता था। वार्षिक किराया 10 साल से नहीं वसूल हुआ। इतनी अधिक धनराशि बकाया है इससे नियमीकरण नहीं हो पाया। वस्तुस्थिति को देखते हुए इस तरह से नियमीकरण किया जाय उदारता के साथ जिससे यह सम्पन्न हो सके। लीसा न मिलने से वहां की 11 इंडस्ट्रीज बन्द हैं। बरेली को सारा लीसा भेज दिया जाता है। इससे कई फैक्ट्रीज हल्द्वानी तथा नैनीताल की बन्द हैं। इनको इतना लीसा दिया जाय कि वह चल सकें। गूजर जंगलों में भैंस चरवाते हैं उन पर काफी ज्यादा पैसा लगा दिया गया है। उसे स्थगित कर दिया था। चराई कराने के लिये पिछले दिनों का पैसा भी देना होगा तो धनराशि बहुत हो जाती है जिसे वह नहीं दे पायेंगे इसलिये इस पर आप पुनर्विचार करें जिससे वे समझ सकें कि चराई में हमें इतना पैसा देना पड़ता है। इन शब्दों के साथ में कटौती का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वन मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं जो ऐसा बजट प्रस्तुत किये हैं। उनको वनों के सम्बन्ध में काफी ज्ञान भी है और वे वनों के निवासी भी हैं। मैं कुछ सुझाव दूंगा इसलिये माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें सबसे पहले मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके विभाग में हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा है ? यदि नहीं तो क्या वे उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे हर पद पर ? यदि वे हरिजनों के साथ इन्साफी नहीं करेंगे तो फिर वन लगाना बेकार है। मैं इसलिये सबसे पहले यह सुझाव दूंगा कि आप रिजर्वेशन हरिजनों का पूरा करें। इसके अलावा जो वन कट-चुके है वह तो कट ही गये हैं लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में आम के बाग लगते थे वे सब के सब करीब-करीब कट चुके हैं। मंत्री जी ध्यान दें कि जितनी पक्की सड़कें होती थी पी0 डब्लू0 डी0 की होती थी या इरीगेशन की होती थी उसके दोनों ओर कीकर आदि के पेड़ लगते थे जो की बहुत काम आता है। हर किसान के खेत में पहले एक पेड़ होता था लेकिन उन सब को काट दिया गया है। वन कोई पहाड़ों के लिये ही नहीं है और पहाड़ों में नहीं है। वन तो प्रदेश के हर क्षेत्र में तालाबों के किनारे जो-हड़ों और कुओं के किनारे लग सकते हैं। मैं समझता हूं आपके अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। वे नहीं जानते है। इसलिये उनको पहले आप ट्रेनिंग दीजीय कि कैसे पेड़ लगाये जाते हैं और कैसे उत्पादन होता है। किसानों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह—]

कुओं पर रेहटों पर और रजवहों पर वृक्ष लगने चाहिए ताकि यह समस्या हल हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी थोड़ी भी दिलचस्पी लें तो वे उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं किन्तु वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं समझता हूं उनको भी बहका दिया जाता है। तो मेरी ये बातें रिजर्वेशन पूरा करें और सड़क पर वृक्ष लगाने का आदेश दें।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं माननीय बन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गूजरों की समस्या जो कि मुंह बाये खड़ी है उसके सम्बन्ध में कमेटी बनाने की घोषणा सदन म की है। मैं यह भी माननीय मंत्री जी के ज्ञान में लाना चाहूंगा कि पहले भी इस तरह की कमेटी बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट बन विभाग के सम्मुख प्रस्तुत कर दी थी किन्तु उसको कार्यरूप में परिणित नहीं किया गया। वह पिछले बन मंत्री के सम्मुख पेश की गई थी किन्तु हम सब लोगों के कोशिश करने के बाद भी कोई सन्तोषजनक परिणम नहीं निकला। दूसरी बात यह है कि हमारे गूजर भाई आज भी निराश्रित हैं और बिना भूमि के बहुत परेशान हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्य निश्चित कर गूजरों को बसाने हेतु कारगर कार्यवाही कराएं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जनपद देहरादून में गड़रियों को अपनी भेड़ों तथा बकरियों को जंगलों म नियम बनवा कर चराने की स्वीकृति दिलाने की आज्ञा दिलाएं, जिससे उनहें चोरी से जंगलों में भेड़-बकरियां चराने की आदत न बने और जंगलों को किसी प्रकार की हानि न हो सके। मैं अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का आप निदान करें और जो कमेटी बनी है उसमें भेड़ों बकरियों के चराने कि समस्या भी जोड़ द।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री रणजीत सिंह—

एक बात कहना चाहूंगा गांवों में जो लोगों की जमीन पर पेड़ लगे हैं उनको काटने की इजाजत बन विभाग से मिलती है उसका सरलीकरण करना चाहिये। इसी प्रकार गावों के लोगों को जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जानी चाहिये। बन विभाग के ठेकेदार जब जंगलों से पेड़ काट कर ले जाते हैं तो पतली लकड़ी भी ले जाते हैं, नियमानुसार पतली लकड़ी जलाने हेतु गावों के लोगों को दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोस्वामी जी, आप दो मिनट में समाप्त करें।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में ललितपुर इलाके में महुवे के हजारों वृक्ष कट गये हैं और ए0 डी0 एम0 को जो अधिकार दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उनको आप तुरंत समाप्त कर दें। आज गावों में पेड़ नहीं रह गये हैं। गांव सभाओं और किसानों के जो पेड़ हैं वह जंगल विभाग ले क्योंकि आज सारे जंगलों की चोरी हो रही है और कुछ प्रभावशाली लोगों ने यह धंधा बना लिया है कि वह परमिट ले लेते हैं। इसलिए पंचायत राज विभाग से यह अधिकार छीन लेना चाहिये।

हमारा इलाका मध्य प्रदेश से लगा है वहां पर जंगलों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। आप भी राष्ट्रीयकरण करके देखें। वहां पर तेंदू पत्ते से लाखों रु0 की आमदनी बढ़ गई है। आप भी मेहरबानी करके जंगलों का राष्ट्रीयकरण करें इससे जंगलों की चोरी भी रुक जायेगी। हमारा एरिया कठिन एरिया है वहां पर बन विभाग के प्रभावशाली लोग डाका डालते हैं उनके डर के मारे कोई बोली बोलता नहीं है। जिसके कारण एक लाख की लकड़ी 25 हजार में चली जाती है। हमारे यहां गांव समाज की जमीन में 25.30 साल से पेड़ नहीं लगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

जहां पर लोगों की जमीन ली गई हैं उसकी एवज में दूसरी जमीन बी जानी चाहियें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, आप बैठें।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं केवल सुझाव ही दे पाऊंगा क्योंकि आपने समय बिलकुल नहीं के बराबर दिया है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बन विभाग के आंदोलन को आप जन आंदोलन बनवाइये और जन आंदोलन बना कर जन-जन में इस बात को फैला दीजिये कि बनों की बहुत अवश्यकता है। बन संपदा से जन जीवन का सीधा संबंध है जिसके लिए जरूरी है कि मैदानी इलाकों में भी पर्वतों की तरह आइये। हमारे पूर्वांचल में भी आप इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम रखें और वहां पर भी बनीकरण करें। इसके लिये यह सुनिश्चित नीति बनाइये कि इतने एकड़ में प्रति वर्ष बनीकरण करेंगे। साथ ही साथ में यह भी अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को जनआन्दोलन का रूप देने के लिये आप पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई तथा अन्य विभागों से सहयोग लें और इसके लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करें और वृक्षारोपण के लिए जिला परिषदों से भी बात करें और निश्चित रूप से सभी विभागों से वृक्षारोपण के लिए सहयोग लें। हमारे पूर्वांचल में आप सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराते हैं लेकिन पी0 डब्लू0 डी० द्वारा उसमें अड़चन पैदा की जाती है वह अनुमति नहीं देते। मैं मंत्री जी से अनुरो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--]

करूंगा कि इन विभागों से आप संपर्क करें और एक सुनियोजित योजना बनायें। मैंने पी० डब्लू० डी० विभाग से प्रयास किया था कि सड़कों के किनारें पेड़ लगाने के लिए लोगों का सहयोग लें। आप जिला स्तर पर एक कमेटी बनायें जिसमें बन विभाग के अधिकारी भी हो और जिलाधिकारी भी हों तथा जन-प्रतिनिधि भी उसमें हो और सब बैठ कर विचार विमर्श कर तब आपकी योजना ज्यादा लाभकारी होगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि वह काफी सक्रियता के साथ वनीकरण के कार्यक्रम के लिए, बन संपदा की सुरक्षा के लिए वह तत्पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री श्याम नारयन तिवारी, आप कितना समय लेंगे, क्योंकि अब जल्दी ही इसे समाप्त होना है और अभी मंत्री जी भी बोलेंगे।

श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, कुछ समय पहले तो जिनको शिकारगाहों की जरूरत होती थी, उसके अनुरूप बना दिये जाते थे और ऐसे ही मंत्री थे। लेकिन अब मौजूदा मंत्री महोदय क्या करेंगे, भविष्य बताएगा। लगता यह है कि यह बहुत एक्टिवली कांसीडर करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिकायती दरख्वास्ते होती हैं, उन पर ध्यान दिया जाय और उस सिलसिले में क्या कार्यवाही हो रही है, उससे समय-समय पर शिकायत-कर्ता को अवगत कराते रहा जाए, जो कि हो नहीं रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विभाग में कुछ ऐसे भी अधिकारी थे, जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप थे उनके खिलाफ तमाम दरख्वास्तें थी, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को प्रमोशन मिल गया और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके विरुद्ध क्या हुआ, मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में मंत्री जी बतावेंगे। फरेंदा रेंज के रेंजर अधिकारी श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव थे, उन्होंने अवैधानिक रूप से हजारों पेड़ों को कटवाया और तमाम भ्रष्ट कार्य किये, लेकिन उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का पता नहीं चला और अब वह ए० सी० एफ० होकर कहीं चले गये हैं। इस तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

वास्तविक और वस्तुनिष्ठ वन नीति का मैंने जिक्र किया था, इस संबंध में बड़ौनी जी ने कहा कि हमारे यहां एशिया का सबसे बड़ा बन संस्थान है। वस्तुनिष्ठ होने का मतलब यह है कि बन नीति जन-उपयोगी हो, पर्यावरण का सन्तुलन बनाने वाली हो। मंत्री जी ने भी इस बात का खेद प्रकट किया है कि जो होना चाहिये, वह नहीं हुआ है--वनीकरण की स्कीम हमारी बहुत पीछे है और बड़ौनी जी ने भी कहा कि बाढ़ और सूखे का संकट रहता है और अन्य कारण यह है कि अवैज्ञानिक तरीके से जंगलों का कटान होता है। तो स्वयं उन्होंने अपनी बात का कन्ट्राडिक्ट कर दिया। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ यह कहना है कि मैंने जो बात कही है, जिन बातों का जिक्र किया है, करीब-करीब माननीय मंत्री जी समेत सभी लोगों ने उसे तसलीम किया है। तो इस सम्बन्ध में आप विशेष ध्यान दीजिए।

मैं अन्त में फिर निवेदन करूंगा, मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कि वह निचले कर्मचारियों का और टांगिया काश्तकारों पर विशेष ध्यान दें और

मैं आपके माध्यम से उन्हें नोटिस देना चाहता हूं कि अभी शीघ्र सारे गोरखपुर मंडल के टांगिया काश्तकारों का सम्मेलन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के टांगिया काश्तकार भी अपना निवेदन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और मैं उनसे आशा करूंगा कि उनके यह सब करने से पहले ही माननीय मंत्री जी इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे और इस सम्बन्ध में बैठकर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन––

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष––

जितने सुझाव हैं आपने नोट कर लिए होंगे। बहुत कम समय लें।

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन––

मैं आपसे चन्द मिनट चाहूंगा। शायद आप भी सुनकर सोचेंगे कि यह महत्वपूर्ण बात है। अभी श्याम नारायण साहब ने जो प्रस्ताव रखा, जो भाषण आपने किया, मैंने बहुत ध्यान से सुना। आपने एक बात यह कही कि वही पुराना ढर्रा चल रहा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं, विरोधी पक्ष की तरफ भी वही पुराना ढर्रा चला आ रहा है। आम तौर पर यह कह दिया जाता है कि मंत्री भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट, कर्मचारी भ्रष्ट। अगर कोई मंत्री कहे कि भ्रष्टाचार साबित करना चाहिये तो कहेंगे आपको नहीं कहा, जनरल कहा। इससे अन्दाज यह होता है जब यह कहते हैं आप भ्रष्ट तो जो छवि है वह धूमिल हो सकती है। अभी अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आप बड़े–बड़े ठेकेदारों से मिले हुए हैं। इस सम्बन्ध में इस तरह की बातें विधान सभा में कही जाती रही हैं।

श्री श्याम नारायन तिवारी––

मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा, नीतिगत बात कही।

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन––

इम्प्रेशन उसका क्या हुआ? अखबार में छपेगा, मेरी छवि धूमिल हो गयी या नहीं? मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। मुनी की रेती में एक आल इंडिया सेमिनार हो रहा था। बड़ौनी जी बैठे थे। दूसरे लोग आ गये और कहा कि वन के अधिकारी भ्रष्ट हैं, बड़–बड़े लोगों से मिल जाते हैं। मंत्री जी भी मिले हैं। मैंने उस समय चैलेंज किया था आज फिर चैलेंज देता हूं और हमेशा–हमेशा मेरा इस तरह का चैलेंज रहेगा। मैंने यह कहा था कि सबसे ज्यादा किसी आदमी को उसके क्षेत्र के लोग जानते हैं। आपने जैसा कहा, कि बड़े–बड़े ठेकेदारों से पैसा लेकर चुनाव लड़ता हूं। अगर मैं बड़े–बड़े ठेकेदारों से पैसा लेकर चुनाव लड़ता हूं या कोई घपला मनी मैटर्स में करता हूं, तो मेरे क्षेत्र के लोग ज्यादा जानेंगे। मैंने चुनौती दी थी कि मेरे क्षेत्र के पचास आदमी ब–हलफ यह कह दें कि काजी मुहीउद्दीन को मनीमैटर्स में पकड़ा है तो न केवल मंत्रोपद से, बल्कि विधान सभा से भी त्याग पत्र दे दूंगा। केवल 50,

[श्री काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन]

इनक्लूडिंग दोज हू फाट अगेंस्ट मी, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा हो। वह हिम्मत करें, केवल पचास आदमी मेरे क्षेत्र के कह दें कि काजी मुहीउद्दीन मनीमेटर्स में बेईमान आदमी है। आपने कहा कि ठेकेदारों से पैसा लेकर चुनाव लड़ा। पहला चुनाव मैंने १९७४ में जब विरोधी दल में था तब लड़ा। दूसरा चुनाव लड़ा १९७७ में जब कि मैं मंत्री नहीं था। मंत्री अब बना हूं। ठेकेदार, मुझे पैसा भी दे गये, आप को नहीं दिया जिससे आपको अफसोस हो रहा है। इस प्रकार की बातें कहते समय सोच-समझ कर जरा कहें। अगर किसी से कोई बात गलत निकल जाय तो उसको वापस लेना चाहिये वरना मेरी चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। मैं नहीं कहूंगा उसके जवाब में कि श्यामनारायण जी त्याग-पत्र दे दें मैं ही इस्तीफा दे दूंगा। चल कर सही रेपूटेशन देखिए तब किसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कीजिये।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा उन्होंने ऐसे अलफाज नहीं कहे। पता नहीं माननीय मंत्री जी को ऐसा कैसे इम्प्रेशन हो गया। ऐसी बात नहीं कही जो मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री काजी मोहमम्मद मोहउद्दीन--

हो सकता है कि मेरे सुनने में गलती हुई हो। धन्यवाद, अगर ऐसा नहीं कहा। एक बात यह कही गयी कि इसमें पैसा कम रखा गया। यह परम्परा सी बन गयी है कि जिस मंत्री का बड़ा बजट होता है उसको बड़ा मंत्री माना जाता है। जब ज्यादा पैसा होता है तो यह समझा जाता है कि ज्यादा काम किया जावेगा। हमने काम नहीं घटाया है, कुछ चीजों में पैसा कम किया है, इसमें दो राय नहीं हैं पिछले साल का जो आउट ले था उसमें ८४३ लाख का था और इस साल का ९७९ लाख का है यह स्टेट का है, सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम का पिछले साल ९५ लाख था और इस साल २१५ लाख का है। इस तरह से पिछले साल के मुकाबले में आउट ले बढ़ा है, घटा नहीं है। जो पुस्तिका बटी है उसको शायद पढ़ा नहीं गया, अगर पढ़ा गया होता तो इस प्रकार की बातें न कही गयी होती। दूसरी बात टांगिया काश्तकारों के बारे में कही गयी। जो यह रुपया मंजूर किया गया है, उसमें अधिकांश रुपया टांगिया काश्तकारों के लाभ के लिए होगा। एक चीज वन निगम को कही गयी कि ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है। मान्यवर, ऐसा नहीं है। १९८१ तक हम पहाड़ी क्षेत्रों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। मैंने आपको यह इनफारमेशन दी है कि ठेकेदारी प्रथा कम हो रही है। सरकारी समितियों का काम बढ़ रहा है। यह लिटरेचर में आपको बताया गया है, जो आपके पास भेजा गया है। युक्लिप्टस के बारे में श्री महेन्द्र पाल जी ने कहा, कि इससे वनों को नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न आ चुका है और मैं उसका जवाब भी दे चुका हूं इसलिए इसको और ज्यादा क्लीयर करने की जरूरत नहीं है। एक माननीय सदस्य ने मंसूरी के बारे में कहा, मेरी पूरी कोशिश है और मैंने इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल को लिखा भी है। मान्यवर, श्री श्यामधर मिश्र जी ने कहा कि वन नीति बहुत कमजोर है। वैज्ञानिक ढंग की नीति बनानी चाहिये, लेकिन उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया कि वैज्ञानिक ढंग की नीति क्या होती है। यह जो योजना बनायी जाती है वह वैज्ञानिक ढंग से ही बनायी जाती है। अगर उसमें वह कुछ सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं, उनको मैं स्वीकार करूंगा।

मान्यवर, लीसा के बारे में कहा गया। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को यह शिकायत है कि लीसा उनको कम दिया जा रहा है। बरेली में जो फैक्टरी है, वहां के लोगों को शिकायत है कि हमको लीसा कम मिलता है, और उसको अधिक दिया जाता है। इस बारे में मंत्री को तो नहीं बल्कि अधिकारियों को कहा गया। मान्यवर, लीसा की पैदावार ४० प्रतिशत कम हुई है। वर्षा ज्यादा होने के कारण और पतले पेड़ों को छोड़ दिया है और केवल मोटे पेड़ों को ही लिया है और उसी में घाव लगाये जाते हैं जिससे पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। इसीलिये लीसा की कमी हुई। ४० प्रतिशत लीसा कम हुआ लेकिन जो पहाड़ों में उद्योग हैं और जिनको ३ साल से लीसा मिल रहा था उनको कम नहीं किया है, उनकी बढ़ोत्तरी की है। सदस्य मेरे कक्ष में आकर लिस्ट देख लें। बरेली में प्राइवेट फैक्टरी नहीं है, वह आपके कन्ट्रोल में है। उसमें ५० प्रतिशत से अधिक के शेयर आपके हैं। तो फैक्टरी में सप्लाई करने में जरूर कमी की है और नौबत यह आ गयी है कि आधी मशीनें बन्द हो गयी हैं और वहां पर मजदूर परेशान हैं और वे कह रहे हैं कि क्यों कम सप्लाई की है।

माननीय मिश्रा जी ने कहा कि वन निगम वैज्ञानिक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि वे अपने मुफीद महिकमे से मुझे लिखित में अवगत करा दें।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कटान नाजायज हो रहे हैं लेकिन किसी ने स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं लिया है। जिन लोगों ने लिये हैं और मुझे लिखित रूप में दिया है, मैंने उनके सम्बन्ध में जांच करायी है। और ४२ लोगों के विरुद्ध जांच हो रही है। उनमें से ३ आदमी सस्पेन्ड हो रहे हैं, विजिलेन्स भी जांच कर रहा है और विभाग भी जांच कर रहा है और अगर माननीय सदस्य मुझे और हालात से अवगत करायेंगे तो मैं पूरी कोशिश करके जाँच कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर इस विभाग में कोई छोटा कर्मचारी या बड़ा अधिकारी घपला करता है तो उसमें आपका सहयोग भी चाहिये ताकि हम सब मिलकर उस गड़बड़ी को दूर करें। जब आपसे चिट्ठी मिलती है मैं कोशिश करके उसकी जांच कराता हूं और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको किसी प्रकार से भी बख्शा नहीं जायेगा ताकि हमारे विभाग से भ्रष्टाचार दूर हो। अब मैं इन अल्फाज के साथ दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ?

श्री उपाध्यक्ष (श्री श्याम नारायन तिवारी से)--

अब आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६६--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६६--वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,०८,७६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०४--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०४- वन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २१,७८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११९--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८० की समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११९--वन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना श्री राम आसरे वर्मा की प्राप्त हुई है जो लखीमपुर खीरी जिले के थाना बलिया अन्तर्गत ग्राम घौला के हरिजन परिवारों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में है, इसको मने स्वीकार किया है ।

इस पर माननीय मंत्री जी १२ जून, १९७९ को वक्तव्य देंगे ।

दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री श्रीनारायण की है जो लखनऊ के व्यापारियों को दिनांक ५ जून, १९७९ को जन सभा के लिए शासन द्वारा आज्ञा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, इसको मने अस्वीकार किया है, क्योंकि उस पर चर्चा हो चुकी है ।

सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय में संगृहीत पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब हो जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

आज के एजेन्डे में जो आइटम ११ है, सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय मे संगृहीत पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब होने के सम्बन्ध में इस पर अब वक्तव्य १३ जून, १९७९ को होगा, मंत्री जी १३ जून को वक्तव्य दे दें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

ठीक है, इसको १३ को कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्तव्य की प्रतियां माननीय सदस्यों को दे दी गयी हैं । प्रेस को भी दे दी गयी हैं, मगर प्रेस वाले अभी इसको छापेंगे नहीं ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ जून, १९७९ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 284 पर)

संलग्नक 'क'

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-4

संख्या टी/तीस-4-36 ए०एम०/78

लखनऊ : दिनांक मई, 1979

कार्यालय-ज्ञाप

सड़क यातायात की समस्याओं पर शासन को सलाह देने हेतु राज्यपाल महोदय जिला स्तर पर जिला परिवहन सलाहकार समितियों के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका संगठन निम्नवत् होगा :--

जिला परिवहन सलाहकार समिति

1--जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2--पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3--सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम स्तर का न हो ।	सदस्य
4--स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
5--शासन द्वारा नामित 6-अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम एक सदस्य ट्रक आपरेटर्स यूनियन द्वारा दिये गये नामों की सूची से होगा तथा एक सदस्य स्टेज कैरेज आपरेटर्स द्वारा दिये गये नामों की सूची से होगा ।	सदस्य
6--उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एक प्रतिनिधि (क्षेत्रीय प्रबन्धक या सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक) ।	सदस्य
7--जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8--परिवहन विभाग का एक प्रतिनिधि (संभागीय परिवहन अधिकारी अथवा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यदि संभागीय परिवहन अधिकारी न हो) ।	सदस्य-सचिव

2--उक्त समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सदस्य आमेलित (Co-opt) किये जा सकते हैं ।

3--उपर्युक्त समिति के विचारार्थ निम्न विषय होंगे :--

जिला परिवहन सलाहकार समिति

(क) जिला स्तर पर सड़क यातायात की समस्याओं पर विचार करके शासन को सलाह देना ;

(ख) आपरेटरों की न्यायोचित शिकायतों का सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क करके निराकरण करवाना ;

(घ) समिति का कार्य जिला स्तर पर सड़क परिवहन सम्बन्धी मामलों में सलाह देने का होगा। बैठक की कार्यसूची सचिव द्वारा तैयार की जायगी। सचिव समिति के समक्ष ऐसे सभी कागजात रखेगा, जिनकी कार्यसूची की प्रत्येक मद पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता हो। बैठक की कार्यवाहियां कार्यसूची में शामिल मदों तक ही सीमित रहेंगी, सिवाय उस दशा में जब कि अध्यक्ष अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दे दें।

(ङ) समिति के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित मामले नहीं आवेंगे :--

(१) परिवहन विभाग के कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनका सम्बन्ध कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण या विभाग के सामान्य प्रशासन से हो,

(२) ऐसे मामले, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आते हों।

(च) समिति की बैठकें उस स्थान पर होंगी जिसे अध्यक्ष निश्चित करे। सचिव समिति की बैठकें जब-जब आवश्यक हो किन्तु प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत किये गये दिनों को बुलायेगा।

(छ) समिति की बैठकें यथा संभव शनिवार को आहूत की जायं और तिथि इस प्रकार निश्चित की जाय कि उससे सदस्यों को उनमें सम्मिलित होने में असुविधा न हो। इसके लिए आवश्यक है कि समिति की बठकों में उपस्थित होने के लिए सभी सदस्यों को १० दिन पूर्व सूचना दे दी जाय।

(ज) समिति की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियां सभी सदस्यों को, सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी, जोनल उप परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजी जायेगी। उसकी एक प्रतिलिपि (तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को भी भेजी जायें।

(झ) सचिव समिति की पूर्व बैठक की सिफारिशों की कार्यवाही से समिति को अवगत करायेगा।

(ञ) समिति की बैठकों के लिए कोरम समिति की तत्कालीन सदस्यता का पांचवा अंशमात्र होगा।

संलग्नक 'ख'

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग–4

संख्या टी/तीस–4–7 के एम/79

लखनऊ : दिनांक मई, 1979

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने प्रत्येक जिले में परिवहन विभाग की सलाहकार समितियों के गठन का निर्णय लिया है। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) समस्त विधायक और संसद सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरे या आंशिक रूप में जिले में पड़ता हो;

(2) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जिनका कार्य क्षेत्र जिले में पड़ता हो;

(3) समिति की बैठक जब ऐसे जनपद में हो जहां संभागीय परिवहन अधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यालय स्थित हो तो ऐसी बैठकों में संभागीय परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक भी आवश्यक रूप से भाग लगे।

2—समिति के अध्यक्ष के विषय में अलग से आदेश पारित किए जायेंगे। तब तक समिति के सचिव बैठक को संयोजित करेंगे और प्रत्येक बैठक के आरम्भ में उपस्थित सदस्यगण उक्त बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे।

3—समिति के सचिव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी होंगे, जिनका कार्यक्षेत्र जिले में पड़ता हो।

4—कार्य संचालन नियमावली—

(क) समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, यदि उसे इसके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, दो वर्ष का होगा।

(ख) समिति की सदस्यता की अवधि तीन वर्षों तक या उस समय तक रहेगी तब तक कि सदस्य अपने–अपने पद पर बने रहें या राज्य विधान मंडल या संघ संसद के निर्वाचित सदस्य का पद धारण किए रहें। इसमें से जो अवधि पहले समाप्त हो उसी तक सदस्यता रहेगी।

(ग) समिति के सदस्यों को कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

5—जिला परिवहन सलाहकार समितियों का मुख्यालय जिला मुख्यालय पर होगा। इनकी बैठकें प्रति तिमाही होंगी। बैठकें मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर जहां समिति उचित समझे, की जा सकती हैं।

6—राज्यपाल महोदय ने वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड 3 के नियम 20 (बी) के अन्तर्गत आदेश दिए हैं कि उक्त समितियों के ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो कि उस स्टेशन के स्थानीय निवासी नहीं हैं जहां कि समिति की बैठकें होती ह, उन्हें समिति की बैठकों म शामिल होने के लिए की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रणी के सरकारी अधिकारियों को देय यात्रिक तथा दैनिक भत्ते दिए जायग। उपर्युक्त नियम के नोट 3(1) के अपवाद के अधीन रहते हुए वह भत्ते इन लोगों के सामान्य निवास स्थानों से समिति के बैठक के स्टेशन तक तथा वहां से सामान्य निवास स्थानों की वापसी की यात्राओं के लिए देय होंग। यदि यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है तो यात्रिक भत्ता रेलवे के वास्तविक किराये व प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। यात्रिक तथा दनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 1 से 4 तक के प्राविधानों के अधीन होगा। समिति के गर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों का नियंत्रक अधिकारी समिति का सदस्य-सचिव होगा।

समिति में आमंत्रित अधिकारी, सदस्यगण तथा समिति के सदस्य-सचिव अपने यात्रा और दैनिक भत्ते उन नियमों के अनुसार, जो उन पर लागू हों, अपने विभागीय आय-व्ययक से प्राप्त करेंग।

7—इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनेतर-ङ-अन्य व्यय (19) परिवहन विभाग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नाम डाला जायेगा।

8—यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय संख्या द्वारा प्राप्त हुए हैं, जारी किया जा रहा है।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 289 पर]

वर्ष 1979–80 में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों का विवरण

क्रमांक	फसल का नाम	इकाई	प्रस्तावित लक्ष्य 1979–80
1	चावल	लाख टन	60.00
2	मक्का	,,	8.00
3	ज्वार	,,	4.60
4	बाजरा	,,	6.00
5	खरीफ दालें	,,	1.00
6	अन्य	,,	3.40
	योग खरीफ खाद्यान्न	,,	83.00
7	गेहूं	,,	108.00
8	जौ	,,	8.00
9	चना	,,	13.00
10	मटर	,,	4.60
11	अरहर	,,	8.00
12	मसूर	,,	1.40
	योग रबी खाद्यान्न	,,	143.00
	कुल खाद्यान्न	,,	226.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 289 पर]

संलग्नक 'क'

समितियों में नियुक्त अनुमोदित सचिवों की सूची

क्रमांक	नाम सचिव	क्रमांक	नाम सचिव
1	श्री श्याम दत्त शुक्ल	27	श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय
2	श्री बृजभान सिंह	28	श्री बद्री प्रसाद यादव
3	श्री राम नारायण मिश्र	29	श्री अनन्त राम शर्मा
4	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	30	श्री प्रहलाद सिंह
5	श्री शम्भू नाथ पाण्डेय	31	श्री रविशंकर मिश्र
6	श्री शीतला प्रसाद दूबे	32	श्री राम मनोहर तिवारी
7	श्री शिव प्रसाद सिंह	33	श्री राम खेलावन मिश्र
8	श्री भगौती प्रसाद	34	श्री घौताल वर्मा
9	श्री मु० आसिक	35	श्री त्रिभुवन सिंह
10	श्री पारस नाथ सिंह	36	श्री शिव नायक सिंह
11	श्री शेर बहादुर सिंह	37	श्री श्याम बिहारी चौबे
12	श्री अनंत कुमार दूब	38	श्री रमाशंकर त्रिपाठी
13	श्री लालमणि सिंह	39	श्री शिव सहाय पांडेय
14	श्री राम प्रताप	40	श्री बजरंग बहादुर सिंह
15	श्री देवतादीन द्विवेदी	41	श्री घनश्याम तिवारी
16	श्री राम देव सिंह	42	श्री राम लखन शुक्ल
17	श्री गंगा दीन मौर्य	43	श्री राम अभिलाष शुक्ल
18	श्री रुद्र पाल वर्मा	44	श्री बृजराज तिवारी
19	श्री जगदीश प्रसाद	45	श्री तेजभान सिंह
20	श्री राजेश्वर प्रसाद	46	श्री राम आधार पांडेय
21	श्री गंगा बख्श सिंह	47	श्री भोला नाथ मिश्र
22	श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्र	48	श्री राजाराम शुक्ल
23	श्री राम सिंह	49	श्री राम प्रसाद
24	श्री गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव	50	श्री नागेश्वर प्रसाद मिश्र
25	श्री लाल बहादुर सिंह	51	श्री हरवंश पांडेय
26	श्री राम हर्ष मिश्र	52	श्री ज्ञान विकास पांडेय

क्रमांक	नाम सचिव
53	श्री राम शरण मिश्र
54	श्री राणा प्रताप सिंह
55	श्री दूधनाथ पांडेय
56	श्री गंगा प्रसाद तिवारी
57	श्री विष्णुदत्त उपाध्याय
58	श्री राम समुझ तिवारी
59	श्री ओम प्रकाश सिंह
60	श्री केशव राम पांडेय
61	श्री चन्द्रिका प्रसाद
62	श्री विजय बहादुर सिंह
63	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह
64	श्री कैलाश चन्द्र यादव
65	श्री राम नरेश पांडेय
66	श्री राज बहादुर लाल
67	श्री राम करन सिंह
68	श्री सुखनाथ सिंह
69	श्री रामचन्द्र तिवारी
70	श्री अरविन्द नाथ शुक्ल
71	श्री राम प्रकाश
72	श्री जगदीश प्रसाद
73	श्री सालिक राम
74	श्री अवधेश सिंह
75	श्री जगतपाल सिंह
76	श्री रामनिधि दुबे
77	श्री श्रीधर दुबे
78	श्री शिव शंकर विश्व०
79	श्री बालकृष्ण तिवारी
80	श्री राम लखन पांडेय
81	श्री राम पाल सिंह
82	श्री दयानन्द मिश्र
83	श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
84	श्री भगवत प्रसाद
85	श्री राम अजोर गुप्त

क्रमांक	नाम सचिव
86	श्री रामप्यारे
87	श्री ईश्वर चन्द्र गुप्त
88	श्री दुर्गा प्रसाद पांडेय
89	श्री राम दुलारे मिश्र
90	श्री राम समुझ पांडेय
91	श्री सीताराम दुबे
92	श्री जय नारायण तिवारी
93	श्री राम सुन्दर तिवारी
94	श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव
95	श्री सत्यदेव पांडेय
96	श्री केदार नाथ सिंह
97	श्री मातादीन यादव
98	श्री शोभनाथ सिंह
99	श्री लक्ष्मीनारायण सिंह
100	श्री शमसेरबहादुर सिंह
101	श्री अम्बिका प्रसाद सिंह
102	श्री शिवनारायण सिंह
103	श्री रामफेर तिवारी
104	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह
105	श्री राम नरेश सिंह
106	श्री बृज भूषण पटेल
107	श्री उमेश चन्द्र शुक्ल
108	श्री श्रीकान्त
109	श्री राम चन्द्र तिवारी
110	श्री केदारनाथ उपाध्याय
111	श्री रमेशचन्द्र शुक्ल
112	श्री नईमुद्दीन
113	श्री उमेशचन्द्र वैश्य
114	श्री सत्यनारायण पांडेय
115	श्री राम सुमेर यादव
116	श्री सालिकराम यादव
117	श्री शिवमूर्ति यादव
118	श्री राम सुख शास्त्री

क्रमांक	नाम सचिव
119	श्री राम प्यारे मिश्र
120	श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
121	श्री शिव प्रताप सिंह
122	श्री श्रीनेत्र सिंह
123	श्री राधेश्याम मिश्र
124	श्री महराजदीन यादव
125	श्री श्याम लाल सरोज
126	श्री बजरंगी लाल
127	श्री पारसनाथ तिवारी
128	श्री बेनीमाधव मिश्र
129	श्री राम किशोर पांडेय
130	श्री गंगाधर दुबे
131	श्री देवनारायण सिंह
132	श्री राकेशमणि तिवारी
133	श्री बैजनाथ मिश्र
134	श्री बेनी माधव त्रिपाठी
135	श्री भाई लाल
136	श्री राम विशाल पांडेय
137	श्री दयाशंकर तिवारी
128	श्री विश्वनाथ प्रसाद यादव
139	श्री राम करन सिंह
140	श्री अशोक कुमार
141	श्री शिव मूर्ति मिश्र
142	श्री हौसिलानंद पांडेय
143	श्री श्याम बिहारी
144	श्री इन्द्र बहादुर सिंह

क्रमांक	नाम सचिव
145	श्री बोधनाथ शुक्ल
146	श्री राम कृपाल शुक्ल
147	श्री पारसनाथ तिवारी
148	श्री नन्द किशोर लाल
149	श्री लालता प्रसाद सिंह
150	श्री सुभाष चन्द्र अरोरा
151	श्री सूरज दीन
152	श्री रामनारायण
153	श्री राम अभिलाष शुक्ल
154	श्री बाबादीन पांडेय
155	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
156	श्री मुनेश्व प्रसाद पांडेय
157	श्री राम सजीवन पांडेय
158	श्री शिव दुलारे शुक्ल
159	श्री गौरी शंकर शुक्ल
160	श्री मातादीन
161	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
162	श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय
163	श्री राम अभिलाष सिंह
164	श्री शम्भू नाथ मिश्र
165	श्री श्याम नारायण मिश्र
166	श्री शिव बहादुर सिंह
167	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव
168	श्री बासदेव सिंह
169	श्री छत्रपालसिंह

विधान परिषद उ० प्र०

संलग्नक 'ख'

अनुमोदित सचिव जिनकी सेवा समाप्ति कर दी गई

क्रमांक	नाम सचिव
1	श्री राधारमण सिंह
2	श्री भगौतीदीन मिश्र
3	श्री रामेश्वर प्रसाद
4	श्री राम देव यादव
5	श्री समर बहादुर सिंह
6	श्री जगदीश प्रसाद सिंह
7	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह
8	श्री चन्द्र नाथ चौहान
9	श्री सूर्यनारायण उपाध्याय
10	श्री चिन्तामणि यादव
11	श्री गायत्री प्रसाद
12	श्री राज नारायण तिवारी
13	श्री जगन्नाथ मौर्य
14	श्री राघव राव तिवारी
15	श्री सीताराम मिश्र
16	श्री शीतला सहाय मिश्र
17	श्री राधेश्याम तिवारी
18	श्री राम नाथ यादव
19	श्री जगतबहादुर सिंह
20	श्री देवनारायाण सिंह
21	श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह
22	श्री शमसुद्दीन खां
23	श्री सिद्ध नाथ तिवारी
24	श्री राम कृपाल पाठक
25	श्री अछैवरनाथ पाठक
26	श्री कमलाशंकर मिश्र
27	श्री राम पाल यादव
28	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय
29	श्री सूर्यप्रकाश शुक्ल
0	श्री त्रिवेणी पाल तिवारी

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 305 पर)

विगत तीन वर्षों में कृषि यंत्रों का उत्पादन निम्नानुसार किया गया :--

वर्ष	उत्पादन (लाखों में)
1976-77	41.14
1977-78	34.00
1978-79	42.29

उपरोक्त विगत वर्षों में उत्पादित यंत्रों में से कोई भी यंत्र बेकार नहीं पड़ा है ।

विगत 1976-77 व 1977-78 में अलग-अलग आय व व्यय निम्नानुसार है :--

वर्ष	आय (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1976-77	44.95	48.98
1977-78	38.04	51.01

रनिंग कास्ट निम्नानुसार है :--

वर्ष	धनराशि (लाखों में)
1976-77	8.84
1977-78	14.12

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 305 पर)

वर्ष	कृषि यंत्र जिन पर कार्य हुआ	कर्मशाला का वार्षिक व्यय
		(रुपये में)
1976-77	1--साधारण आलू खोदने का हल	1,25,572.54
	2--स्क्रू टाइप आलू खोदने का हल	
	3--चिनहट टाइप तीन फल का कल्टीवेटर	
1977-78	1--चिजिल टाइप पैडी वीडर	1,87,082.57
	2--ऐडमस्टेबिल हैण्ड हो	
	3--देशी हल पर आधारित	
	सीड-कम-फर्टी ड्रिल	
1978-79	1--हैंड पोटैटो डिगर	1,88,516.00
	2--ट्रैक्टर चालित रीपर	
	(अन्तिम टायल मई, 1979 में हुआ है)	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 311 पर)

नाम विकास खंड	विकास खंड के लिए निर्धारित लक्ष्य	विकास खंडवार चयनित परिवारों की संख्या	विकास खंडवार लक्ष्य की पूर्ति
1—जरबल	605	124	3
2—कैसरगंज	565	106	5
3—फखरपुर	610	495	6
4—तेजवापुर	1135	206	7
5—महसी	480	282	4
6—मिहीपरवा	550	300	3
7—शिवपुर	360	250	6
8—बलहा	350	265	7
9—नवाबगंज	475	310	8
10—रिसिया	445	175	2
11—जमुनहा	570	80	2
12—हरिहरपुर रानी	400	295	..
13—सिरसिया	555	180	1
14—पयागपुर	435	100	13
15—विशेश्वरगंज	395	107	2
16—इकोना	530	375	6
17—हुजूरपुर	555	90	..
18—गिलौला	630	570	7
19—चितौरा	670	160	1
योग ..	9615	4470	83

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 313 पर)

1—प्रयागपुर का नक्शा निम्न जानकारी के साथ—

(क) बघेल तालाब का रकबा—

(1) गर्मी में	1101.74 एकड़
(2) वर्षा के तुरन्त बाद	3400.0 एकड़

(ख) वे नाले जो बघेल ताल में गिरते हैं

1—जमवार	4	कि0मी0
2—बवया	3	"

(ग) पयागपुर ब्लाक में अन्य प्रकार के जलाशय :—

(अ) स्थायी जलाशय मय रकबा जो गर्मी में सूखते नहीं उनकी गहराई	4	1396.00 एकड़ 25फुट
(आ) वे जलाशय मय रकबा जो वर्ष में भर जाते हैं पर जून तक सूख जाते हैं उनकी संख्या	76	156.50 एकड़
(इ) वे तालाब जो अब तक पट चुके हैं पर सरकारी कागज में दर्ज हैं। वे देखे जा सकते हैं उन पर किसी का कब्जा नहीं है		शून्य
(ई) वे तालाब जो सरकारी कागज में दर्ज हैं पर खेत बना लिए गए हैं तथा किसी का अनधिकृत कब्जा हो गया है		शून्य
(उ) वे तालाब जो पहले सरकारी कागज में दर्ज थे पर बाद में किसी के नाम पट्टा हो गया है		शून्य

2—निम्न आंकड़े के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट—

(1) ग्राम सभायें	76
(2) राजस्व गांव	87
(3) न्याय पंचायत	9
(4) आबादी	80,637
(5) कृषि योग्य भूमि	21,052.06 हेक्टर
(6) भौगोलिक रकबा	26,967.06 हेक्टर

(7) वे भूमि जो सिविल काबिल बनाई जा सकती है :—

(1)	ऊसर	685.00 हेक्टर
(2)	परती	448.00 हेक्टर
(3)	बंजर	1,257.00 हेक्टर
(4)	बेकार चरागाह	84.00 हेक्टर

3—सड़कें कितने कि0मी0—

(1)	कच्ची	72 कि0मी0
(2)	पक्की	66 कि0मी0

4—सिंचाई—

(1)	राजकीय नलकूप चालू हालत में	28
(2)	व्यक्तिगत नलकूप	235
(3)	पम्पसेट	516
(4)	सिंचाई का प्रतिशत	42.3 प्रतिशत
(5)	नहरें या माइनर यदि हों तो उनकी लम्बाई तथा अलग-अलग सिंचित रकबा	शून्य

5—

(1)	कितने परिवार	16,158
(2)	भूमिहीन	4,065
(3)	लघु सीमान्त	4,100
(4)	पांच एकड़ से ऊपर	2,026
(5)	12 एकड़ से ऊपर	360
(6)	बढ़ई, लोहार, धोबी, कुम्हार, मोची, बंगाली परिवार की संख्या	380

6—पशु कितने हैं—

(1)	बैलों की जोड़ी	13,777
( )	भैंसों की जोड़ी	5,331
(3)	भैंस	2,302
(4)	गाय	2,742
(5)	ट्रैक्टर	14
(6)	बैलगाड़ी	1,550
(7)	डनलप	3

विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 316 पर)

क्रम-सं0	केन्द्र	जनपद	क्षत्रफल (एकड़ में)	भू-स्वामी जिससे भूमि खरीदी गई/पट्टे पर मिली	कुल कीमत	हस्तान्तरण की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(अ) जसवन्तनगर	इटावा	2.00	श्री मोहकम सिंह व श्री छोटे सिंह	40,500.00	10-4-78	क्रय की गई
	(ब) तदैव	तदैव	3.60	श्री ईश्वर दयाल एवं अन्य	72,000.00	17-8-78	,,
2	टांडा	फैजाबाद	1.915	श्री हलीम खां एवं अन्य	76,600.00	28-4-78	,,
3	देवरिया	देवरिया	3.05	श्री गोरख राय एवं श्रीमती रत्ती देवी	1,83,000.00	17-2-79	,,
4	कुण्डेश्वरी	नैनीताल	3.00	श्री गोविन्द सिंह	8,70,328.00	23-1-79	,,
5	बरेली	बरेली	8.048	यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर	1,55,800.00	अभी औपचारिक पट्टे पर हस्तान्तरण होना है	,,
6	उन्नाव	उन्नाव	4.99	तदैव	2,07,971.30	तदैव	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
7	सण्डीला	हरदोई	2.12	यू0पी0एस0आई0डी0सी, कानपुर	35,910.00	अभी औपचारिक पट्टे पर हस्तान्तरण होना है	क्रय की गई
8	कानपुर	कानपुर	1.943	तदेव	1,97,463.00	तदेव	,,
9	सिकन्दराबाद	बुलन्दशहर	4.483	तदेव	1,90,575.00	तदेव	,,
10	इलाहाबाद	इलाहाबाद	5.273	तदेव	1,46,751.50	तदेव	,,
11	मथुरा	मथुरा	8.498	तदेव	4,32,384.50	तदेव	,,
12	हरिद्वार	सहारनपुर	0.894	तदेव	47,619.00	तदेव	,,
13	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	2.07	मण्डी परिषद्	1,25,655.00	तदेव	,,
14	जंगीपुर	गाजीपुर	1.00	तदेव	60,702 90	तदेव	,,
15	छिबरामऊ	फर्रुखाबाद	2.96	तदेव	1,61,469.71	तदेव	,,
16	उरई	जालौन	3.00	तदेव	1,63,897.83	तदेव	,,
17	कौंच	जालौन	2.38	तदेव	1,34,389.00	तदेव	,,
18	मैनपुरी	मैनपुरी	3.00	तदेव	1,33,584.00	तदेव	,,
19	अतरौली	अलीगढ़	3.00	तदेव	1,51,800.00	तदेव	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	ललितपुर	ललितपुर	3.00	तदेव	1,17,189.60	तदेव	,,
21	सितारगंज	नैनीताल	2.00	तदेव	1,21,405.90	तदेव	,,
22	जहांनाबाद	फतेहपुर	2.00	तदेव	1,09,265.22	तदेव	,,
23	जालौन	जालौन	2.00	तदेव	1,17,392.00	तदेव	,,
24	तिकोनिया	खीरी	2.00	तदेव	1,33,551.00	तदेव	,,
25	पालियाकलां	खीरी	3.00	तदेव	2,06,397.00	तदेव	,,
26	मथुरा	मथुरा	2.50	तदेव	1,70,522.00	तदेव	,,
27	कोसीकलां	मथुरा	2.00	तदेव	1,83,779.20	तदेव	,,
28	खैर	अलीगढ़	3.00	तदेव	2,00,376.00	तदेव	,,
29	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	4.14	तदेव	2,84,082.75	तदेव	,,
30	गुलावठी	बुलन्दशहर	4.03	तदेव	4,23,306.00	तदेव	,,
31	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	1.62	तदेव	1,24,562.35	तदेव	,,
32	राठ	हमीरपुर	2.93	तदेव	2,43,074.62	तदेव	,,
33	वाराणसी	वाराणसी	4.00	तदेव	8,41,746.88	तदेव	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
34	औरैया	इटावा	2.40	मन्डी परिषद्	2,47,101.36	अभी औपचारिक पट्टे पर हस्तान्तरण होना है	बिक्री की गई
35	कानपुर	कानपुर	2.51	तदेव	2,18,125.75	तदेव	,,
36	आगरा	आगरा	3.00	तदेव	4,17,146.40	तदेव	,,
37	हाथरस	अलीगढ़	4.00	तदेव	2,91,456.00	तदेव	,,
38	हल्द्वानी	नैनीताल	1.50	तदेव	1,09,872.25	तदेव	,,
39	कालपी	जालौन	2.50	तदेव	1,72,040.00	तदेव	,,
40	मुरादाबाद	मुरादाबाद	3.50	तदेव	2,54,943.36	तदेव	,,
41	बरेली	बरेली	1.03	तदेव	79,800.00	तदेव	,,
42	शिकारपुर	बुलन्दशहर	2.03	तदेव	2,05,612.52	तदेव	,,
43	अतर्रा	बांदा	3.00	तदेव	3,22,235.20	तदेव	,,

नोट :—मण्डी परिषद् से प्राप्त भूखण्डों का पूर्ण भुगतान अभी नहीं किया गया है ।

पी० एस० यू० पी०—5 विधान सभा—3-5-80—835 (पी०डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा